प्रमोद कुमार

हिन्दी के निषेधवाचक वाक्य

H
415
Sh23H

हिंदी के निषेधवाचक वाक्य

Risabhcharan Jain Evam Santati
New Delhi

ऋषभचरण जैन एवम् सन्तति

हिंदी के निषेधवाचक वाक्य

(दिल्ली विश्वविद्यालय की एम० फिल० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध निबन्ध)

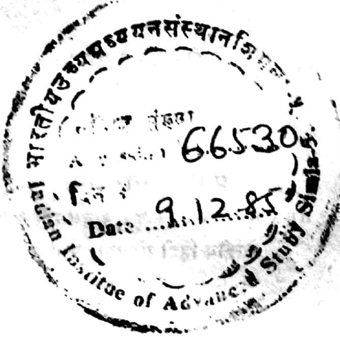
भूमिका लेखक
डॉ० बालगोविन्द मिश्र
निदेशक
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

प्रमोद कुमार शर्मा
एम० ए०, एम० फिल्०, अनुसंधान सहायक
केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा



© १९८४, नई दिल्ली
प्रमोद कुमार





H
415
Sh23 H

प्रथम संस्करण | १९८४ 1984

प्रकाशक | दिग्दर्शन चरण जैन
ऋषभचरण जैन एवम् सन्तति
२१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

मूल्य | तीस रुपये

मुद्रक | नागरी प्रिंटर्स द्वारा
ग्रन्थशिल्पी, दिल्ली-३२

Hindi Ke Nishedhvachak Vakya by Pramod Kumar Sharma Published by:
Rishabh Charan Jain Evam Santati, 21 Daryaganj, New Delhi—110002
Price Rs. 30.00

प्राक्कथन

'जिज्ञासावृत्ति' होना शोधक का आवश्यक गुण माना गया है। इस विषय (हिंदी के निषेधवाचक वाक्य) में मेरी रुचि जगाने में मेरे गुरुजनों का पर्याप्त योगदान है। यह विषय मुझे एक सेमिनार में लेख पढ़ने के लिए दिया गया था। विषय-संबंधी चिंतन एवं लेखन प्रक्रिया में इसमें मेरी रुचि बढ़ गई। एम० फिल० कमेटी ने इस विषय पर शोध-निबंध लिखने की अनुमति देकर मुझे अनुगृहीत किया।

हिंदी-व्याकरणों में निषेधात्मकता से संबंधित सामग्री पर्याप्त मात्रा में है। इस समस्त सामग्री में प्राय: वाक्य को विवेचन का आधार नहीं बनाया गया है। साथ ही यह सामग्री व्यवस्था एवं वर्गीकरण के अभाव में अत्यधिक विश्रृंखल है। इंदर सिंह, सहाय, राजगोपालन, भाटिया, डेविसन और तिवारी आदि ने 'हिंदी के निषेधात्मक वाक्यों' पर शीर्षक देकर विचार किया है पर यह सारा विवेचन भी हिन्दी के निषेधात्मक वाक्यों की पूरी कहानी कहने में असमर्थ है।

प्रस्तुत शोध-निबंध का मुख्य उद्देश्य तो हिन्दी निषेधवाचक वाक्यों एवं अवयवों से संबंधित समस्त सामग्री को वर्गीकृत करके एक स्थल पर एकत्रित करना है। विषय-विवेचन में दृष्टि को निषेधवाचक वाक्यों के वर्गीकरण, निषेधवाचक अवयव के वितरण और विभिन्न क्रिया रूपों के संदर्भ में उनके प्रयोग पर ही रखा गया है। भाषाविज्ञान के सिद्धांतों की सहायता आवश्यकतानुसार विषय विवेचन में बेहिचक ली गई है।

प्रस्तुत शोध-निबंध में 'पृष्ठभूमि' के अंतर्गत विषय से संबंधित अद्यावधि उपलब्ध सामग्री का विवेचन तीन उपशीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। ये तीन उपशीर्षक हैं— १. परम्परागत व्याकरणों में, २. प्रतिमानों पर आधारित व्याकरणों में, तथा ३. अन्य ग्रंथों में।

मूल विषय का चार मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत विवेचन किया गया है। प्रथम शीर्षक (१) निषेध का अभिप्राय एवं (२) भेद-प्रभेद के अंतर्गत निषेध के छह अर्थों का प्रतिपादन करके उसका एक नये रूप में वर्गीकरण किया गया है। निषेधवाचक वाक्यों के वर्गीकरण में भाषिक व्यवस्था एवं भाषिक अभिव्यक्ति व्यवस्था दोनों को ही दृष्टि में रखकर भाषिक व्यवस्थागत निषेध का 'अव्यक्तनिषेध' तथा भाषिक अभिव्यक्तिव्यवस्थागत निषेध को 'व्यक्त निषेध' माना गया है। व्यक्त निषेध के दो मुख्य भेद मानकर दूसरे शीर्षक (अभिप्रेत निषेध) के अंतर्गत अभिप्रेत निषेध का विस्तार से वर्गीकरण एवं विवेचन किया गया है। अभिप्रेत निषेध के निषेधवाचक अवयव की उपस्थिति के

आधार पर दो उपभेद माने गए हैं (३) नि०अ० रहित अभिप्रेत निषेध एवं (४) नि०अ० युक्त अभिप्रेत निषेध। नि०अ० युक्त अभिप्रेत निषेध के अंतर्गत 'मत' युक्त वाक्यों का मुख्य रूप से विवेचन किया गया है। तीसरे शीर्षक के अंतर्गत 'निषेधवाचक अवयव युक्त-निषेध' में नि०अ० की बद्धता एवं मुक्तता के आधार पर इसके दो मुख्य उपभेद (५) बद्ध रूपिमयुक्त तथा (६) मुक्त रूपिमययुक्त निषेध के किए गए हैं और इनका विस्तार से विवेचन किया गया है। चौथे और अंतिम शीर्षक (निषेधात्मक वाक्यों के कुछ अन्य पक्ष) के अंतर्गत निषेधात्मक वाक्यों के तीन पक्ष (७.१) निषेधवाचक वाक्य एवं विकल्यात्कमता, नहीं = वाक्य तथा (७.३) निषेधद्वय पर विचार करके कुछ अविचारित पक्षों की ओर संकेत किया गया है।

प्रस्तुत शोध-निबंध में संदर्भोल्लेख की उस पद्धति का आश्रय लिया गया है जो आजकल भाषाविज्ञान के शोध-निबंधों एवं प्रबंधों आदि में अपनाई जाती है। उदाहरण अधिकांशतः अकारादिक्रम से उद्धृत किए गए हैं। संकलित सामग्री में से सीमित उदाहरणों का चयन एक समस्या ही था फिर भी प्रत्येक प्रकार के प्रायः पांच-पांच उदाहरण ही उद्धृत किये गए हैं। भाषाविज्ञान के संकेत चिह्नों को टन्कणमशीन के अनुरूप ढाल लिया गया है।

प्रस्तुत शोध-निबंध प्रो० उदयभानु सिंह तथा डॉ० महेन्द्र के निर्देशन में लिखा गया है। निर्देशकद्वय का आभार शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। इस संदर्भ में मात्र इतना कह सकता हूं कि प्रस्तुत शोध-निबंध उनके आशीर्वचनों एवं विद्वत्तापूर्ण परामर्शों का प्रतिफलन हैं। डॉ० भोलानाथ तिवारी, (डॉ) श्री एवं श्रीमती कालरा के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिनके विचारों ने इस विषय के विवेचन की दिशा को निश्चित किया है। प्रो० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव एवं डॉ० के०वी० सुब्बाराव का भी मैं आभारी हूं जिनसे विचार-विमर्श करके मैं इस शोध-निबंध के सैद्धांतिक विवेचन की गुत्थियों को सुलझा सका हूं। अंततः मैं उन सबका भी आभारी हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस शोध-निबंध को पूरा करने में सहयोग दिया है।

—प्रमोद कुमार

संकेत-सूची

भाषाविज्ञान से संबंधित—

(—)=[—]	ऋणात्मक, से रहित
(+)=[+]	धनात्मक से युक्त
( )	वैकल्पिक
( )	उद्धरणांत में, पृष्ठ संख्या आदि का उल्लेख
( )	करने के लिए संदर्भोल्लेख में, किसी पुस्तक के प्रयुक्त संस्करण का प्रकाशन वर्ष उल्लिखित करने के लिए
#	वाक्य सीमा
—#	वाक्य सीमा से पहले
#—	वाक्य सीमा के बाद
	अव्याकरणिक अभिव्यक्ति
?(वाक्य)	संदिग्ध अभिव्यक्ति
:::	परिवर्तित होता है।
~	बराबर है
/	के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है
	या

आधार ग्रंथ उद्धरण संकेत-सूची

$अ_1$ $अ_2$	:	आलवाल, नदी के द्वीप, अज्ञेय
क	:	कचनार, वर्मा, वृन्दावनलाल।
गु०	:	काव्य के रूप, गुलाबराय।
च०स०	:	हिन्दी के अव्यय वाक्यांश, सहाय, चतुर्भुज।
चा०	:	भारयीय आर्य भाषा और हिंदी, चाटुर्ज्या, सुनीतिकुमार।
जै०	:	वृत्त-विहार, जैनेन्द्र।
ति०	:	हिंदी भाषा की संरचना, तिवारी, भोलानाथ।
दै०हिं०	:	दैनिक हिंदुस्तान, दिल्ली।
ध०	:	धर्मयुग, बम्बई।
न०	:	नवभारत टाइम्स, दिल्ली।
ना०	:	बूंद और समुद्र, नागर, अमृतलाल।
प्र०	:	भारत और एशिया का साहित्य, प्रभाकर माचवे, (भू= भूमिका, आ० = आधुनिक भारतीय साहित्य की मनोभूमि आ=आधुनिक भारतीय साहित्य गत महायुद्धोत्तर स्थिति।
प्रे०	:	प्रेमाश्रम, प्रेमचन्द।
बैंक,	:	बैंक, सुरेशकांत।
भा०	:	अंधा युग, भारती, धर्मवीर।
मु०	:	नयी कविता का सौन्दर्यशास्त्र, मुक्तिबोध।
मुं०	:	वैदिक संस्कृति और सभ्यता, शर्मा, मुंशीराम।
मो०	:	बकलम खुद, मोहन राकेश।
रा०	:	राग दरबारी, शुक्ल, श्रीलाल।
राम०	:	भाषा और समाज, शर्मा, रामविलास।
रा०य०	:	प्रेमचंद की विरासत (और अन्य निबंध), यादव, राजेन्द्र।
शि०	:	साहित्य अनुशीलन, चौहान, शिवदानसिंह।
शु०	:	हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल, रामचन्द्र।
श्री०	:	भाषा, श्रीवास्तव, दिल्ली।
सा०हि०	:	साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिल्ली।

संक्षिप्त-सूची

अ० नि	:	अभिप्रेत निषेध
आ०रू०नि०	:	आदेशवाचक रूपांतरण नियम
क शब्द (प्र०अ०)	:	प्रश्नवाचक शब्द (अवयव)
क्रिय	:	क्रिया पदबंध
नि०	:	निषेध
नि०अ०	:	निषेधवाचक अवयव
नि०रू०नि०	:	निषेधवाचक रूपांतरण नियम
प्रे०रू०नि०(प्र० प०)	:	प्रेरणार्थक रूपांतरण नियमप्रत्यक्ष (परोक्ष)
मु०क्रि०	:	मुख्य क्रिया
रू०प्र०व्याकरण	:	रूपांतरणपरक प्रजनक व्याकरण
वा०	:	वाक्य
स०क्रि०	:	सहायक क्रिया
सप	:	संज्ञापदबंध

विषय-सूची

प्रस्तावना

पिछले तीन दशकों में मानक हिन्दी के व्याकरणिक विश्लेषण के क्षेत्र मे विविध दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। हिन्दी के इस संरचनात्मक अध्ययन में कहीं-कहीं विशिष्ट पक्षों और समस्याओं का विवेचन किया गया है तो कहीं व्याकरणिक कोटि-विशेषों का समाकलन। भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने भाषा-विज्ञान के कई प्रारूपों (मॉडेल्स) का उपयोग करते हुए इन संरचनाओं का विश्लेषण किया है। इनमें संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल), पदबंधीय (टैग्मेमीक), व्यवस्थापरक (सिस्टमेटिक) और प्रजननपरक रूपान्तरण (जेनेरेटिव-ट्रान्सफॉर्मेशनल) प्रारूपों का विशेष रूप से उपयोग किया गया है। इन सभी कार्यों को समेकित रूप से देखने के बावजूद हिन्दी के व्याकरणिक स्वरूप का एक सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विवेचन नहीं उभर पाया है। इसीलिए कामताप्रसाद गुरु के हिन्दी व्याकरण का महत्त्व आज भी अक्षुण्ण है।

इन संरचनात्मक अध्ययनों के क्षेत्र में हिन्दी के निषेधवाचक अव्ययों (निपातों) एवं निषेधसूचक वाक्य रचनाओं के संबंध में कई विद्वानों ने विचार किया है। प्रस्तुत लेखक ने निषेधात्मक रचनाओं के इस अध्ययन में इस समस्या पर अद्यावधि किए गए कार्यों का विवरण तो दिया ही है, उसकी समीक्षा करने का प्रयास भी किया है। इसके अतिरिक्त निषेधसूचक शब्दों (न, नहीं, मत, बिना आदि) के वितरणगत प्रतिबंधों का विश्लेषण तो किया ही है, निषेधात्मक शब्द-रचना के नियमों को भी उद्घाटित किया है।

इन पक्षों पर कार्य तो इससे पूर्व किसी सीमा तक किए भी गए हैं, प्रस्तुत अध्ययन की विशेषता यह है कि विविध निषेधसूचक वाक्य रचनाओं और निषेधसूचक अर्थध्वनि वाले पदों एवं वाक्यों का भी विस्तृत विश्लेषण किया गया है। एम० फिल० का शोध-प्रबंध होने के बावजूद यह कार्य ऐतिहासिक सर्वेक्षण, समस्या के सर्वांगीण विश्लेषण और परिणामों के प्रस्तुतीकरण—सभी दृष्टियों से एक स्तुत्य अध्ययन बन पड़ा है। मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन का हिन्दी व्याकरणिक अध्ययनों के क्षेत्र में स्वागत किया जाएगा और इस ग्रंथ के युवा भाषाविद् अध्येता के द्वारा हिन्दी व्याकरण के अन्य पक्षों का भी अध्ययन किया जाएगा।

मैं इस ग्रंथ के प्रणेता को उनके कार्य के लिए साधुवाद देता हूं और उनसे इस शृंखला में और अधिक कार्य करने की अपेक्षा भी रखता हूं।

आगरा
१० मई, १९८४

बालगोविन्द मिश्र
निदेशक
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

पृष्ठभूमि

हिन्दी ग्रंथों में निषेध-सम्बन्धी अद्यावधि उपलब्ध सामग्री

निषेध की महिमा का गुणगान करते हुए चतुर्वेदी (१९६८, ४७-४९) ने निम्नांकित उद्गार व्यक्त किए हैं :—"वाक्य-संघटन के प्रकारों में दो प्रकार ही मौलिक स्वीकार किए गए हैं--भावात्मक और अभावात्मक (नकारात्मक)। नकारात्मक ढंग से भी किसी वस्तु या विषय का निरूपण कम सशक्त नहीं होता। कहीं-कहीं तो वह भावात्मक अभिव्यक्ति को भी तिरस्कृत कर देता है। अर्थात् भावात्मक रूप से कहने पर इस भाव विशेष की अभिव्यक्ति उतनी स्पष्ट एवं सशक्त नहीं हो पाती जितनी अभावात्मक अभिव्यक्ति। + + + यह निषेध की ही महिमा है कि हम अजर, अनिवर्चनीय, निर्गुण, निराकार आदि के माध्यम से अभिव्यक्त कर ब्रह्म को अब तक पुजाए जा रहे हैं, अन्यथा प्रकृति उनके भावात्मक स्वरूप, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि को कब से छीन चुकी है। + + + कहने का तात्पर्य यह है कि उस परमतत्व को समझने-समझाने का एकमात्र माध्यम भाषा की वह शक्ति है जो नकारात्मक रूप से भाव की अभिव्यक्ति कराती है।

विधि और निषेध दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों के बिना धर्मशास्त्र का भी विधान पूर्ण नहीं होता। अतः जहां 'सत्यं ब्रूयात्,' ('प्रियं ब्रूयात्') आदि विधि-वाक्य हैं वहीं 'न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्' आदि निषेधवाक्य भी विद्यमान हैं। उपनिषद् भी 'मातृदेवोभव', 'पितृदेवोभव', 'आचार्य देवोभव' के भावात्मक विधान के साथ 'स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्' आदि निषेधात्मक उक्ति के बिना अपने भावों की सम्यक् रूप से अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। यही नहीं धर्म के दस लक्षणों में अक्रोध का समावेश इस बात का पुष्कल प्रमाण है कि नकारात्मक अभिव्यक्ति के बिना भाषा पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। संस्कृत भाषा में इसे ही 'नञ्' की संज्ञा दी गई है।

संस्कृत भाषा में 'नञ्' के प्रयोग की उपलब्धि तभी से होती है जब से भाषा का आरम्भ हुआ है। वैदिक साहित्य के ऊहापोह से भी किसी ऐसे तथ्य या सिद्धांत के प्रकाशन का अवसर नहीं है कि आरम्भ में 'नञ्' या निषेधात्मक प्रयोग भाषा में नहीं थे अथवा बाद की उपेक्षा कम संख्या में प्रयुक्त होते थे। क्योंकि वैदिक साहित्य में 'नञ्'

के सभी प्रकार के प्रयोग निरंतर उपलब्ध होते हैं। स्वयं पाणिनि ने अष्टाध्यायी के कई सौ सूत्र ऐसे लिखे हैं जो निषेधात्मक हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने 'नञ्' के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि जब 'अब्राह्मणमानय' कहा जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि 'किसी को न लाया जाए' या 'मिट्टी का ढेला लाकर रख दिया जाय' अपितु वहां पर 'नञ्' का अर्थ विलक्षण ही है जिससे ब्राह्मण से भिन्न पर—ब्राह्मण सदृश ही क्षत्रियादि किसी मनुष्य का आनयन अभीष्ट है।" चतुर्वेदी के उक्त कथन से यह तो स्पष्ट होता ही है कि निषेधात्मक अभिव्यक्तियां किसी भी भाषा की महत्वपूर्ण निधि हैं। साथ ही इस तथ्य का भी बोध होता है कि भाषा की निषेधात्मक अभिव्यक्तियों का अध्ययन एवं विवेचन कोई नया विषय नहीं है, संस्कृत वैयाकरणों ने भी इस विषय पर पर्याप्त विचार किया है।

हिन्दी भाषा की व्याकरण- परम्परा को विकसित करने में अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय वैयाकरणों ने योगदान किया है। उन सभी व्याकरणों का उल्लेख इस लघु शोध-प्रबन्ध में करना न तो उचित ही है और न अपेक्षित ही है। निषेध से सम्बन्धित कतिपय व्याकरणों एवं शोध-प्रबन्धों तथा निबन्धों के विषय प्रतिपादन पर आगे विचार किया जा रहा है। विवेचन की सुविधा के लिए निषेध सम्बन्धी उपलब्ध सामग्री को तीन शीर्षकों में विभाजित किया जा रहा है :—

१. परंपरागत व्याकरण
२. प्रतिमानों पर आधारित व्याकरण
३. अन्य ग्रंथ

०. १. परंपरागत व्याकरण

०. १. १. प्लॉट्स (१८७४; ७३) ने विशेषणों पर विचार करते हुए कतिपय उपसर्गों (बे, कम, ना, गैर, ला) के निषेधात्मक होने का प्रतिपादन किया है। प्लॉट्स ने न तो निषेधात्मक उपसर्गों की संपूर्ण सूची ही अपने व्याकरण में दी है और न ही निषेध के सभी अर्थों की ओर संकेत किया है। प्लॉट्स की दृष्टि वाक्य की ओर तो गई ही नहीं थी अत: उनके व्याकरण ग्रंथ में निषेधात्मक वाक्यों का विवेचन मिलना तो असंभव ही है।

०. १. २. केलॉग (१८७५, २८१) ने निषेधात्मकता पर अनेक स्थलों पर विचार किया है। निषेध से संबंधित उनके विचार लगभग सोलह-सत्रह स्थलों पर दृष्टिगत होते हैं। उनका क्रमश: आगे विवेचन किया जा रहा है। केलॉग ने नहीं/नाहीं की ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया पर विचार करते हुए इसे 'न + आहि' का विकसित रूप माना है। 'न', 'नहीं' और 'मत' को निषेधवाचक क्रिया विशेषण मानकर केलॉग ने इनके हिन्दी में वितरण पर भी विचार किया है।

'मत' का प्रयोग सदा विधि-वाक्यों में होता है जबकि 'नहीं' कभी भी विधि-वाक्यों में प्रयुक्त नहीं होता। 'न' का क्रिया के किसी भी भाग के साथ प्रयोग संभव है। वितरण पर विचार करने के पश्चात् केलॉग ने इनके बोलीगत वैभिन्न्य (डायलेक्टिक

वेरिएशन्स) तथा 'जी नहीं' के आदरार्थ प्रयोग का निरूपण किया है। केलॉग ने कुछ निषेधवाचक क्रियाविशेषण-पदबन्धों (फ्रेजिज) की ओर संकेत किया है। वे हैं:—'कभी नहीं', 'नहीं तो', 'क्यों नहीं। (केलॉग; ३८३-३८४)

'मनाही' (प्रोहिबिशन) पर विचार करते हुए केलॉग ने निम्नांकित मत व्यक्त किया है :—

'न' या 'मत' का प्राय: मनाही वाले वाक्यों में प्राय: एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग संभव है, यदि वाक्यांश मात्र आदेशवाचक क्रिया एवं निषेधवाचक अवयव से बना हो तो 'न' के स्थान पर 'मत' का प्रयोग अधिक उपयुक्त ठहरता है। 'नहीं' का प्रयोग आदेशवाचक वाक्यों में संभव नहीं है क्योंकि इसमें क्रिया के वर्तमान काल का रूप होता है। (केलॉग; ४५९) 'नहीं' का आदेशवाचक वाक्यों में प्रयोग संभव नहीं है, इनका यह मत उचित नहीं हैं क्योंकि नहीं का आदेशवाचक वाक्यों में प्रयोग पूर्णत: निषिद्ध नहीं किया जा सकता। केलॉग के मस्तिष्क में निषेधवाचक वाक्यों का महत्व स्पष्ट रूप से था यही कारण है कि उनके व्याकरण के 'सिन्टैक्स' खण्ड के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राय: एक अथवा एकाधिक उदाहरण निषेधवाचक वाक्यों के दृष्टिगत होते हैं।

केलॉग ने निषेधवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया 'है' के लोप का कारण 'नहीं' का 'न + आहि' से विकसित होना माना है जिसके परिणामस्वरूप 'नहीं' युक्त रचनाओं में 'है' अनावश्यक (रिडन्डेंट) हो जाता है (केलॉग; ४६४-४६५)। केलॉग ने 'अकर्तृवाच्यीय क्रिया रूपों' (पैसिव कन्जूगेसन्स) के दो भेद मानकर दूसरे भेद में असंभाव्यता प्रकट करने के लिए किए गए 'नहीं' के प्रयोग को अधिक ग्राह्य एवं सुरुचिपूर्ण माना है (केलॉग; ४७८)। समानाधिकार वाक्य (निषेधवाचक) के विषय में इनका कथन है कि इस प्रकार के वाक्यों ने प्रत्येक घटक का समारम्भ निषेधवाचक अवयव से होता है। प्रथम वाक्यांश का आरम्भ 'न' अथवा 'नहीं' से तथा दूसरे वाक्यांश का समारम्भ 'न' से होता है (केलॉग; ५१२)। समानाधिकार वाक्यों के विषय में व्यक्त केलॉग का उक्त मत उचित नहीं है क्योंकि प्रथम वाक्यांश का प्राय: 'नहीं' से आरम्भ नहीं होता और 'न' का भी स्थान परिवर्तन सम्भव है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दिए गए उदाहरणों का भी उनके मत से व्यतिक्रम दृष्टिगत होता है। इस विषय पर आगे विचार करते हुए वे कहते हैं कि 'वियोजक वाक्य का द्वितीय सदस्य (वाक्यांश) 'नहीं तो' से भी समारम्भ हो सकता है।' कभी-कभी इस प्रकार के वाक्यों में प्रथम निषेधात्मक अव्यय का लोप कर दिया जाता है और कभी-कभी दूसरे का (केलॉग; ५१२-५१३)। निषेधवाचक उपवाक्य (नेगेटिव क्लॉज़िज) में इन्होंने 'ऐसा न हो कि' के विषय में टिप्पणी की है (केलॉग; ५२०)। इसके अतिरिक्त 'नहीं तो' तथा 'न' के [--निषेध] रूप पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं (केलॉग; ५३४ एवं ५३७)। इनके अनुसार 'नि० अ० का जब संयुक्त क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है तो निषेध का बल संयुक्त क्रिया के पूर्व—क्रिया (मुख्य-क्रिया) भाग पर होता है (केलॉग; ५८१)। केलॉग का निषेधात्मकता से सम्बन्धित अंतिम कथन अकर्तृवाच्यीय क्रियाओं से सम्बन्धित है। इसके अनुसार :—(वाक्य में) जब अकर्तृवाच्यीय क्रियाओं का 'बलात्मक मनाही' (स्ट्रोंग डिनायल्स) में प्रयोग किया

जाता है तो निषेधवाचक अवयव पूर्वकथन के अनुरूप सदा सहायक क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होता है (केलॉग; ५४२)।

निषेधवाचक वाक्यों के संदर्भ में केलॉग के योगदान पर विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि उन्होंने शीर्षक देकर भले ही विचार न किया हो, पर उनके व्याकरण में इस विषय से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री है। यह सामग्री परवर्ती वैयाकरणों के लिए आधारभूमि का कार्य करने में पूर्णतः समर्थ है।

०. १. ३. कामताप्रसाद गुरु (१९२१) ने अर्थ के अधार पर वाक्य के आठ भेद मानकर 'निषेधात्मक वाक्य' को दूसरा भेद माना है, और परिभाषित भी किया है :—'जो किसी विषय का अभाव सूचित करता है,' वह निषेधवाचक वाक्य होता है (गुरु; ३५७)। गुरु द्वारा प्रस्तुत उक्त परिभाषा अपूर्ण है क्योंकि यह निषेध के 'अभावेतर' अर्थों की ओर संकेत नहीं करती। 'निषेधवाचक वाक्य' शीर्षक के अंतर्गत गुरु ने उक्त परिभाषा का ही प्रतिपादन किया है विस्तार से विचार नहीं किया है। केलॉग के समान इनके व्याकरण में से निषेधात्मकता सम्बन्धी सामग्री खोजने के लिए भी उसमें पृष्ठ-दर-पृष्ठ गोते लगाने पड़ते हैं। इनका निषेधवाचक वाक्यों से सम्बन्धित प्रथम कथन है—

'निषेधवाचक वाक्य में कोई का अर्थ सब होता है (गुरु; ७७)। इस मत के समर्थन में गुरु ने निम्नांकित उदाहरण उद्धृत किया है:—

'बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता।' इस वाक्य के संदर्भ में ही यदि 'कोई' का अर्थ 'सब' ग्रहण किया जाए तो उक्त वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यह उदाहरण भी देखिए :—

'आज कोई नहीं आया।'

इस उदाहरण में भी कोई का अर्थ सब लेने से वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वास्तव में इस प्रकार के वाक्यों में कोई का अर्थ 'एक भी' ग्रहण करने पर वाक्य के अर्थ में अन्तर नहीं आता। अतः यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

गुरु ने 'नहीं' को संरचना के आधार पर 'मूल क्रियाविशेषण' तथा प्रकार्याधार पर 'निषेधरीतिवाचक क्रियाविशेषण' स्वीकार किया है (गुरु; ११९-१२१)। गुरु ने अन्यत्र निषेधवाचक विशेषणों पर अलग से टिप्पणी की है। 'न' के विषय में गुरु का कथन है कि—'न' एक स्वतंत्र शब्द है, इसलिए शब्द और प्रत्यय के बीच में नहीं आ सकता। + + + जिन क्रियाओं के साथ 'न' और 'नहीं' दोनों आ सकते हैं, वहां 'न' से केवल निषेध और 'नहीं' से निषेध का निश्चय सूचित होता है। 'न' के प्र०अ०रूप तथा निश्चयार्थ-प्रतिपादक रूप की ओर भी गुरु ने संकेत किया है (हिन्दी व्याकरण परम्परा में इसे गुरु की महत्वपूर्ण देन स्वीकारा जा सकता है कि उन्होंने (–निषेध) न को अलग नाम दिया है)। इस सबके अतिरिक्त 'न···न' के समुच्चयबोधक रूप की ओर भी गुरु ने संकेत किया है। प्रश्न के उत्तरार्थ 'नहीं' के वाक्य के रूप में प्रयोगों की ओर संकेत करते हुए 'नहीं' के साथ 'तो' के निश्चयात्मकता एवं आग्रह सूचकात्मक प्रयोग की ओर संकेत किया है और इसे समुच्चयबोधक माना है (गुरु; १२६-१२७)। गुरु ने उक्त तीनों क्रिया-

विशेषणों के अतिरिक्त 'बिना' पर भी टिप्पणी की है और विभाजकों में 'न-न', 'न कि' 'नहीं तो' को स्थान दिया है। 'न-न' के प्रयोग के विषय में गुरु का मत है कि ये दुहरे क्रियाविशेषण 'समुच्चयबोधक' होकर आते हैं। इनसे दो या अधिक शब्दों या वाक्यों में से प्रत्येक का त्याग सूचित होता है। कभी 'अशक्यता' और कभी 'कार्य कारण' सूचित करने में भी इनका प्रयोग सम्भव है (गुरु; १४१, १४६-१४७)।

'न-कि' को गुरु 'न' और 'कि' से मिलकर बना स्वीकार करते हैं और इससे बहुधा द्वितीय बात का निषेधित होना मानते हैं। 'नहीं तो' को संयुक्त क्रिया-विशेषण मानकर समुच्चयबोधक के रूप में इसका प्रयोग स्वीकार करते हैं। यह बात के त्याग को सूचित करता है। विरोधदर्शक अव्ययों के प्रयोग द्वारा प्रथम वाक्य का निषेध सूचित होना भी गुरु ने स्वीकार किया है (गुरु १४७-१४८)। इनके अनुसार 'कर्मवाच्य क्रिया का अशक्तता के अर्थ में 'न' अथवा 'नहीं' के साथ प्रयोग किया जाता है' और 'भाववाचक क्रिया' बहुधा अशक्तता के अर्थ में आती है तथा 'भाववाच्य क्रिया सदा भावप्रयोग में आती है और उसका उपयोग अशक्तता के अर्थ में 'न' या 'नहीं' के साथ होता है। 'सामान्य वर्तमान काल' में 'नहीं' युक्त वाक्यों में सहकारी क्रिया का लोप हो जाता है' (गुरु; २२१,२६१, २४१)।

गुरु ने उपसर्गों के निषेधात्मक अर्थों की ओर भी संकेत किया है। साथ ही 'अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतों' के बीच में 'न' आगम तथा अवधारणार्थ में निषेधवाचक क्रिया-विशेषण के साथ उसके 'भूतकालिक एवं पूर्वक्रियाद्योतक कृदंत' के प्रयोग का भी संकेत किया गया है (गुरु, २६६, २८२, ३५२)। गुरु ने विधिकाल में तीनों क्रियाविशेषणों का प्रयोग स्वीकार किया है। उनके अनुसार इस प्रकार के वाक्यों में 'न' से साधारण निषेध, 'मत' से कुछ अधिक और 'नहीं' से और भी अधिक निषेध सूचित होता है। 'होना' क्रिया के 'सामान्य भूतकाल' के निषेधवाचक रूप से वर्तमानकाल की इच्छा व्यक्त होने की स्वीकृति भी दी गई है। इन तीनों क्रियाविशेषणों के वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) के संबंध में गुरु का मत यह है कि 'न', सामान्य वर्तमान, अपूर्णभूत और आसन्नभूत (पूर्ण वर्तमान) कालों को छोड़कर बहुधा अन्य कालों में आता है। 'नहीं' संभाव्य भविष्यत्, क्रियार्थक संज्ञा तथा दूसरे कृदंत, विधि और संकेतार्थक कालों में बहुधा नहीं आता। 'मत' केवल विधि काल में ही आता है (गुरु; ३९२, ३९६)।

इन सभी तथ्यों के अतिरिक्त उन्होंने 'पक्षांतर' के संबंध में प्रश्न करने के लिए 'या' के साथ 'नहीं' का उपयोग करने पर होने वाले वाक्य-लोप की ओर भी संकेत किया है। वाक्य में स्थान की दृष्टि से विचार करते हुए गुरु ने तीनों का बहुधा प्रयोग 'क्रियापूर्व' स्थिति में स्वीकार किया है। 'नहीं' और 'मत' क्रिया के पीछे भी आते हैं जबकि 'संयुक्त' अथवा 'संयुक्त कालिक क्रिया' में निषेधवाचक अव्यय का स्थान 'मुख्य एवं सहायक क्रिया' के मध्य में होता है (गुरु; ४१४, ४१७-४१८)।

केलॉग के समान गुरु का विवेचन भी पूर्णतः उदाहरण-पुष्ट है। गुरु के निषेध-वाचक वाक्यों के विवेचन में योगदान पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि इनका भी इस क्षेत्र में पर्याप्त योगदान है। इन्होंने 'निषेधवाचक वाक्य' शीर्षक का प्रयोग करते हुए

निषेधात्मकता को परिभाषित भी किया है।

०.१.४. किशोरीदास वाजपेयी (१९५८) ने निषेधवाचक वाक्यों पर स्वतन्त्र रूप से विचार न करके 'न' और 'नहीं' पर विचार किया है। 'मत' का उल्लेख करना भी वाजपेयी भूल गये हैं। निषेधार्थकता से सम्बन्धित उनके मत के निष्कर्ष हैं 'न' का (निषेध) रूप भी होता है; 'नहीं' में 'न+ही+अनुस्वार' तीन अवयवों का योग रहता है। 'नहीं' के साथ 'ही' का प्रयोग 'नहीं' का बलात्मक प्रयोग है। 'न' द्वारा साधारण तथा 'नहीं' द्वारा दृढ़ निषेध होता है। उनके अनुसार साधारणतः सिद्ध क्रिया के साथ 'नहीं' और साध्य क्रिया के साथ 'न' आता है। 'न' के रूपांतरों के रूप में निषेध के बद्धरूपिमों की ओर संकेत किया गया है। ये बद्धरूपिम हैं :—अ—, अन्—, ना—। (वाजपेयी; २५४-२५५)।

वाजपेयी के 'हिन्दी व्याकरण' १९७७ में तो निषेधात्मकता से संबंधित कोई कथन ही दृष्टिगत नहीं होता।

०.१.५. आर्येन्द्र शर्मा (१९५८) ने भी केलॉग एवं वाजपेयी के समान 'निषेधवाचक वाक्यों' पर विचार नहीं किया है। 'न', 'नहीं', 'मत' को निषेधात्मक क्रियाविशेषण मानकर 'एडवर्ब्स आफ एफर्मेशन एण्ड नेगेशन' (स्वीकारात्मकता एवं निषेधात्मकता के क्रियाविशेषण) शीर्षक के अन्तर्गत विचार किया है। निषेधात्मकता से संबंधित कथन इनके व्याकरण में भी बिखरे हुए हैं, जिन पर क्रमशः विचार किया जा रहा है :—

आदेशवाचक वाक्यों का निषेधात्मक (प्रोहिबिटिव) रूप बनाने के लिए क्रिया से बिल्कुल पूर्व 'मत' अथवा 'न' का प्रयोग किया जाता है। 'मत' के प्रयोग में विनम्रता कम और अधिक बल रहता है। निश्चयार्थक वर्तमान काल (इंडिकेटिव प्रेजेंट) का निषेधात्मक रूप नि० अ० 'नहीं' की सहायता से बनाया जाता है। नहीं का प्रयोग क्रिया से बिल्कुल पहले किया जाता है और (सहायक क्रिया) 'है', 'हैं' आदि का एक नियम के कारण लोप कर दिया जाता है (शर्मा; ८५, ८७)।

शर्मा ने 'है' के लोप में निहित कारण पर प्रकाश नहीं डाला है। 'हेबिच्युअल पास्ट' तथा 'इनफिनिटिव' पर विचार करते हुए भी निषेधात्मक वाक्यों से सम्बन्धित मतों का प्रतिपादन किया है। इनके मतानुसार 'नहीं' का प्रयोग 'कथन' (स्टेटमेंट) का निषेध करने के लिए किया जाता है और प्रश्न के उत्तर के रूप में केवल नहीं का (स्वतन्त्र रूप से) प्रयोग किया जा सकता है। 'नहीं जी' और 'जी नहीं' (कुछ बलात्मक) इसके आदरार्थ रूप हैं। 'नहीं तो' (स्वतन्त्र रूप से) बलपूर्वक किया गया निषेधात्मक उत्तर है जो आश्चर्य, अस्वीकृति (डिसएप्रूवल) आदि सूचित करता है। (शर्मा; ९८, ११०, १५४-१५५)। निषेधवाचक वाक्यों में 'नहीं' का प्रयोग 'इन्डिकेटिव एण्ड प्रीएज़म्पटिव मूड्स' में ही होता है। 'आप्टेटिव एण्ड इम्पेरेटिव मूड्स' (इच्छार्थक एवं आदेशवाचक वृत्ति) में अनुचित होता है। वर्तमान तथा वर्तमान पूर्ण काल में प्रायः 'है' का लोप हो जाता है। 'मत' का प्रयोग आदेशवाचक वृत्ति के साथ ही होता है, इच्छार्थक वृत्ति में केवल 'न' का ही प्रयोग किया जाता है। 'न...न' सभी कालों एवं वृत्तियों में संयोजक का कार्य करता है। 'नहीं' और 'मत' का इस रूप में प्रयोग संभव नहीं है। 'न' का (—निषेध) प्रयोग भी संभव है। 'नहीं'/'नाहीं' का संज्ञा के रूप में स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। शर्मा ने उपसर्गों के निषेधात्मक अर्थ की ओर भी संकेत किया है। (शर्मा; १५५, १७९)।

आर्येन्द्र शर्मा के उक्त मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनका निषेधवाचक वाक्यों के विवेचन में विशेष योगदान नहीं रहा है। इन्होंने परम्परागत तथ्यों का संकलन मात्र कर दिया है।

०.१.६. दीमशित्स (१९६८) ने भी अन्य वैयाकरणों के समान 'निषेधवाचक वाक्यों' पर विचार नहीं किया है। अन्य वैयाकरणों द्वारा प्रतिपादित 'निषेधात्मक क्रियाविशेषणों' को इन्होंने 'निपात' कहकर प्रचारित किया है। निषेधात्मकता से सम्बन्धित इनके समस्त विचार 'नकारात्मक निपात' शीर्षक के अन्तर्गत ही संकलित हैं। दीमशित्स के अनुसार 'नहीं' निपात का प्रयोग निम्नांकित रूपों में होता है—

१. नकारात्मक उत्तर में स्वतन्त्र रूप से (वाक्य के अर्थ में)।
२. क्रिया के उन व्यापारों तथा तथ्यों की अस्वीकृति के लिए जो वास्तविक प्रतीत होते हैं।
३. इसका प्रायः क्रिया के 'वर्तमानकालिक' तथा 'भूतकालिक' रूपों के साथ प्रयोग किया जाता है।
४. क्रिया के 'आज्ञार्थक रूपों' के साथ भी इसका प्रयोग संभव है।
५. भविष्यकाल में इसका प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है।
६. इसका बलात्मक प्रयोग विधेय के अंगों के बीच में होता है।
७. 'करना' क्रिया के साथ स्वतन्त्र शब्द समुदायक रूप में प्रयोग संभव है। इसका उदाहरण आगे दिया जा रहा है—? 'नहीं न कीजिएगा'

यह संकेत चिह्न (?) से ही स्पष्ट है यह अभिव्यक्ति पूर्णरूपेण ग्राह्य नहीं है। इसके स्थान पर 'नहीं मत कीजिएगा' अधिक ग्राह्य है।

८. 'नहीं' का संयुक्तयोजक के रूप में 'केवल' के साथ प्रयोग होता है तथा अनिश्चयवाचक सर्वनामों तथा क्रियाविशेषणों के साथ सर्वनाम तथा क्रियाविशेषण के कार्य में प्रयुक्त होता है।

९. इसका 'जी नहीं' रूप आदरसूचक उत्तर के रूप में प्रयुक्त होता है।

इनके अनुसार 'न' निपात का प्रयोग निम्नांकित क्रियारूपों के साथ होता है—

१. क्रिया के सभी रूपों एवं प्रकारों के साथ तथा ('मत' के समान) 'आज्ञार्थक क्रिया रूपों, के साथ भी 'न' का प्रयोग किया जा सकता है।

२. पूर्णकालिक कृदंत तथा क्रिया के सामान्य रूप वाली रचनाओं के साथ भी 'न' का प्रयोग हो सकता है। इस कथन के समर्थन में दीमशित्स ने निम्नांकित उदाहरण उद्धृत किया है :—

'पुस्तक न पढ़कर आप उसके विषय में क्या कह सकते हैं।' पर यह उदाहरण सामान्य हिन्दी में ग्राह्य नहीं है क्योंकि इस वाक्य में 'न' के स्थान पर 'बिना' का प्रयोग अधिक ग्राह्य ठहरता है।

३. 'न...न' योजक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है।

४. 'न' का 'अनिश्चयवाचक सर्वनामों' तथा 'क्रियाविशेषणों' के साथ नकारार्थक सर्वनाम तथा क्रियाविशेषणों के अर्थ में हिन्दी में प्रयोग किया जाता है। 'मत' के विषय में इनका कथन है कि यह आज्ञार्थक प्रकार के सभी रूपों तथा आज्ञार्थक प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है (दीमशित्स; २१५-२१६)।

संयुक्त निपातों में इन्होंने 'नहीं ही' को ही स्थान दिया है तथा इनके अनुसार 'नकारार्थक' वाक्यों में पूर्ण भूतकालिक क्रिया के साथ भी, निपात का प्रयोग मुख्य वाक्य की क्रिया के व्यापार की असमाप्ति को ध्वनित करता है(दीमशित्स; २२०-२२१)। इनके मतानुसार 'पाना' और 'देना' क्रियाएँ नकारार्थक वाक्यों में अनुमति तथा 'जाना' क्रिया अक्षमता को सूचित करती है (दीमशित्स; २६८-२६९)।

दीमशित्स का भी निषेधवाचक वाक्यों के विवेचन में विशेष योगदान नहीं रहा; इनका विवेचन भी परम्परा का पिष्टपेषण मात्र ही है।

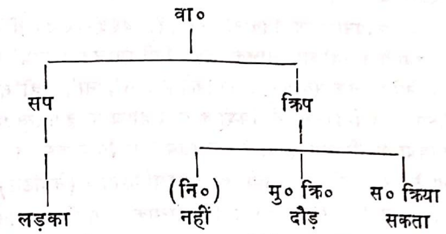
०.१.७. हरदेव बाहरी (१९७२, १४२-१४३) ने 'रीतिवाचक क्रियाविशेषणों' के अन्तर्गत निषेधबोधक 'न', 'नहीं', 'मत', 'कहीं नहीं', 'कहीं भी नहीं' को स्थान दिया है। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि इनमें से मात्र तीन ही मुख्य क्रियाविशेषण हैं, शेष उनके संयुक्त/यौगिक रूप हैं। कालविवेचन पर विचार करते हुए बाहरी ने 'है' लोप की ओर संकेत किया है। 'मत' का प्रयोग निषेधादेश में माना है। 'नहीं' को 'न' की अपेक्षा अधिक बलात्मक माना है। 'इच्छार्थक' वाक्यों में 'न' के प्रयोग को स्वीकार करते हुए उन्होंने 'नहीं' का प्रयोग निषेधित किया है(बाहरी; १२३-१२४, १४६, १४७)। कामता-प्रसाद गुरु के समान हरदेव बाहरी ने भी 'निषेधवाचक वाक्य' को परिभाषित किया है—'निषेधवाचक वाक्य में कार्य का निषेध पाया जाता है।' (बाहरी; १६६)

इसके अतिरिक्त बाहरी ने वाक्यांतरण या वाक्य परिवर्तन में 'विधानवाचक से निषेधवाचक' या उल्टे (निषेधवाचक से विधानवाचक) रूपांतरण पर भी विचार किया है तथा 'निषेधवाचक क्रियाविशेषणों' के वाक्य में स्थान पर भी अपना मत प्रस्तुत किया है (बाहरी; १७४, १८०)। बाहरी ने भी कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है अपितु परम्परागत तथ्यों का संकेत मात्र कर दिया है।

०.२. प्रतिमानों पर आधारित व्याकरण

प्रतिमानों पर आधारित व्याकरण लिखने वाले वैयाकरणों में से बहल (१९६७) लक्ष्मीबाई बालचन्द्रन (१९७३) ने अपने व्याकरणों में निषेधात्मक वाक्यों के उदाहरण तो अवश्य दिए हैं; पर निषेधवाचक वाक्यों अथवा इनसे सम्बन्धित किसी विषय पर विचार नहीं किया। काचरू (१९६६) तथा राजगोपालन (१९७२) ने निषेधात्मक वाक्यों का चाम्स्की के रूपांतरणपरक व्याकरण के आधार पर विवेचन किया है।

०.२.१. काचरू (१९६६) ने रू० प्र० व्याकरण के आधार पर हिन्दी से निषेधात्मक वाक्यों की निर्माण प्रक्रिया पर विचार किया है। इन्होंने अंग्रेजी की नि० रू० प्रक्रिया की अपेक्षा हिन्दी की नि० रू० प्रक्रिया को आसान माना है। इनके अनुसार 'न' और 'नहीं' सदा 'क्रियापूर्व स्थिति' में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसाकि पहले भी संकेत किया गया है और परवर्ती विवेचन में भी स्पष्ट किया जाएगा, यह कथन उचित नहीं है। इन्होंने निषेधवाचक अवयव का वाक्य के अन्य अवयवों से सम्बन्ध दर्शाने के लिए निम्नांकित चित्र प्रस्तुत किया है और निषेध को क्रिया पदबंध का अंग माना है :—



इनके अनुसार निषेधवाचक अवयव 'नहीं' के वाक्य में प्रयोग के कारण वाक्य की बाह्य संरचना (सरफेस फोर्म) में निम्नांकित परिवर्तन आते हैं—

१. 'नहीं' का प्रयोग 'पूरक विधेय' (प्रेडिकेट कम्पलीमेंट) और 'क्रिया होना' के मध्य में होता है।

२. पक्षद्योतक चिह्नक—'ता' और—'या' के पश्चात् सहायक क्रिया 'है' का लोप हो जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन्होंने 'नहीं' को 'न+क्रिया हो' का प्रयोग स्वीकार किया है।(काचरू; १७७-१७८)

काचरू ने निषेधादेश की रूपांतरण प्रक्रिया निषेधात्मक वाक्यों के समान ही स्वीकार की है। उनके अनुसार इन दोनों में मात्र नि० अ० का अंतर होता है। काचरू ने 'मत' के आदरार्थ आदि प्रयोगों की ओर तो संकेत किया ही है साथ ही 'न...न' और 'नहीं तो' का निषेधात्मक वियोजक के रूप में प्रतिपादन किया है। (काचरू, १८५-१८६)

काचरू द्वारा किया गया हिन्दी के निषेधवाचक वाक्यों का विवेचन किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं है और निषेध के किसी भी क्षेत्र को अपने में समेटने में असमर्थ है। निषेधादेश का प्रस्तुत कृति में विस्तृत विवेचन किया जा रहा है।

०.२.२. न० वी० राजगोपालन (१९७३) ने 'न और नहीं की समस्या' पर रू० प्र० व्याकरण की दृष्टि से विचार किया है।। 'न और नहीं की समस्या' शीर्षक उनके निषेधवाचक वाक्यों के विवेचन की पूरी कहानी कहने में असमर्थ है। इन्होंने इसके अंतर्गत 'मत' युक्त वाक्यों का भी विवेचन किया है। इन्होंने अनेक प्रकार के निषेधवाचक वाक्यों को लेकर उनके आधार पर निषेधवाचक अवयवों के हिन्दी में प्रयोग के विषय में अनेक सामान्य नियम बनाए हैं और वृक्षचित्रों (ट्री डायग्राम्स) के द्वारा भी स्पष्टीकरण किया है (राजगोपालन; १३५-१३९)। इनके द्वारा किया गया संपूर्ण विवेचन इतना जटिल है कि अनेक बार पढ़ने पर भी समझ में ही नहीं आता।

प्रविष्ट संख्या Accession No 66530

०.३. अन्य ग्रंथों में निषेध विषय पर विचार

अन्य ग्रंथों के अंतर्गत हिन्दी भाषा से सम्बन्धित सामान्य ग्रंथों, शोध-प्रबंधों, शोध-निबंधों आदि सभी को एक साथ लिया जा रहा है।

०. ३. १. धीरेन्द्र वर्मा (१९६२, ३११) ने निषेधवाचक अवयवों में मात्र एक 'नहीं' का उल्लेख किया है।

०. ३.२. उदयनारायण तिवारी (१९६१, ४९५-४९८) धीरेन्द्र वर्मा से कुछ आगे बढ़े हैं। तिवारी ने 'स्वीकार वाचक तथा निषेधवाचक अव्यय' विषय पर विचार करते हुए चार निषेधवाचक अव्यय स्वीकार किये हैं : 'न', 'ना', 'नहीं' तथा 'मत'। उनके अनुसार 'न','ना' का प्रयोग किसी भी क्रिया के साथ हो जाता है परन्तु 'मत' का व्यवहार केवल विधि-क्रिया के ही साथ होता है। निषेधवाचक विभाजक 'न' का प्रयोग प्रत्येक वाक्य में माना है, तथा 'न', 'ना', 'नहीं' को असम्मतिज्ञापक (नेगेटिव) कहा है।

०. ३. ३. जे०सिंह (१९६८) ने निषेधात्मक उपसर्गों के वर्णन से अपने विवेचन का प्रारम्भ किया है। वाक्य के स्तर पर निषेधवाचक अवयव की क्रियापूर्व तथा क्रियापश्चात् स्थितियों पर विचार किया है। जे० सिंह के विवेचन को भाटिया ने संरचनात्मक ढांचे पर किया गया कार्य माना है।

०. ३. ४. चतुर्भुज सहाय (१९६८, ६९-७९) ने अपने शोध-निबंध में निषेधात्मक वाक्यों के अनेक पक्षों पर विचार किया है :

सहाय ने तीन नकारात्मक निपातों के अलावा 'थोड़े' 'कहां' और 'भला' को अन्य निषेधात्मक शब्द माना है, तथा 'वाक्य में शब्द क्रम की दृष्टि से विचार करते हुए 'नहीं' और 'मत' के वाक्य में स्थान पर विचार किया है। इसी प्रकार 'न', 'नहीं', और 'मत' के वितरण की दृष्टि से उन्होंने सर्वाधिक सटीक एवं विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने 'नहीं' के वाक्य में प्रयोग से संयुक्त क्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव और संयुक्त क्रिया की सहायक क्रियाओं (रंजक एवं वृत्तिक) के लोप पर भी प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं इन्होंने 'है' के लोप की स्थितियों का निर्धारण भी किया है। इन सबके अतिरिक्त सहाय ने—'नहीं तो', 'न···न', 'न···कि', 'न तो', 'न केवल', 'न कि' आदि से युक्त वाक्यों के उदाहरण भी उद्धृत किए हैं।

०.३. ५. इंदर सिंह (१९७१; ३७-४२) ने काचरू एवं राजगोपालन के समान रू०प्र० व्याकरण के आधार पर निषेधात्मकता का विवेचन किया है। सिंह के अनुसार आंतरिक संरचना में नि० अ० वाक्य द्वारा शासित (डोमिनेटिड) होता है परन्तु बाह्य संरचना में विभिन्न स्थलों पर प्रयुक्त होता है। (काचरू ने क्रि०प० द्वारा शासित माना है)। इनके अनुसार क्रम विपरिवर्तन रूपांतरण नियम (परमूटेशन) के फलस्वरूप नि० अ० बाह्य संरचना में उपयुक्त स्थल पर आ जाता है। यह मत क्लीमा (१९६४; ४२१) के प्रभाव का परिणाम है।

सिंह के अनुसार 'शैली-वैभिन्य' का भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्व होता है। निषेधात्मक अवयव के वाक्य में स्थान के संदर्भ में भी यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पर इस पक्ष को छोड़ दिया गया है। इन्होंने निषेधात्मक बद्धरूपिम युक्त पदों का स्रोत वाक्य माना है (पर यह विवाद का विषय है) तथा निषेधद्वय (डबल नेगेटिव) पर विचार करते हुए दो प्रकार के निषेधद्वय का प्रतिपादन किया है। आपने दोनों प्रकार के निषेधद्वय की आंतरिक एवं बाह्य संरचना पर रू०प्र० व्याकरण के आधार पर विचार किया है। इनके अनुसार 'मत' का प्रयोग आदेशवाचक वाक्यों में होता है तथा 'न' का प्रयोग विनय, संभावना अथवा किसी कार्य का निश्चय (निषेधात्मक) सूचित करने के लिए किया जाता है। अन्त में इन्दरसिंह कहते हैं कि हिन्दी में निषेधात्मक रूपिम निम्नांकित रूपों में भी पहचाना जाता है—

अ —,अन्—, नि—, ना—, बिना, गैर—, बे—,—हीन,—विहीन,—शून्य, —रहित।

०. ३. ६. कालरा (श्रीमती) (१९७१, २९३-२९४) ने अन्य विद्वानों के समान तीन ही निषेधार्थक क्रिया विशेषण स्वीकार किए हैं। उनके अनुसार 'मत' का प्रयोग केवल निषेधात्मक आदेश के लिए होता है। 'न' और 'नहीं' सभी प्रकार के वाक्यों में आते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अतिखंडीय (सुपरसेगमेंट्स) तत्वों के योग से 'न' अथवा 'नहीं' का प्रश्नात्मक बनना स्वीकार किया है। निषेधद्वय के दोनों रूपों के उल्लेख के अतिरिक्त निषेधवाचक अव्यय युक्त वाक्य के भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थों की ओर भी संकेत किया है। 'न' और 'नहीं' का यदि वाक्य में स्थान-परिवर्तित कर दिया जाए तो उससे अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है, कालरा ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है। उनके अनुसार जब 'क्रियार्थक संज्ञा', 'क्रिया' अथवा 'क्रिया वाक्यांश' के रूप में प्रयुक्त होती है तब 'न', 'नहीं' निषेधात्मक न रहकर सुझाव अथवा आदेशमूलक हो जाते हैं। हिन्दी के 'नि०अ०' से युक्त वाक्यों के परिमाण के विषय में इनका विचार है कि— 'हिन्दी में निषेधात्मक अर्थ में सर्वाधिक 'नहीं' का प्रयोग होता है। 'मत' का प्रयोग अपेक्षाकृत सीमित है। प्रयोग की दृष्टि से 'न' की अवांतर स्थितियाँ संरचना एवं अर्थवत्ता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

कालरा (३६२-३६६) ने 'क्रमांतर और सुरक्रम' शीर्षक के अंतर्गत भी निषेधवाचक वाक्यों के उदाहरण दिए हैं तथा वृक्षचित्रों (ट्री डायग्राम्स) द्वारा स्पष्टीकरण भी किया है। वाक्य में अर्थ-रूपांतरण पर विचार करते हुए उन्होंने निषेधात्मक ⇒ स्वीकारात्मक तथा स्वीकारात्मक ⇒ निषेधात्मक रूपांतरणों पर भी विचार किया है। वाक्-पद्धति मूलक स्वीकारात्मक वाक्यों की निषेधात्मकता पर भी सोदाहरण प्रकाश डाला है। निषेध द्वय (दोहरा निषेध) का प्रयोग स्वीकारात्मक माना है। यदा-कदा अर्थ-विच्छति में आने वाले अंतर की ओर भी संकेत किया है। इस सब के अतिरिक्त कतिपय उन्होंने ऐसे प्रयोग भी स्वीकार किए हैं जिनका स्थानापन्न सकारात्मक वाक्य संभव नहीं होता। विशेष रचनाएँ शीर्षक के अंतर्गत लोप की दो प्रकृतियाँ—१. स्वतः अनुमित, २. प्रसंग अनुमित निरूपित करके प्रसंगानुमित में 'नहीं' के 'एकपदीय वाक्य' का संकेत एवं विवेचन किया है।

०.३.७. वर्मा (१९७८; ९१, १२७-१२८) ने भी निषेधात्मकता से संबंधित कुछ

मत व्यक्त किए हैं। 'अंग्रेजी एवं हिन्दी के संज्ञा पदबंधों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए वे कहते हैं कि अंग्रेजी संज्ञा पदबंधों में निषेध को मूल स्थान (क्रिया पदबंध में) से आकर्षित करने की संभावना रहती है, जबकि हिन्दी में ऐसी कोई संभावना नहीं होती, तथा क्रिया+विस्तारक(एक्सप्लीकेटर) रचनाएँ (खरीद लेना, खरीद देना, कर डालना) हिन्दी के निषेधात्मक वाक्यों में संभव नहीं हैं। वर्मा ने एक प्रकार के हिन्दी वाक्यों में निषेधात्मक अव्यय को संज्ञा पदबंध के अंग के रूप में स्वीकार किया है। उदाहरण निम्नांकित है :—

'सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी आएँगी।' पर आर्थी धरातल पर देखें तो इस 'नहीं' का अर्थ निषेधात्मक नहीं है और यदि रू० प्र० व्याकरण के आधार पर इसका स्पष्टीकरण करना चाहें तो आंतरिक संरचना के स्तर पर इस वाक्य का रूप निम्नांकित होगा :

'लड़के आएँगे और लड़कियाँ भी आएँगी।'

जब इस वाक्य की आंतरिक संरचना को उक्त बाह्य संरचना में परिवर्तित किया जाएगा तो 'पहली क्रिया' एवं 'और' का लोप हो जाएगा तथा 'सिर्फ···ही नहीं' का आगम हो जाएगा। इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि इस प्रकार के वाक्यों में भी निषेधवाचक अव्यय संज्ञा पदबंध का अंग नहीं होता।

०. ३. ८. हुक (१९७४) ने 'नहीं' युक्त वाक्यों में संयुक्त क्रिया की स्थिति पर पर्याप्त विस्तार से विचार किया है। व्याकरणिक एवं अव्याकरणिक दोनों प्रकार के वाक्यों के उदाहरण हुक ने अपनी कृति में उद्धत किए हैं। इस विषय से संबंधित सामग्री उनकी कृति में अनेक स्थानों पर मिलती है। अपने विवेचन में हुक ने हिन्दी की निषेधात्मक संयुक्त क्रियाओं पर विचार करने वाले अनेक विद्वानों के नाम गिनाए हैं—बार्कर, बर्टन, हाकर, पाहवा, प्रे आदि उनमें से कुछ हैं। हुक पी० ई० (१९७४; ८५, ८७, ९८ १००, १०९, ११२, ११४, २०२-२०७, २१६)।

०.३.९. तेज के० भाटिया का 'नोट्स आन नेगेशन इन हिन्दी' शोध-प्रबंध अप्रकाशित होने के कारण अनुपलब्ध ही रहा। भाटिया (१९७२, १-२३) ने एक शोध-पत्र में निषेध के क्षेत्र (स्कोप) पर विचार किया है। भाटिया ने इसमें पाश्चात्य एवं भारतीय दर्शन आदि की निषेध विषयक धारणाओं का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी भाषा-वैज्ञानिकों के निषेध संबंधी विवेचन की ओर संकेत किया है तथा हिंदी में हुए निषेध सम्बन्धी कार्यों को दो वर्गों—१. परंपरागत व्याकरण (ट्रेडीशनल ग्रामर्स), २. आधुनिक वर्णन (रिसेन्ट डिस्क्रिप्शन) में रखकर विचार किया है।

भाटिया ने तीन निषेधवाचक अवयवों में से 'नहीं' को मुख्य माना है। उनके अनुसार शेष दोनों सीमित स्थितियों यथा 'मत' आदेशवाचक क्रियाओं के साथ तथा 'न' इच्छार्थक आदेश (इम्पेरेटिव आप्टेटिव), पार्टिसिपल, जिरन्डिव और समानाधिकरण रचनाओं (कान्जोइन्ड कन्स्ट्रक्शन्स) में प्रयुक्त होता है। भाटिया ने निषेध के क्षेत्र (स्कोप ऑफ नेगेशन) से संबंधित दो वाद स्वीकार किए हैं—१. क्लीमा-सिद्धांत, २. लासनिक-सिद्धांत। इनमें से दूसरे को ही उन्होंने अपने विवेचन के आधार के रूप में स्वीकार किया है। भाटिया ने अपने शोध-पत्र में 'साधारण वाक्य में निषेध का क्षेत्र' विषय पर पर्याप्त विस्तार से विचार किया है। उनके अनुसार क्रिया सदा निषेध के क्षेत्र में नहीं रहती; अन्य अवयव भी इसके क्षेत्र में हो सकते हैं। निषेध का क्षेत्र—'मात्र विधेय की क्रिया', 'विधेय का कर्म' अथवा 'पूरा क्रिया पदबन्ध' हो सकता है। एक ही वाक्य में निषेध का क्षेत्र परिवर्तित होने पर वाक्य अनेकार्थक (एम्बीग्यूअस) हो जाता है। भाटिया ने स्थानवाचक क्रिया विशेषणों (लोकेटिव एडवर्ब्स) तथा समयवाचक क्रिया विशेषणों (डूरेटिव एडवर्ब्स) संयुक्त निषेधात्मक वाक्यों में भी समान प्रक्रिया मानकर उनका भी विवेचन किया है। इस विवेचन में उन्होंने गीस के विश्लेषण की अपूर्णताओं (इनएडिक्वेसीज़) की ओर भी संकेत किया है।

भाटिया ने निषेधद्वय का एक उदाहरण देकर कहा है कि वाक्यीय (सेन्टेंशियल) एवं अवयवीय (कॉन्स्टीट्यूएंट) निषेध में मात्र ध्वन्यात्मक तथा रूपिमात्मक अंतर है, वाक्यीय अथवा आर्थी नहीं। पीछे कालरा (श्रीमती) के मत का उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने निषेधद्वय युक्त वाक्य तथा (निषेध) वाक्य की अर्थ-विच्छति में अन्तर स्वीकार किया है जो कि उचित है। अतः भाटिया की उक्त धारणा खंडित हो जाती है। उन्होंने बलात्मक अवयव 'तो' एवं 'ही' का आश्रय लेकर भी निषेध के क्षेत्र का स्पष्टीकरण किया है। इन सभी तथ्यों के अतिरिक्त भाटिया ने 'निषेध' का क्षेत्र एवं 'समानाधिकरण' वाक्य तथा 'पक्ष और निषेध' विषयों पर भी विचार किया है। 'पक्ष और संबंध' पर विचार करते हुए भाटिया ने निम्नांकित मत व्यक्त किया है 'नि०अ०' जब 'क्रिया—' के रूप में प्रयोग किया जाता है तो निषेध का क्षेत्र या तो 'क्रिया तक' अथवा 'क्रिया के काल एवं पक्ष' तक सीमित होता है।

०. ३. १०. के० वी सुब्बाराव (१९७४) ने निषेधात्मक वाक्यों पर विचार तो नहीं किया है पर यदा-कदा निषेधात्मक उदाहरण अवश्य उद्धृत किए हैं।

०. ३. ११. राजेश्वरी पांढारी पांडेय (१९७५, १०६-११७) ने 'चलना' क्रिया की आर्थी संरचना पर विचार करते हुए अनेक निषेधवाचक वाक्यों को उदाहरण स्वरूप तो ग्रहण किया ही है साथ ही उनकी व्याकरणिकता एवं अव्याकरणिकता के कारणों की ओर भी संकेत किया है।

०. ३. १२. एलिस डेविसन (१९७६, २१-४२) ने अपने शोध-पत्र में उल्लिखित विषय पर तो विस्तार से विचार किया ही है इसके साथ-साथ उनके विवेचन में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर संकेत भी दृष्टिगत होता है। उनके अनुसार हिन्दी में निषेधात्मक 'नहीं' 'क्रिया' अथवा 'क्रिया के बायीं ओर के किसी अवयव' का निषेध कर सकता है जबकि अंग्रेजी से निषेधात्मक अवयव प्रायः क्रिया के दायीं ओर के अवयवों का निषेध करते हैं।

०. ३. १३. भोलानाथ तिवारी (१९७६, २६३-२६४) ने निषेधवाचक वाक्यों को 'निषेधबोधक वाक्य' शीर्षक देकर अलग से विचार किया है। तिवारी ने निषेधबोधकता के दो मूल प्रकार १. शब्दस्तरीय एवं २. वाक्यस्तरीय स्वीकार किए हैं। शब्दस्तरीय निषेधबोधकता का पुनः दो भेदों 'उपसर्गीय' और 'समासीय' में वर्गीकरण किया है,

तथा वाक्यस्तरीय निषेधबोधकता के छः भेद किए हैं। इसके अतिरिक्त तिवारी ने निषेध-बोधक वाक्यों की संरचना से सम्बन्धित कुछ परम्परा से स्वीकृत तथ्यों का उल्लेख किया है और वाक्य में निषेधात्मकता को दो प्रकार का पदस्तरीय एवं वाक्यस्तरीय माना है। शब्द संरचना पर विचार करते हुए तिवारी ने उपसर्गों के निषेधात्मक अर्थों की ओर भी संकेत किया है। (तिवारी; १३७-१३९)। तिवारी ने अनुतान पर विचार करते हुए निषेधाज्ञा एवं विभिन्न प्रकार के निषेधसूचक वाक्यों में अनुतानपर भी विचार किया है। (तिवारी; ११२-११३) निषेधबोधक वाक्यों के तिवारी द्वारा किए गए विवेचन से यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में उनका योगदान विषय से संबंधित समग्र सामग्री को एकत्रित, व्यवस्थित तथा वर्गीकृत करने में है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक नवीन विषय 'निषेधबोधक वाक्यों में अनुतान' पर भी विचार किया है।

०.३.१४. संपादक-त्रय रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, बालगोविन्द मिश्र एवं भोलानाथ तिवारी के संपादनों में सद्यः प्रकाशित हिन्दी-भाषा विषयक कृतियों में भी निषेधवाचक वाक्यों से संबंधित एक-एक कथन दृष्टिगत होता है। श्रीवास्तव, मिश्र एवं तिवारी (१९८०क-३७)में संयुक्त क्रिया के प्रथम अथवा दूसरे रूप के लोप तथा शेष बचे रूप में परिवर्तन से संबंधित कथन है; तथा श्रीवास्तव, मिश्र, एवं तिवारी (१९८०, ख,११) में भी एक निषेधात्मकता से संबंधित वक्तव्य है। इस वक्तव्य का मूलाधार निम्नांकित निषेधात्मक वाक्य है :

'मोहन ने पिताजी को पत्र नहीं लिखा।'

इस वाक्य के विषय में यह प्रश्न उठाया गया है कि इस वाक्य में निषेध किसका है—क्रिया अर्थात् 'लिखने का' अथवा संज्ञापद 'पिताजी' का। इस प्रश्न का समाधान भी किया गया है कि उचित उत्तर के लिए संदर्भ का सहारा लेना पड़ता है। वास्तव में यह अनेकार्थी वाक्य है जो अर्थ की स्पष्टता के लिए संदर्भ की अपेक्षा रखता है, यथा—

१. मोहन ने पिताजी को पत्र नहीं लिखा (लेकिन वह कल अवश्य लिख देगा)।

२. मोहन ने पिताजी को पत्र नहीं लिखा बल्कि चाचाजी को लिखा है।

भाषा अथवा भाषाविज्ञान के ग्रंथों के अतिरिक्त 'निषेध' पर दर्शन एवं तर्कशास्त्र आदि में भी विचार किया गया है। दर्शन एवं तर्कशास्त्र आदि में विवेचित निषेध एवं उनके स्वरूप का विवेचन शोध-निबंध की सीमा का ध्यान रखते हुए नहीं किया जा रहा है।[1]

---

१. अधिक जानकारी के लिए दे० भट्टाचार्य (१९६५) (भाटिया से उद्धृत)

'निषेध'—अभिप्राय एवं भेद-प्रभेद

आधुनिक भाषाविज्ञान के जनक सस्यूर के भाषाविज्ञानाकाश में उदय से पूर्व यह धारणा प्रचलित थी कि 'भाषा' मात्र एक ही प्रकार की होती है। प्रकारान्तर से कहना चाहें तो 'भाषा' शब्द का भाषाविज्ञान में प्रयोग अत्यधिक व्यापक था। सस्यूर (जोनाथन कूलर; १९७६; २९-३४) ने भाषा के दो रूपों—'लाँग' और 'पैरोल' का निरूपण करते हुए भाषा के अनभिव्यक्त तथा अभिव्यक्त रूप में अन्तर स्वीकार किया। हिन्दी में इन दोनों के लिए क्रमशः 'भाषा' और 'वाक्' शब्द का प्रचलन है पर सस्यूर का अभिमत 'भाषिक व्यवस्था' एवं 'भाषिक अभिव्यक्ति' (वाक्य इसी का एक अंग है) से अधिक स्पष्ट होता है। सस्यूर के अनुसार किसी भी भाषा की 'मूल व्यवस्था' उस भाषा के मूल भाषा-भाषी (नेटिव स्पीकर) के मस्तिष्क में रहती है। भाषिक अभिव्यक्तियाँ इसी भाषिक व्यवस्था के आधार पर की जाती हैं। सस्यूर के मस्तिष्क में भाषा के इन दोनों रूपों में अन्तर करने के कारण कुछ भी रहे हों पर अब यह पार्थक्य भाषा वैज्ञानिकों द्वारा मान्य हो चुका है।

चॉम्स्की (१९६५, ३-१५) ने उक्त अन्तर को नये आवरण के साथ स्वीकार किया है। उसने सस्यूर-कृत भाषा के इन दोनों भेदों का नाम परिवर्तन मात्र कर दिया। चॉम्स्की ने सस्यूर-कृत भेदों—'लाँग' और 'पैरोल' के स्थान पर 'कंपिटेंस' और 'परफार्मेंस' के नाम से उक्त दोनों भेदों को स्वीकार किया। रू० प्र० व्याकरण (टी० जी० ग्रामर) को गत शतकों में महत्ता मिलने के कारण, चॉम्स्की प्रदत्त शब्दावली अब भाषाविज्ञान में प्रचलित हो गई है। सस्यूर प्रदत्त पारिभाषिक शब्द अब मात्र ऐतिहासिक महत्व के रह गए हैं।

'भाषिक व्यवस्था' एवं 'भाषिक अभिव्यक्ति' में अन्तर करना अनेक कारणों से आवश्यक है। विभिन्न भाषाओं के प्रोक्तिय विवेचन से ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक भाषा में अनेक अपूर्ण अभिव्यक्तियाँ होती हैं जो पूर्व अथवा परवर्ती संदर्भ के कारण स्पष्ट होती हैं। इसी प्रकार भाषिक अभिव्यक्तियों में अनेक प्रकार की अव्याकरणिकताएँ भी आ जाती हैं। इन दोनों से भी महत्वपूर्ण एक कारण और भी है—सामाजिक बंधन। अनेक भाषिक अभिव्यक्तियां संरचना आदि के धरातल पर व्याकरणिक होते हुए भी सामाजिक बंधनों के कारण अग्राह्य होती हैं। चॉम्स्की के अनुसार—भाषावैज्ञानिक का लक्ष्य भाषिक-अभिव्यक्तियों के माध्यम से भाषिक व्यवस्था तक पहुँचना है। इस कथन

को अन्य प्रकार से कहना चाहें तो कहा जा सकता है कि भाषा वैज्ञानिक का कार्य किसी भी भाषा की भाषिक-अभिव्यक्तियों के आधार पर उन नियमों का निर्माण एवं निर्धारण करना होता है जो कि उस भाषा के मूल भाषा-भाषी के मस्तिष्क में रहते हैं। ये नियम वस्तुतः वे ही होते हैं जिनके आधार पर 'मूल भाषा-भाषी' अपनी भाषिक व्यवस्था को भाषिक अभिव्यक्ति का रूप प्रदान करता है। अतः प्रत्येक भाषा वैज्ञानिक के लिए आवश्यक है कि यदि वह भाषिक अभिव्यक्तियों से सम्बन्धित किसी विषय पर विचार करता है तो वह उस विषय से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं को भाषिक व्यवस्था के धरातल पर भी विवेचित करे।

१. निषेध का अर्थ[1]

निषेध का सामान्य अर्थ 'अभाव' होता है; पर उपसर्गों के समान यह भी अपने अर्थ का वाचक नहीं होता अपितु द्योतक ही होता है। अर्थ-द्योतन चार प्रकार से स्वीकार किया गया है। निषेध का अर्थ मात्र दो प्रकारों से ही द्योतक होता है। वे दो प्रकार निम्नांकित हैं :—

१. अन्योन्याभाव, और २. अत्यन्ताभाव।

अन्योन्याभाव वहां होता है, जहां निषेध का प्रयोग समस्त प्रयोगों में किया जाता है जबकि अत्यन्ताभाव में निषेध अभिव्यक्ति में क्रिया पर आश्रित होता है (चतुर्वेदी, १९७८,५१)

प्रसिद्ध वैयाकरण नगेश ने भर्तृहरि की एक कारिका का उद्धरण देते हुए निषेध (नञ्) के छह अर्थों का उल्लेख किया है—

तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वे तदल्पता।
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट्प्रकीतिताः॥

१. सादृश्य, २. अभाव, ३. अन्यत्व, ४. अल्पता कमी, ५. निन्दा निकृष्टता, ६. विरोध विपरीतता (चतुर्वेदी, १९६८, ५१-५२)।

---

१. निषेध के अर्थ के लिए संदर्भ-ग्रंथ सूची निम्नांकित है—
१. बृहद हिन्दी कोश (कालिकाप्रसाद आदि) (१९६३)-७६१
२. बृहद अंग्रेजी हिन्दी कोश (हरदेव बाहरी) (१९६९)-१२०४
३. प्रामाणिक हिन्दी कोश (रामचन्द्र वर्मा) (१९५१)-७११
४. हिन्दी शब्द सागर (श्यामसुन्दर दास) (१९६८)-२६५६
५. दी रेन्डमहाउस डिक्शनरी ऑफ दी इंग्लिश लेंग्वेज (टी० स्टाइन एण्ड एल० उर्डग) (१९६७)-६५६
६. आक्सफोर्ड डिक्शनरी (वोल्यूम ८) (१९६१) ७७-७८
७. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी (वोल्यूम ५) (पॉल एडवार्ड्स सं०) (१९६७)-४५८-६३ आदि।

१. १. **सादृश्य**—सादृश्य पर आधारित निषेध के अन्तर्गत निषेधान्वित पद के सादृश्य पर किसी दूसरे पदार्थ का बोध कराया जाता है। इस भेद को निम्नांकित उदाहरण की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है—

'अब्राह्मण'—का भाषिक अभिव्यक्ति में प्रयोग करने पर ब्राह्मण के सादृश्य पर ही अब्राह्मण का अर्थ स्पष्ट होगा।

१. २. **अभाव/हीनता**—अभाव का अभिप्राय यहां अत्यन्ताभाव से है। निषेध का भाषिक-अभिव्यक्ति में जब इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो इससे वस्तु अथवा क्रिया आदि के अत्यन्ताभाव की सूचना मिलती है। उदाहरणार्थ—

'यह घड़ा नहीं है।'

का अर्थ यह है कि घड़े के अस्तित्व का अत्यन्ताभाव है। इसी प्रकार असंदेह तथा अनुपलब्धि में क्रमशः 'संदेह' तथा 'उपलब्धि' के अत्यन्ताभाव को सूचित किया गया है।

१. ३. **अन्यता**—निषेध द्वारा कभी-कभी प्रकृत वस्तु से अन्यता / भिन्नता की सूचना दी जाती है। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में अत्यन्ताभाव का बोध नहीं कराया जाता। उदाहरण के लिए—१. 'अमानव' और २. 'अमर्त्यलोक' के द्वारा भाषा-प्रयोक्ता का अभिप्राय 'मानव' एवं 'मृत्युलोक' से भिन्नता/अन्यता का बोध कराना ही है न कि इनके अत्यन्ताभाव को सूचित करना। निषेध के इस अर्थ के विषय में कहा जा सकता है कि इसमें निषेधवाधक अवयव के प्रयोग के कारण किसी अन्य विषय का आरोप मात्र कर लिया जाता है।

१. ४. **अल्पता**—निषेध का एक अर्थ 'अल्पता' भी है जिसमें किसी विषय का सर्वथा अभाव अभीष्ट नहीं होता अपितु उसके एक अंश का बोध कराने के लिए निषध-वाचक अवयव का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ—१. अपूर्ण, २. अपर्याप्त तथा ३. अनुदारा द्वारा श्रोता को अनेक पूर्ण अभाव का नहीं अपितु अल्पता का ही बोध कराया जा रहा है। इसी प्रकार निम्नांकित अभिव्यक्तियों में भी क्रमशः 'चीनी' और 'नमक' की अल्पता ही सूचित की जाती है—

१. दूध में चीनी नहीं है।
२. सब्जी में नमक नहीं है।

१. ५. **निन्दा**—निषेध का एक अर्थ निन्दा की व्यंजना करना भी होता है। उदाहरणार्थ किसी ब्राह्मण को अब्राह्मण कहकर संबोधित करें तो इससे उसकी निन्दा ही अभिव्यंजित होती है, अल्पता, विरोध, अत्यन्ताभाव आदि का नहीं। कतिपय अन्य उदाहरण दिए जा रहे हैं—

१. अकर्म, २. अशुभ, ६. अमानुषिक आदि।

१. ६. **विरोध**—निषेध का एक अन्य अर्थ विरोध है। उदाहरणार्थ—

१. असुर और २. अधर्म द्वारा इनके विरोधी अर्थों की ही अभिव्यंजना की जाती है। असुर का अर्थ विरोध न मानकर अत्यन्ताभाव ग्रहण करें तो इसमें मानव, पशु आदि भी समाहित हो जायेंगे जो कि अभीष्ट नहीं हैं।

२. ०. निषेध के भेद-प्रभेद

निषेध के भेद-प्रभेदों पर भाषिक व्यवस्था एवं भाषिक अभिव्यक्ति दोनों के धरातल पर विचार किया जा रहा है। भाषिक व्यवस्था के धरातल पर निषेध की प्रक्रिया का एक अत्यधिक व्यापक रूप उभरकर सम्मुख आता है। निषेध का यह रूप किसी भाषा-प्रयोक्ता द्वारा भाषिक व्यवस्था में से भाषिक अभिव्यक्ति हेतु इकाइयों का चयन करने की प्रक्रिया में अन्तर्निहित रहता है। किसी भी भाषा का मूल भाषा-भाषी (नेटिव लेंग्वेज स्पीकर) अथवा अन्य भाषा-भाषी (अदर लेंग्वेज़ स्पीकर) कोई भी भाषिक अभिव्यक्ति करता है तो भाषिक-इकाइयों के चयन एवं निषेध की समानान्तर प्रक्रिया उसके मस्तिष्क में निष्पन्न होती है। इस प्रक्रिया का स्पष्ट रूप उस समय दृष्टिगत होता है, जब कोई व्यक्ति 'लक्ष्य भाषा' (टारगेट लेंग्वेज़) सीखकर प्रारम्भिक अवस्था में उसी भाषा में स्वयं को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। लक्ष्यभाषा में अभिव्यक्ति करते समय वह अनेक बार हिचकिचाता है। उसकी हिचकिचाहट यह संकेत करती है कि उसे अपनी 'लक्ष्यभाषा' की 'भाषिकव्यवस्था' में से भाषिक अभिव्यक्त करने के लिए उचित इकाइयां नहीं मिल रही हैं। अन्य भाषा-भाषी जब लक्ष्यभाषा में मूलभाषा-भाषी के समान गति प्राप्त कर लेता है तो उसके मस्तिष्क में यह प्रक्रिया इतनी शीघ्रता से तथा इतने अल्प समय में होती है कि उसे ज्ञात नहीं हो पाता कि उसने भाषिकव्यवस्था में से किसी इकाई का चयन भी किया है। भाषिक-इकाइयों के चयन / निषेध की इस प्रक्रिया की तुलना 'शतपत्रवेध न्याय'[१] से की जा सकती है। चयन/निषेध की इस प्रक्रिया को एक व्यावहारिक उदाहरण से और भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—

'मान लीजिए किसी संस्था में एक रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान के लिए आवेदन-पत्र मंगाए गए तो कुल दस आवेदन-पत्र आए। यह तो स्पष्ट है कि चयन तो एक ही उम्मीदवार का होगा। अब सोचिए कि एक आवेदक का चयन हो गया। पर अब यदि उन नौ अस्वीकृत आवेदकों को आधार बनाकर विचार करें तो कहा जा सकता है कि उक्त पद हेतु उन सभी उम्मीदवारों का निषेध कर दिया गया। निषेधित आवेदकों की दृष्टि से यदि इस चयन को स्पष्ट करें तो भाषिक अभिव्यक्ति हेतु की जाने वाली निषेध प्रक्रिया भी इसके समानान्तर ठहरती है। परिमाण की दृष्टि से देखने पर निषेध की यह प्रक्रिया चयन की प्रक्रिया से भी महत्वपूर्ण दृष्टिगत होती है क्योंकि चयन तो एक आवेदक/विशेष इकाई का किया जाता है और शेष सभी आवेदकों/इकाइयों का निषेध कर दिया जाता है।

किसी भी भाषा की भाषिक व्यवस्था को भाषिक अभिव्यक्ति के रूप में परिणत करने में जो चयन / निषेध की प्रक्रिया अन्तर्निहित रहती है उसका स्पष्टीकरण तो

१. इस न्याय में यह माना जा सकता है कि यदि कमल की सौ पंखुड़ियों को लेकर उनका सुई द्वारा वेधन किया जाये तो दो क्रमिक पंखुड़ियों में वेधन कुछ अन्तर के साथ हुआ है इस तथ्य का बोध नहीं हो पाता, जबकि व्यावहारिक धरातल पर उनमें कुछ-न-कुछ अन्तर अवश्य रहता है।

उल्लिखित उदाहरण की सहायता से हो ही गया है। भाषा प्रयोक्ता (लेंग्वेज़-यूज़र) के मस्तिष्क को भाषिक अभिव्यक्ति करते समय/चयन निषेध की जटिल एवं अज्ञात प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी भाषिक व्यवस्था में से कतिपय विशेष इकाइयों का चयन करता है। चयन की इस प्रक्रिया में वह अज्ञात रूप से उस इकाई की अन्य 'समस्थानिक इकाइयों' (पैराडिगमैटिक यूनिट्स) का निषेध कर देता है। इस प्रक्रिया को एक लघु भाषिक अभिव्यक्ति को विवेचनाधार बनाकर आसानी से समझा जा सकता है :—

राम घर गया।

उक्त अभिव्यक्ति में प्रयोक्ता ने तीन इकाइयों का प्रयोग किया है। दो इकाइयां संज्ञाएं हैं जो कि क्रमशः कर्ता संज्ञा (सबजेक्ट एन० पी०) तथा कर्म संज्ञा (ऑब्जेक्ट एन० पी०) के स्थान पर प्रयुक्त हुई हैं। तीसरी इकाई एक क्रिया है। उक्त अभिव्यक्ति में भाषा प्रयोक्ता द्वारा 'राम' इकाई का प्रयोग करने पर इस इकाई का अन्य समस्थानिक इकाइयों का स्वतः ही निषेध हो गया है। इस इकाई के स्थान पर प्रयोक्ता अन्य अनेक इकाइयों, यथा—मोहन, शाम, कमल आदि का प्रयोग कर सकता। पर भाषा प्रयोक्ता ने उन सभी इकाइयों का भाषिक व्यवस्था में से इकाइयों का चयन करते हुए ही निषेध कर दिया है। इस प्रक्रिया के आधार पर अन्य दोनों इकाइयों के सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

भाषिक व्यवस्था से भाषिक अभिव्यक्ति तक पहुँचने में निषेध की जो प्रक्रिया अन्तर्निहित रहती है उसे '**अव्यक्त-निषेध**' नाम दिया जा सकता है। इस आधार पर निषेध के दो प्रारम्भिक प्रकार—१. अव्यक्त निषेध और २. व्यक्त निषेध निश्चित होते हैं।

२. १. अव्यक्त निषेध

ऊपर विवेचन में स्पष्ट किया गया है कि अव्यक्त निषेध भाषिक व्यवस्था को भाषिक अभिव्यक्ति में परिणत करने की प्रक्रिया में अन्तर्निहित होता है अतः अभिव्यक्ति के अर्थ के आधार पर इस निषेध की पहचान करना व्यर्थ है। भाषिक अभिव्यक्ति के निषेधात्मक होने अथवा न होने से निषेध के इस भेद पर असर नहीं पड़ता। भाषिक-अभिव्यक्ति में निहित इस चयन निषेध-प्रक्रिया का मूल विषय से अधिक सम्बन्ध नहीं है, अतः इसके उपभेदों का संक्षिप्त विवेचन इसी स्थल पर करके मूल विषय का विवेचन किया जाएगा। इसके दो भेद किए जा सकते हैं—

१. समस्थानिक इकाइयों में से एक का प्रयोग।
२. विशेषीकृत (मार्क्ड) इकाई का प्रयोग।

२. १. १. समस्थानिक इकाइयों में से एक का प्रयोग

अव्यक्त निषेध के इस भेद का स्पष्टीकरण तो पूर्व विवेचन में 'राम घर गया' उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। इसका मूल विषय से सम्बन्ध न होने के कारण

अधिक विस्तार से विवेचन नहीं किया जा रहा।

२. १. २. विशेषीकृत इकाई का प्रयोग

भाषिक इकाई 'शब्द' भाषिक अभिव्यक्ति में प्रयुक्त होने पर 'पद' हो जाती है। पद का विशेषीकरण अनेक प्रकार से संभव है। विशेषीकरण के कतिपय आधार निम्नांकित हैं—

१. लिंग, २. विशेषण और ३. वचन।

विशेषण दो प्रकार के होते हैं। अतः विशेषण आधारित विशेषीकरण दो प्रकार से संभव हैं—१. विशेषण द्वारा और २. क्रिया विशेषण द्वारा।

विशेषीकरण के उक्त आधारों पर **विशेषीकृत इकाई युक्त अव्यक्त** निषेध के निम्नांकित भेद किए जा सकते हैं—

१. लिंग द्वारा विशेषीकृत इकाई युक्त अव्यक्त निषेध।
२. विशेषण द्वारा विशेषीकृत इकाई युक्त अव्यक्त निषेध।
३. वचन द्वारा विशेषीकृत इकाई युक्त अव्यक्त निषेध।

जैसाकि भेद के नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की भाषिक अभिव्यक्ति में किसी विशेषीकृत इकाई का प्रयोग किया जाता है जिससे वह अपने सामान्य रूप/गुण आदि का निषेध कर उसके विशेषीकृत अर्थात् सीमित अर्थ का द्योतन करती है।

२. १. २. १. लिंग द्वारा विशेषीकृत इकाई युक्त

प्रायः प्रत्येक भाषा की भाषिक व्यवस्था में अनेक संज्ञा पद ऐसे होते हैं जिन का उसकी भाषिक अभिव्यक्ति में प्रयोग सामान्य होता है। हिन्दी की कतिपय संज्ञाएं—बच्चा, तोता, कुत्ता, बकरी, भेड़, दीमक, चिड़िया आवारा आदि हैं। यदि उल्लिखित संज्ञाओं में से किसी का समूह दृष्टिगत होने पर जो अभिव्यक्तियां की जाती हैं वे अभिव्यक्तियां लिंग के धरातल पर सामान्य होती हैं। उदाहरणार्थ :—

१. **बच्चे** खेल रहे हैं।
२. **कुत्ते** भौंकते रहते हैं।
३. **तोता** हरी मिर्च बड़े चाव से खाते हैं।
४. **बकरियां** मिमियां रही हैं।

उक्त चारों अभिव्यक्तियों में बच्चा, कुत्ता, तोता, बकरी आदि संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों का सामान्य प्रयोग हुआ है। यदि उक्त प्रकार अभिव्यक्तियों में रेखांकित संज्ञाओं के स्थान पर लिंग की दृष्टि से विशेषीकृत संज्ञाओं का प्रयोग कर दिया जाये तो इनके द्वारा स्वतः ही इन तथ्यों का निषेध हो जायेगा कि—

१. खेलने वाले बच्चे लड़के हैं।
२. भौंकने वाले कुत्ते हैं।
३. हरी मिर्च खाने वाले तोते हैं।
४. मिमियाने वाली बकरियां हैं।

और निम्नांकित तथ्यों का प्रतिपादन होगा कि—

१. खेलने वाली लड़कियां हैं।
२. भौंकने वाली कुतियां है।
३. हरी मिर्च खाने वाले स्त्रीलिंगी तोते हैं।
४. मिमयाने वाले बकरे हैं।

ल्योंस (१९६९; ७९) का भी एक कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है।

२. १. २. २. विशेषण द्वारा विशेषीकृत इकाई युक्त

अव्यक्त निषेध के इस भेद को उदाहरणों की सहायता से आसानी से समझाया जा सकता है। अतः उदाहरण के लिए तीन वाक्य लें :—

१. मुझे भैंस पसंद है।
२. मुझे काली भैंस पसंद है।
३. मुझे लाल भैंस पसंद है।

'मुझे भैंस पसंद है', हिन्दी की सामान्य अभिव्यक्ति है। पर जब इसके साथ 'काली' विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ कुछ सीमित हो जाता है कि मुझे मात्र काली भैंस ही पसंद है अन्य रंगों की नहीं। हिन्दी की यह दूसरी अभिव्यक्ति भी एक सामान्य अभिव्यक्ति ही है क्योंकि भैंस का रंग प्रायः काला ही होता है। जब तीसरी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ अत्यधिक सीमित हो जाता है और भैंस पद लाल विशेषण से विशेषीकृत होकर भैंस की सामान्य विशेषता (रंग काला होना) का निषेध करने लगता है। इस अभिव्यक्ति द्वारा अन्य प्रकार की भैंस पसंद होने का निषेध स्वतः ही हो जाता है।

विशेषण दो प्रकार का होता है—

१. विशेषण, २. क्रियाविशेषण।

इन दोनों के आधार पर भी वर्गीकरण पूर्व विवेचन में कर दिया गया है। क्रियाविशेषण द्वारा विशेषीकृत इकाई युक्त अव्यक्त निषेध की व्याख्या निम्नांकित रूप में की जा सकती है—"भाषिक अभिव्यक्ति में जब किसी क्रियाविशेषण का प्रयोग करके किसी सामान्य क्रिया को विशेषीकृत किया जाता है तो उसके सामान्य रूप तथा अन्य विशेषताओं का चयन के स्तर पर ही निषेध हो जाता है।" उदाहरणार्थ निम्नांकित अभिव्यक्तियां लें—

१. (क) वह लड़का घर चला गया।
(ख) वह लड़का धीरे-धीरे चलकर घर गया।
(ग) वह लड़का दौड़कर घर चला गया।
(घ) वह लड़का आज घर चला गया।

उक्त अभिव्यक्तियों में से (१क) सामान्य कथन है जबकि (१ख) 'धीरे-धीरे', (१ग) 'दौड़कर' तथा (१घ) में 'आज' क्रियाविशेषणों से विशेषीकृत क्रिया का प्रयोग हुआ है। इनके प्रयोग से क्रिया करने की प्रक्रिया एक विशेष अर्थ में सीमित हो गई है तथा उसकी अन्य समस्त विशेषताओं का चयन के स्तर पर स्वतः ही निषेध हो

गया है।

२.१.२.३. वचन द्वारा विशेषीकृत इकाईयुक्त

भाषिक अभिव्यक्ति में जब एकवचन का प्रयोग किया जाता है तो उससे चयन के स्तर पर बहुवचन का निषेध हो जाता है; जबकि बहुवचन के प्रयोग में एकवचन तो अन्तर्निहित रहता है। उदाहरणार्थ—

१. (क) वहां एक लड़का खेल रहा है।

(ख) वहां बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं।

से स्पष्ट है कि प्रथम अभिव्यक्ति द्वारा वचन के स्तर पर सीमित/निश्चित अर्थ को व्यक्त किया जा रहा है जिससे बहुवचन का स्वतः ही चयन के स्तर पर निषेध हो गया है।

२.२. व्यक्त निषेध

निषेध के मूल प्रकारों में दूसरा प्रकार 'व्यक्त निषेध' है। व्यक्त निषेध किसी भी भाषा की उन अभिव्यक्तियों में होता है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से किसी 'निषेधवाचक अव्यय' का प्रयोग किया जाता है अथवा उस अभिव्यक्ति का अर्थ निषेधात्मक रूप में ग्रहण किया जाता है। अन्य प्रकार से कहा जाए तो कहा जा सकता है कि इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में या तो ऐसे किसी अवयव का प्रयोग होता है जो कि अर्थ को निषेधात्मक करने में सहायक होता है अथवा उसको देखने अथवा सुनने से पाठक/श्रोता को यह बोध होता है कि उक्त अभिव्यक्ति का निषेधात्मक अर्थ ही वक्ता अथवा लेखक का अभिप्रेत है। उक्त विवेचन के आधार पर व्यक्त निषेध के दो मूलभेद निश्चित किए जा सकते हैं—

१. अभिप्रेत निषेधार्थ युक्त

२. निषेधवाचक अवयव युक्त

व्यक्त निषेध के उक्त दोनों भेदों का विवेचन करने से पूर्व भाषाविज्ञानियों में प्रचलित एक धारणा कि 'अभिव्यक्ति (वाक्य भी इसका एक रूप है) या तो सकारात्मक होती है अथवा निषेधात्मक' से असहमति प्रकट करते हुए आगे उसे नवीन रूप में प्रतिपादित किया जा रहा है। भाषिक अभिव्यक्तियों की निषेधात्मकता को आधार मानकर यदि भाषिक अभिव्यक्ति व्यवस्था को द्विचर प्रतियोग (बाइनेरी अपोजीशन) के रूप में वर्गीकृत करना चाहें तो वर्गीकरण का सूत्र निम्नांकित होगा [±निषेध] और इस आधार पर वर्गीकरण का विस्तार निम्नांकित रूप में होगा—

१. [+ निषेध] अभिव्यक्ति

२. [— निषेध] अभिव्यक्ति

[+ निषेध] अभिव्यक्ति—इस शोध-प्रबंध के अन्तर्गत जिन भाषिक अभिव्यक्तियों का विवेचन किया जा रहा है, वे सभी इसके अन्तर्गत ही आती हैं। [+निषेध] अभिव्यक्तियां वे होती हैं जिनमें व्यक्त निषेध के किसी भी भेद का प्रयोग किया जाता है।

[—निषेध] अभिव्यक्ति—भाषावैज्ञानिकों एवं वैयाकरणों द्वारा [—निषेध] अभिव्यक्तियों को सकारात्मक अभिव्यक्ति माना है, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। [—निषेध] अभिव्यक्ति मात्र सकारात्मक न होकर अनेक प्रकार की होती है—सूचनात्मक, आदेशात्मक, जिज्ञासापरक और सकारात्मक आदि। सकारात्मक अभिव्यक्तियां मात्र वे होती हैं जिनमें निषेधवाचक अवयवों के विपरीत सकारात्मकता द्योतक अवयवों यथा, हां, जी, जी हां, आदि में से किसी एक का प्रयोग होता है। सकारात्मक अभिव्यक्तियों के अन्तर्गत—

१. राम घर गया, २. राम अब घर जाओ।

—जैसी अभिव्यक्तियों को भी मानना उचित नहीं है। हां, ये अभिव्यक्तियां [—निषेध] अभिव्यक्तियां अवश्य हैं। अभिव्यक्ति (१) सूचनात्मक, तथा अभिव्यक्ति (२) आदेशात्मक है। इन दोनों अभिव्यक्तियों में क्रमशः राम के जाने की सूचना तथा राम को घर जाने की क्रिया करने का आदेश दिया जा रहा है।

गत विवेचन में 'व्यक्त निषेध' के दो रूपों का प्रतिपादन किया गया है जिनके आधार पर निषेधात्मक अभिव्यक्तियों के भी दो भेद किए जा सकते हैं—

१. अभिप्रेत निषेधात्मक अभिव्यक्तियां

२. निषेधवाचक अवयवयुक्त निषेधात्मक अभिव्यक्तियां

२.२.१. अभिप्रेत निषेधात्मक अभिव्यक्तियां

अभिप्रेत निषेधात्मक अभिव्यक्तियां निषेधवाचक अवयव की उपस्थिति-अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की हो सकती हैं—१. निषेधवाचक अवयवरहित और २. निषेधवाचक अवयवयुक्त।

२.२.१.१. निषेधवाचक अवयवरहित अभिप्रेत निषेध

नि० अ० रहित अभिप्रेत निषेधवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें नि० अ० बद्ध अथवा मुक्त रूपिम के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। इस प्रकार के वाक्य किसी विशेष प्रकार के 'शब्द', 'गुण' अथवा 'अनुतान' के कारण निषेधात्मक अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के प्रयोक्ता की अभिमंशा यह होती है कि श्रोता अथवा पाठक उसकी अभिव्यक्ति का [+निषेध] अर्थ ग्रहण करे। इस प्रकार के वाक्यों का वर्गीकरण अनुतान को आधार, मानकर निम्नांकित रूप में किया जा सकता है [+अनुतान] इस सूत्र के आधार पर इसके दो भेद निश्चित होते हैं—

१. [+अनुतान] युक्त और

२. [—अनुतान] युक्त

इस वर्गीकरण में [+अनुतान] का अर्थ यह है कि अनुतान का विशेष प्रकार से प्रयोग किया जाता है। [+अनुतान] युक्त निषेधात्मक वाक्यों का शोध-कृति में आगे विवेचन किया जा रहा है।

२.२.१.२. **निषेधवाचक अवयवयुक्त अभिप्रेत निषेध**

निषेध के इस भेद के अन्तर्गत हिन्दी की उन अभिव्यक्तियों को स्वीकार किया जा रहा है जिनकी आर्थी व्याख्या 'मनायुक्त वाक्यों' में की जा सकती है। इस प्रकार की भाषिक अभिव्यक्तियों में क्रिया का सीधे ही निषेध नहीं किया जाता अपितु अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया के निषेधित होने की सूचना अथवा करने का आदेश अथवा इच्छा आदि रहती है।

२.२.२. **निषेधवाचक अवयव युक्त निषेधात्मक अभिव्यक्तियां**

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में निषेधवाचक अवयव 'न' और 'नहीं' आदि से युक्त वाक्य ही आते हैं। निषेधवाचकता के मान्यता प्राप्त तीसरे अवयव 'मत' से युक्त वाक्यों का अन्य भेद के अन्तर्गत विवेचन किया जा रहा है। निषेधवाचक अवयव मूलतः दो प्रकार के हैं—१. कोशीय तथा २. व्याकरणीय (यह वर्गीकरण करने का सुझाव श्रीमती सुधा कालरा से मिला है)। कोशीय अवयव और कुछ न होकर वस्तुतः निषेध के मुक्त रूपिम ही हैं जबकि व्याकरणिक अवयवों के अन्तर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय आते हैं। इन दोनों भेदों को क्रमशः निषेध के मुक्त रूपिम तथा बद्ध रूपिम नाम दिया जा सकता है। इन नामों के आधार पर ही इस भेद के दो उपभेद करना भी संभव है—

१. बद्धरूपिम युक्त निषेध, २. मुक्त रूपिमयुक्त निषेध।

इन दोनों भेदों का विस्तार से विवेचन कृति में आगे किया जा रहा है।

२.३. **मनाही**

निषेध के उक्त सभी भेदों पर विचार करने से पूर्व आवश्यक है कि 'मनाही युक्त वाक्यों' (डिनायल एवं प्रोहिबिशन) पर भी विचार कर लिया जाए। 'प्रोहिबिशन' निषेध की अपेक्षा 'डिनायल' के अधिक निकट होता है इसीलिए दोनों को एक भेद के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। (ल्योंस १९७७ख; ७७४) मनाही-युक्त अभिव्यक्तियाँ वे होती हैं जिनमें भाषा-प्रयोक्ता स्वयं को अथवा अन्य किसी व्यक्ति को कोई क्रिया करने से रोकता है अथवा मना करता है। मनाही के अन्तर्गत प्रायः वे सभी वाक्य भी आ जाते हैं जिनकी आर्थी व्याख्या 'मनायुक्त' वाक्य के रूप में सम्भव होती है। 'मत युक्त' सभी वाक्य मनाही के उदाहरण होते हैं। इसके अतिरिक्त मना, इन्कार, निषेध, निषिद्ध आदि से युक्त वाक्य भी इसी के अन्तर्गत आते हैं। 'न' और 'नहीं' युक्त एकाधिक प्रकार के वाक्यों को भी मनाही के अन्तर्गत स्वीकार किया जा सकता है। मनाही युक्त वाक्यों में क्रिया का अप्रत्यक्षतः निषेध नहीं किया जाता वरन् अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया का निषेध रहता है। उदाहरण की सहायता से उक्त तथ्य और भी अधिक आसानी से स्पष्ट हो जाएगा—

१. (क) राम घर नहीं गया।
(ख) राम ! घर मत जाओ।

उक्त (१क) में तो राम द्वारा घर जाने की क्रिया न करने की सूचना प्रत्यक्ष रूप से दी गई है जबकि (१ख) में क्रिया का प्रत्यक्ष रूप में निषेध नहीं किया गया; अपितु

अप्रत्यक्ष रूप से राम को घर जाने की क्रिया न करने के लिए कहा गया है। यदि (१ख) की आर्थी व्याख्या करें तो निम्नांकित होगी—

किसी ने मना किया है (राम घर जाए)।

मनाही युक्त वाक्यों के कतिपय अन्य उदाहरण हैं—

१. यहां सिगरेट पीना **मना है**।
२. यहां **न** चलिए।
३. यहां थूकिएगा **नहीं**।
४. घास पर चलने की **मनाही** है।
५. उसने घर जाने से **इनकार कर दिया**।
६. यहां धूम्रपान **निषिद्ध है**।

इस प्रकार के वाक्य—

'राम घर में नहीं है।'

भी मनाही के अन्तर्गत आएंगे क्योंकि इनकी व्याख्या निम्नांकित रूप में की जा सकती है—

किसी ने इस तथ्य को मना किया है (राम घर में है) ?

२.४. **रूपांतरणपरक प्रजनक व्याकरण के आधार पर निषेधात्मक रूपांतरण नियम**

रूपांतरणपरक प्रजनक दृष्टि से 'निषेध रूपांतरण' पर विचार करें तो हिन्दी भाषा की सामान्य अभिव्यक्ति पर यह रूपांतरण लागू करने पर उसकी बाह्य संरचना में निम्नांकित परिवर्तन होते हैं—

१. निषेधवाचक अवयव का भाषिक अभिव्यक्ति में स्थान परिवर्तन रूपांतरण (परमूटेशन) द्वारा उचित स्थान पर आ जाता है।
२. एक वैकल्पिक नियम द्वारा—'ती'—'आ', और—'रहा' के पश्चात् सहायक क्रिया है' का सामान्यतः लोप हो जाता है।
३. यदि साधारण अभिव्यक्ति में संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो उसकी सहायक क्रिया का लोप हो जाता है और लिंग, वचन तथा कालद्योतक चिह्नक मुख्य क्रिया से जुड़ जाते हैं।

हिन्दी भाषा से संबंधित रूपांतरण प्रजनक व्याकरणों में निषेधात्मक अव्यय को या तो वाक्य द्वारा शासित माना गया है या क्रिया पदबन्ध द्वारा। निषेधात्मक अव्यय को वाक्य द्वारा शासित मानने वालों में इंदरसिंह (१९७१) एवं भाटिया (१९७२) का नाम उल्लेखनीय है। काचरू (१९६६) ने क्रिया पदबन्ध द्वारा शासित माना है। हिन्दी के सन्दर्भ में इसे उक्त दोनों रूपों में स्वीकार किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में एक रूपांतरण नियम 'स्थान परिवर्तन रूपांतरण नियम' (परमूटेशन) लागू करना पड़ेगा।

अभिप्रेत निषध

गत विवेचन में निषेध के दो भेद माने गए हैं। उन दोनों भेदों में से पहला भेद 'अभिप्रेत निषेध' है। अभिप्रेत निषेधात्मक अभिव्यक्तियां भी दो प्रकार की मानी गई हैं—

१. निषेधवाचक अवयवरहित अभिप्रेत निषेध

२. निषेधवाचक अवयवयुक्त अभिप्रेत निषेध

अभिप्रेत निषेध के पहले भेद नि० अ० रहित अभिप्रेत निषेध का यहां विस्तार से विवेचन किया जा रहा है।

३.०. निषेधवाचक अवयवरहित अभिप्रेत निषेध

नि० अ० रहित अभिप्रेत निषेध अर्थाधारित होता है और इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में किसी भी निषेधात्मक अवयव का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में भाषा प्रयोक्ता की अभिमंशा यह होती है कि श्रोता उसकी अभिव्यक्ति को [+निषेध] अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण करे। वक्ता का अभिप्राय निषेधात्मक होने के कारण ही निषेध के इस भेद को नि० अ० रहित अभिप्रेत निषेध नाम दिया गया है। इसके प्रारम्भिक दो रूपों [±अनुतान] का पूर्वविवेचन (२.२) में संकेत किया गया है।

३.१. [—अनुतान]

[—अनुतान] अभिप्रेत निषेधात्मक अभिव्यक्तियां वे होती हैं जिनकी निषेधात्मकता का कारण अनुतान न होकर कुछ और यथा व्यंग्यादि होता है। अभिप्रेत निषेध के इस भेद के निम्नांकित उपभेद किए जा सकते हैं—

१. व्यंग्यात्मकता के कारण,

२. पूर्व सन्दर्भ के कारण—वार्तालाप में,

३. विपरीतार्थक युग्म में से एक के भाषिक अभिव्यक्ति में प्रयोग के कारण,

४. अभावसूचक पदों का वाक्य में स्वतन्त्र रूप से प्रयोग करने के कारण, और

५. वर्जित अभिव्यक्तियों में।

उक्त पांचों भेदों का क्रमशः विवेचन किया जा रहा है।

३.१.१. व्यंग्यात्मकता के कारण

भाषा का प्रयोग समाज में किया जाता है। समाज के साथ-साथ भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। भाषा की इसी गतिशीलता के कारण कोई भी स्थिर व्याकरण उसकी पूरी कहानी नहीं कह पाता। भाषा-प्रयोग में आने वाले व्यतिरेकों की ओर भी व्याकरण में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। भाषा-प्रयोग में होने वाले ये व्यतिरेक भाषिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भाषिक अभिव्यक्ति में अपने प्रकट अर्थ से अधिक कहने की क्षमता होती है। व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियां भी कुछ इसी प्रकार की होती हैं। व्यंग्य के कारण भाषा की सीधी-सपाट अभिव्यक्ति भी निषेधात्मक अर्थ व्यक्त करने लगती है। उदाहरणार्थ —

'आप तो सती सावित्री हैं।'

को यदि वाक्य-विज्ञान (सिन्टैक्स) के धरातल पर विवेचित करें तो इसका अर्थ 'आप सती सावित्री के समान महान् स्त्री हैं'; जबकि प्रयोक्ता को यह अर्थ अभीष्ट नहीं है। प्रैगमेटिक्स अथवा आर्थी धरातल (सिमेंटिक लेवल) पर उक्त अभिव्यक्ति की व्याख्या निषेधात्मक होगी जो कि इसकी वाक्य-विज्ञान के आधार पर की गई व्याख्या से नितांत भिन्न होगी—'आप सती सावित्री के समान चरित्रवान नहीं हैं।'

व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं :—

१. आप तो महान् लेखक हैं, हमारी आपके सामने क्या बिसात।
(आप महान् लेखक नहीं हैं, आप हमारे सामने कुछ भी नहीं हो)

२. अरे! तुम तो विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या पढ़ाऊं।
तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। (मूर्ख=विद्वान नहीं)

३. आप जैसे विद्वानों के दर्शन तो दुर्लभ ही होते हैं।
(आप विद्वान नहीं हैं, आप जैसे तो रोज ही दर्शन देते हैं)

४. एक व्यक्ति—आजकल क्या कर रहे हो।
दूसरा व्यक्ति—घास खोद रहा हूं (कुछ नहीं कर रहा हूं)

यह उल्लेखनीय तथ्य है कि व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों में किसी निषेधवाचक अवयव (कास्टि्युएंट) का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ [—निषेध] हो जाता है।

३.१.२. पूर्व संदर्भ के कारण वार्तालाप में

वार्तालाप में अनेक बार पूर्व संदर्भ के कारण [—निषेध] अभिव्यक्ति से [+निषेध] अर्थ अभिव्यक्त किया जाता है। यह अर्थ-ग्रहण-प्रक्रिया एक उदाहरण की सहायता से आसानी से समझी जा सकती है—

राजेश—पिक्चर चलोगे?

नरेश—मुझे कालेज जाना है।

उक्त वार्तालाप में नरेश ने [—निषेध] अभिव्यक्ति से [+निषेध] अर्थ कि 'मैं पिक्चर नहीं जाऊंगा' की व्यंजना की है। इस प्रकार के वातावरण में निषेधात्मक अर्थ ग्रहण के दस चरण होते हैं (सीरेल १९७५; ६३-६४)।

३.१.३. विपरीतार्थक युग्म में से एक के प्रयोग के कारण

विपरीतार्थक युग्म में से किसी एक के भाषिक प्रयोग के कारण भी अभिप्रेत निषेध व्यक्त होता है (लहरर १९७४; ७७-७८ और ल्योंस १९७७; २८२)। ल्योंस ने विपरीतार्थकता/विलोमता के दो रूप स्वीकार किए हैं—१. समलंबीय संबंधयुक्त (ऑरथोगोनल) और २. रेखीय सम्बन्धयुक्त (एण्टीपोडल)। इन दोनों भेदों का स्पष्टीकरण उनके द्वारा दिए गए उदाहरण से आसानी से हो जाता है। विपरीतार्थक शब्द-युग्म के रूप में चारों दिशाओं को लें तो पूर्व-पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में तो समलंबीय संबंधयुक्त विपरीतार्थकता होगी। और यदि दो-दो दिशाओं के युग्म—पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर और दक्षिण को लिया लाये तो ये विपरीतार्थक युग्म रेखीय संबंधयुक्त होंगे। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि समलंबीय संबंधयुक्त विपरीतार्थक युक्त समलम्बों (समकोणों) द्वारा रेखीय संबंधयुक्त विपरीतार्थक युग्म सरल रेखा की विपरीत दिशाओं द्वारा अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। ल्योंस ने एक अन्य प्रकार से भी विपरीतार्थक युग्मों का वर्गीकरण किया है। यह द्विचर प्रतियोग (बाइनेरी अपोजीशन) पर आधारित हैं—

[+द्विचर] विपरीतार्थकता एवं, [—द्विचर] विपरीतार्थकता। [+द्विचर] प्रतियोग का उदाहरण प्रकाश तथा अन्धकार एवं [—द्विचर] प्रतियोग का उदाहरण सप्ताह के सात दिन अथवा वर्ष के बारह महीने हो सकते हैं।

पूर्व विवेचन में निषेध के अर्थों का प्रतिपादन करते समय उसका एक अर्थ विरोध प्रदर्शित करना माना गया है। इस आधार पर विपरीतार्थक शब्दों को एक दूसरे का निषेधात्मक रूप माना जा सकता है। ल्योंस (१९७७, २७१-२८२) ने भी विपरीतार्थक युग्मों को परस्पर निषेधात्मक माना है और विस्तार से विवेचन किया है। प्रस्तुत निषेध का क्षेत्र व्यापक होने के कारण विपरीतार्थकता इसका एक अंग हो जाती है।

विपरीतार्थक युग्मों का दो प्रकार से वर्गीकरण तो ऊपर किया ही गया है। इनका एक अन्य प्रकार से वर्गीकरण सम्भव है। ये विपरीतार्थक युग्म—

१. संज्ञा
२. क्रिया
३. विशेषण (व्यापक अर्थ में क्रियाविशेषण भी इसी के अन्तर्गत आ जाएंगे)और
४. परसर्ग के हो सकते हैं।

३.१.३.१. संज्ञा

संज्ञाओं के विपरीतार्थक युग्मों के कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. दुःख और सुख, २. धूप और छांह, ३. प्रकाश और अन्धकार, ४. रात और दिन, ५. सुबह और शाम तथा ६. हानि और लाभ आदि।

इन विपरीतार्थक युग्मों के परस्पर निषेधात्मक होने की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि 'यदि इनमें से किसी एक का भाषिक अभिव्यक्ति में निषेधवाचक अवयव के साथ प्रयोग किया जाये तो वह अभिव्यक्ति विपरीतार्थक युग्म के दूसरे अथवा समलंबीय

संबंध से युक्त होने पर शेष सभी संबंधित पदों का अर्थ द्योतित करने लगता है।
उदाहरणार्थ— १. अब रात नहीं है—अब दिन है।
२. अब सुबह नहीं है—अब शाम/दोपहर/रात है।

३.१.३.२. क्रिया

इसी प्रकार हिन्दी की अनेक क्रियाएं विपरीतार्थक युग्म के रूप में परिभाषित की जा सकती हैं—

१. आना-जाना, २. उठना-बैठना, ३. कहना-सुनना, ४. गिरना-उठना, ५. चढ़ना उतरना, ६. पहनना-उतारना, ७. बांधना-खोलना, ८. लेना-देना, ९. सोना-जागना, १०. होना-जाना, और हंसना-रोना आदि।

यथा—

१. वह अभी नहीं उठा—वह अभी बैठा हुआ है।
२. वह अभी नहीं जागा—वह अभी सोया हुआ है।

३.१.३.३. विशेषण

१. अच्छा-बुरा, २. काला-सफेद, ३. गोरा-काला, ४. थोड़ा-ज्यादा, ५. नया-पुराना, ६. अब-तब, ७. आगे-पीछे, ८. आज-कल, ९. इधर-उधर, १०. धीरे-धीरे—जल्दी-जल्दी, ११. नीचे-ऊपर और १२. यहां-वहां आदि।

उदाहरणार्थ—

१. वह लड़का भला नहीं है—वह लड़का बुरा है।
२. वह यहां नहीं है—वह वहां (यहां से इतर कोई स्थान) है।

३.१.३.४. परसर्ग

हिन्दी के कुछ परसर्गों में भी विपरीतार्थक युग्म का सम्बन्ध दृष्टिगत होता है। कुछ विपरीतार्थक युग्म सम्बन्ध से संबंधित परसर्ग निम्नांकित हैं—

१. ने-को, २. ने-से/द्वारा, ३. में-से और ४. से-को (दिशासूचक) (ग्रूबर १९७६; ५३-५८ एवं ल्योंस १९७७; २८२)। आदि
यथा—१. वह घर में नहीं है=वह घर से चला गया।

३.१.४. अभावसूचक पदों का अभिव्यक्ति में स्वतन्त्र रूप से प्रयोग

हिन्दी में अनेक ऐसे पद हैं, जो भाषिक अभिव्यक्ति में स्वतन्त्र रूप से युक्त किए जाने पर 'अभाव' सूचित करके निषेधात्मक अभिव्यक्तियों का निर्माण करते हैं। ये सभी पद अंग्रेजी के 'लैस' के पर्याय हैं—

१. खाली	५. रहित/विहीन/शून्य/हीन
२. बगैर	६. रिक्त
३. बिना	७. लोप, लुप्त
४. मुक्त	८. सूना

'मुक्त', 'रहित'/'विहीन'/'शून्य'/'हीन' 'रिक्त', और 'लुप्त' का बद्धरूपिम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इन सभी बद्धरूपिमों का जब मुक्त रूपिम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इससे पहले आवश्यक रूप से 'से' परसर्ग का प्रयोग किया जाता है—

१. जहर खाते ही वह काला कुत्ता क्रिया से रहित/विहीन/शून्य/हीन हो गया। (क्रिया नहीं रही)

२. अपना कर्जा चुकाकर वह उसकी चिंता से मुक्त हो गया। (चिंता नहीं रही)

३. खाली/सूना दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। (जिस दिमाग में कुछ न हो) आदि

सहाय (१९६८; ६९) ने 'बिना' पर विस्तार से टिप्पणी की है। 'बिना' युक्त वाक्यों के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. अध्ययन के बिना पूरा नहीं हो सकता। (प्र० आ० १)

२. बिना कारण परीक्षा फल रोके रखने का कोई कारण समझ में नहीं आता। (न० ४,४)

३. बिना किसी दखलंदाजी के +++ (ध० १२)

४. बोले बिना सामाजिक नहीं हुआ जा सकता। (अ १ राष्ट्र ११)

५. नई कहानी को बिना पढ़े जान लिया है। (मो० ८०) आदि।

३.१.५. वर्जित अभिव्यक्तियों में

गालियों आदि भाषा की वर्जित अभिव्यक्तियों में भी अभिप्रेत निषेध दृष्टिगत होता है। एक विशेष प्रकार की गालियों में सम्बन्धत्व का निषेध किया जाता है। इस निषेध में प्रकारांतर से अस्तित्व का निषेध भी हो जाता है। यथा निम्नांकित अभिव्यक्ति 'तुम तो उल्लू के पट्ठे हो' में श्रोता के 'मानव' से सम्बन्ध का निषेध करके 'उल्लू' से जोड़ा गया है। कुछ और उदाहरण निम्नांकित हैं—

तुम तो गधे हो। तू तो उल्लू है।
तुम जानवर हो। आदि।

गालियां अनेक प्रकार की होती हैं। गालियों के विभिन्न प्रकारों पर विचार करना यहां अनपेक्षित है। अतः प्रवृत्ति-निर्देश करके छोड़ा जा रहा है।

३.२. [+अनुतान]

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में निषेधात्मकता का कारण अनुतान होती है। इसके अनेक भेद किए जा सकते हैं—

१. मात्र अनुतान परिवर्तन से
२. 'क' शब्दों के आनुतानिक प्रयोग से
३. कतिपय विशेष विशेषणों के आनुतानिक प्रयोग से
४. तो…चुका/ली के आनुतानिक प्रयोग से और

५. तो क्रिया…ने से रहा के आनुतानिक प्रयोग से अभिव्यक्त अभिप्रेत निषेध।

३.२.१. मात्र अनुतान परिवर्तन

भाषा को किसी भी सामान्य अभिव्यक्ति का अनुतान परिवर्तन करके निषेधात्मक बनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ— वह आएगा।

हिन्दी की सामान्य अभिव्यक्ति है, परन्तु जब इस अभिव्यक्ति में अनुतान परिवर्तित करके 'वह' को आश्चर्ययुक्त उच्चानुतान में उच्चरित किया जाता है तो अभिव्यक्ति निषेधात्मक अर्थ व्यक्त करने लगती है—आएगा वह!

आनुतानिक प्रयोग से निषेधार्थ व्यक्त करने वाला एक अन्य उदाहरण निम्नांकित है—

'तुम इसे बस कहते हो? पुरस्कार है? मेरी सेवाओं का यही' (रा० ३२७) उक्त उदाहरण में वक्ता की अभिमंशा निम्नांकित है—

तुम इसे बस मत कहो! मेरी सेवाओं का यही पुरस्कार नहीं है।

३.२.२. 'क' शब्दों के आनुतानिक प्रयोग से

'क' शब्दों का भाषिक अभिव्यक्ति में जब एक विशिष्ट अनुतान में प्रयोग किया जाता है तो ये 'क' शब्द अपनी मूल वृत्ति (जिज्ञासा) को त्याग कर 'निषेध' की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। प्रायः प्रत्येक 'क' शब्द से अभिप्रेत निषेधात्मक अभिव्यक्ति की रचना करना संभव है। इस प्रकार की भाषिक अभिव्यक्तियों के प्रयोक्ता की अभिमंशा यह होती है कि उसकी अभिव्यक्ति का निषेधात्मक अर्थ ही ग्रहण किया जाए। हिन्दी के मूल 'क' शब्द निम्नांकित हैं—

१. क्या २. क्यों
३. कहां और किधर ४. कैसे और कितना और
५. कौन/किस/किन।

३.२.२.१. क्या

सामग्री-संकलन में 'क्या' युक्त निषेधात्मक अभिव्यक्तियां ही सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं। 'क्या' युक्त निषेधात्मक अभिव्यक्तियों के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत? (बैंक ३१)
२. अब मुझे छिपाना क्या है?
३. इन कामों से डरने लगे तो हमारे बच्चे खायेंगे क्या? (घ० ३३)
४. बेमतलब झंझट में पड़ने से क्या फायदा? (रा० ७५)
५. हमारे पास था ही क्या?

'क्या' से युक्त अभिव्यक्ति को यदि 'नहीं' युक्त अभिव्यक्ति में रूपांतरित करें तो उसमें प्रायः अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है। निषेधात्मक अभिव्यक्तियों में 'क्या' की स्थितियां '##—' (वाक्यारंभ), '—' (वाक्यांत), '—क्रिया' (क्रिया पूर्व)

तथा 'क्रिया—' (क्रिया पश्चात्) आदि निश्चित होती हैं।

३.२.२.२. **क्यों**

'क्यों' का अभिप्रेत निषेधवाचक वाक्यों मे अनेक प्रकार से प्रयोग सम्भव है। कुछ प्रकार के प्रयोगों के उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. आप उनकी मौत के असली कारण को इतनी छोटी और बेहूदा बातों से क्यों जोड़ रहे हैं।

२. आप लोग बिना पूछे ही समय से पहले दफ्तर क्यों छोड़ गए? (बैंक ४६)

३. उसके घर मैं क्यों जाऊं?

५. जब कौड़ी-कौड़ी लगान चुकाते हैं तो धौंस क्यों सहें? (प्रे० १७)

उक्त उदाहरणों में 'क्यों' का प्रयोग '—क्रिया', 'क्रिया—' और '##—', स्थितियों में दृष्टिगत हुआ है।

३.२.२.३. **कहां**

'कहां' युक्त निषेधात्मक वाक्यों के कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. कहाँ जाओगे दादा? वहां भी इसी तरह के हरामी मिलेंगे। (रा० ३२४)

२. कहाँ जाओगे मुझसे बचकर, नरक तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा।

३. कैमरे वायरलैस लगी गाड़ियां—ये सब कहां हैं? (रा० १५)

४. लपक कहां जायेंगे? (रा० १८२)

'कहां' का प्रयोग '—क्रिया' अथवा 'क्रिया—' किया जाता है। वाक्यारंभ में प्रयोग करने पर भी यह क्रिया से संलग्न रहता है।

३.२.२.४. **कैसे**

'कैसे' युक्त निषेधात्मक वाक्यों के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. अभी से व्याकुल हो उठे तो कैसे चलेगा? (बैंक ३०)

२. आप इसको मेरा झुकाव कैसे कह सकते हैं।

३. आसाम के नव पद्म से हम कश्मीर के पम्पोश की गंध कैसे प्राप्त कर सकते हैं? (प्र० भू० ३)

४. इससे इन्कार कैसे किया जा सकता है? (शि० स० ६)

५. कैसे बचोगे? मैं जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा।

'कैसे' का अधिकांशत: प्रयोग '—क्रिया' होता है।

३.२.२.५. **किन/किस/कौन**

इनसे युक्त निषेधात्मक अभिव्यक्तियों के उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. क्यों दे आएं! किसी के दबैल हैं? (प्रे० १७)

२. तो वह किस खेत की मूली है? (बैंक ३५)

३. यहां आप किस वाइस-चांसलर से कम हैं? (प्रे० ३०)

४. आप लोगों के साथ रहकर मैं कौन-सा स्वर्ग भोग रहा हूं? (प्रे० ३०)

५. कौन सी आफत आ रही है? (रा० ४२)

६. बाहर कौन गाज गिर रही है?

'किन/किस/कौन' का हिंदी में प्रयोग '—कर्म संज्ञापद' होता है।

'क' शब्दों से युक्त अभिप्रेत निषेधात्मक अभिव्यक्तियों में 'क' शब्द का उच्चारण उच्च अनुतान में किया जाता है। 'क' शब्द का स्थान हिंदी में परिवर्तनीय है। अत: इसे २३१ अनुतान (तिवारी १६७६, ११३) मानना उचित नहीं है।

३.२.३. **कतिपय विशेष विशेषणों के आनुतानिक प्रयोग से**

अभिप्रेत निषेध के इस भेद के उदाहरण अत्यधिक कम मिलते हैं। हिंदी के अभिप्रेत निषेधार्थ व्यंजित करने वाले विशेष विशेषण निम्नांकित है—

१. अवश्य, जरूर   २. खूब, बड़ा, बहुत

३. थोड़े (ही) और   ४. भला।

३.२.३.१. **अवश्य, जरूर**

'अवश्य' और 'जरूर' से युक्त अभिप्रेत निषेध के उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. हां, वह तो जरूर जायेगा।

२. हां, हां, वह तो अवश्य जायेगा। आदि।

३.२.३.२. **खूब, बड़ा, बहुत**

१. वह तो बहुत आएगा।

२. वह खूब बड़ा।

३. वह तो बड़ा जाएगा। आदि।

३.२.३.३. **थोड़े (ही)**

१. गुंडों के सिर पर सींग थोड़े ही निकलते हैं। (रा० १८४)

२. उसने कत्ल थोड़े ही किया है। (ति० ११३)

३. मैंने थोड़े कहा था। (ति० २६३)

४. मैं तुमसे घर का काम थोड़े ही करवाऊंगा। आदि।

'थोड़े (ही)' से युक्त अभिव्यक्तियों के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि यह उसी अवयव का निषेध करता है जिसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है।

३.२.३.४. **भला**

१. आप भला बच तो लो मुझसे।

३. यह बात भला मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूं । आदि ।

उक्त सभी उदाहरणों का 'नहीं' युक्त अभिव्यक्ति में रूपांतरण करना सम्भव है । 'नहीं' युक्त रूपांतरण में नहीं का स्थान प्राय: '—क्रिया' रहेगा। इन निषेधात्मक अभिव्यक्तियों में उन विशेषणों पर ही अनुतान उच्च होती है । इस प्रकार के वाक्यों की एक विशेषता यह होती है कि ये वाक्य कुछ अधिक कहने की क्षमता रखते हैं तथा अनेकार्थक (एम्बीगुअस) होते हैं । उदाहरणार्थ—'मैंने थोड़े ही कहा था' के दो अर्थ हैं—

१. मैंने नहीं किसी और ने कहा था । तथा

२. मैंने कहा नहीं था, पढ़ा था ।

३.२.४. तो चुका/ली के आनुतानिक प्रयोग से

हिंदी की किसी भी भाषिक अभिव्यक्ति में 'तो' (परसर्ग) चुका (वृत्तिक क्रिया) के साथ आनुतानिक प्रयोग किया जाए तो अभिव्यक्ति [+निषेध] हो जाती है । उदाहरणार्थ निम्नांकित उदाहरणों—

१. मैं/वह/तू तो खा चुका खाना ।

२. आप/तुम तो खा चुके खाना ।

३. मैं/वह/तू तो खाना खा चुका ।

४. आप/तुम तो खाना खा चुके ।

मैं यदि रेखांकित को उच्चानुतान में उच्चरित किया जाए तो अभिव्यक्ति [+निषेध] हो जाती है । इस प्रकार की संरचनाओं में यदि संज्ञा/सर्वनाम के साथ 'ने'परसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो 'चुका' का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर 'ले'/'दे' के पूर्ण भूतकालिक कृदंत का प्रयोग किया जाता है । उल्लेखनीय तथ्य है कि 'दे' के पूर्ण कृदंतीय रूप का प्रयोग 'दे' क्रिया के साथ ही होता है अन्यथा 'ले' के पूर्ण कृदंतीय रूप का ।

३.२.५. तो…क्रिया (मूल धातु) +ने से रहा के आनुतानिक प्रयोग से

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में 'तो' का उच्चारण उच्च अनुतान में किया जाता है । कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. तो मेरे साथ चलने से रहे ।

२. वह तो पढ़ने से रहा ।

३. वह तो शोध-निबन्ध लिखने से रहा । आदि ।

४.०. निषेधवाचक अवययुक्त अभिप्रेत निषेध

हिंदी व्याकरणों में 'मत' निषेधवाचक अव्यय माना गया है, पर इस लघु शोध-प्रबंध में इसे 'अभिप्रेत निषेधवाचक' अवयव माना जा रहा है । 'न' और 'नहीं' के समान इसका प्रयोग क्रिया को सीधे ही निषेधित नहीं करता वरन क्रिया न करने (देने) की इच्छा को प्रकट करता है । 'मत' का प्रयोग केवल 'आदेशात्मक' (आज्ञा 'निवेदन, आग्रह आदि)

वाक्यों में होता है । पूर्व विवेचन में 'मत' युक्त वाक्यों को 'मनाही' का उदाहरण माना गया है । आपके साथ 'मत' के प्रयोग का प्राय: निषेध किया गया है पर 'आग्रहात्मक आदेश' (निवेदन) में इस प्रकार का प्रयोग सम्भव है । उदाहरणार्थ—

१. (आप) ऐसा मत कहो माता । (भा० १०३)

२. आप मुझे प्यार मत कीजिए/करना/करो ।

३. (आप) गोली मत चलाइए हुजूर, यह जोगनयवा है ।

४. साहब आप हमारे घरवालों को मत बताना ।

रू० प्र० व्याकरण की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि निषेधादेश में दो रूपांतरण नियम (रू० नि०) लागू होते हैं । साधारण अभिव्यक्ति को पहले तो आदेशात्मक रूपांतरण नियम (आ० रू० नि०) द्वारा आदेशात्मक अभिव्यक्ति में रूपांतरित किया जाता है । तत्पश्चात् उस आदेशात्मक अभिव्यक्ति पर निषेध रूपांतरण नियम (नि० रू० नि०) लागू किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप अभिव्यक्ति निषेधादेश में रूपांतरित हो जाती है (इन दोनों नियमों को लागू करने में उक्त क्रम रखना आवश्यक है । अन्यथा अव्याकरणिक एवं अग्राह्य, वाक्य उपलब्ध होंगे) । आदेशपूर्ति की तात्कालिकता के आधार पर निषेधादेश दो प्रकार का हो सकता है (तात्कालिकता से अभिप्राय यह है कि वक्ता आदेश की पूर्ति तत्काल चाहता है) सूत्र रूप में—

[±तात्कालिक] आदेश

अथवा नहीं ।

[+तात्कालिक] आदेश उन अभिव्यक्तियों में होता है, जिनमें भाषा प्रयोक्ता आदेश देने के साथ यह अभिमंशा भी रखता है कि उसके आदेश की तत्काल पूर्ति की जाए ।

[—तात्कालिक] आदेश उन अभिव्यक्तियों में होता है जिनका वक्ता आदेशपूर्ति तत्काल न चाहकर भविष्यकाल में चाहता है । आदेशवाचक वाक्यों का इनमें प्रयुक्त सर्वनाम तू, तुम और आप अथवा इनके स्थान पर प्रयुक्त किसी नामवाचक संज्ञा के आधार पर निम्नांकित तीन भेदों में वर्गीकरण किया जा सकता है—

१. तू, युक्त वाक्य

२. तुम युक्त वाक्य और

३. आप युक्त वाक्य ।

४.०.१. 'तू' युक्त वाक्य

साधारण अभिव्यक्ति यदि तू युक्त अथवा इसके समानांतर किसी नामवाचक संज्ञा से युक्त है तो आ० रू० लागू करने से उसमें निम्नांकित परिवर्तन आएंगे—

[+तात्कालिक] आदेश :—क्रिया की मूल धातु के साथ—शून्य प्रत्यय का योग किया जाएगा ।

और [—तात्कालिक] आदेश :—क्रिया की मूल धातु के साथ (—ना) प्रत्यय का योग किया जाएगा यह तो स्वत: ग्राह्य ही है ।

कि क्रिया में लिंग, वचन, पक्ष आदि द्योतक चिह्नकों का प्रयोग नहीं होगा। आ० रू० नि० से अभिव्यक्ति के कर्त्ता, संज्ञा पदबंध के सभी अवयवों का रूप संबोधनात्मक हो जाता है। कर्म संज्ञा पद के संदर्भ में यह रूपांतरण नियम (संज्ञा पदबंध रूपांतरण का) वैकल्पिक रहता है। यदि साधारण अभिव्यक्ति में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ हो तो उसके साथ 'तू' का वैकल्पिक रूप से आदेशवाचक अभिव्यक्ति में प्रयोग संभव है। [+तात्कालिक] आदेश के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. लड़का जाता है। जा रहा है=आ० रू० नि०⇒(१क.) लड़के (तू) जा।
२. लड़की जाती है। जा रही है=आ० रू० नि०⇒(२क.) लड़की (तू) जा।
३. साधू जाता है। जा रही है=आ० रू० नि०⇒(३क.) साधू (तू) जा।
४. राम जाता है। जा रहा है=आ०रू०नि०⇒(४क.) राम (तू) जा।

उक्त आदेशवाचक (१क, २क, ३क, ४क,) अभिव्यक्तियों पर नि० रू० नि० लागू करने पर निम्नांकित रूप सामने आएगा—

१. (ख) लड़के (तू) मत जा।
२. (ख) लड़की (तू) मत जा।
३. (ख) साधू (तू) मत जा।
४. (ख) राम (तू) मत जा।

[—तात्कालिक] आदेश रूपांतरण द्वारा निम्नांकित अभिव्यक्तियां प्राप्त होंगी—

१. (ग) लड़के (तू) मत जाना।
२. (ग) लड़की (तू) मत जाना।
३. (ग) साधू (तू) मत जाना।
४. (ग) राम (तू) मत जाना।

४.०.२. तुम युक्त वाक्य

तुम युक्त अथवा समानांतर नामवाचक संज्ञाओं से युक्त अभिव्यक्तियां चार प्रकार की हो सकती हैं। इनका सूत्र रूप निम्नांकित 'तुम [+तात्कालिक] आदेश' होगा। इस सूत्र के सन्दर्भ में स्वतःग्रह्य तथ्य है कि तुम का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में होता है। तुम युक्त अभिव्यक्तियों के आदेशवाचक रूपांतरण में एकवचन और बहुवचन के रूप समान होते हैं।

४.०.२.१. [+तात्कालिक] आदेश

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में क्रिया की मूल धातु के साथ '—ओ' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा पदबंध आदि का 'तू' युक्त आदेशात्मक वाक्यों के समान रूप संबोधनात्मक हो जाता है और इसकी स्थिति भी 'तू' के समान वैकल्पिक है।

१. लड़के (तुम) जाओ/=नि० रू० नि० ⇒ १ क. लड़के (तुम) मत जाओ।

२. लड़की (तुम) जाओ = नि० रू० ⇒ २ क. लड़की (तुम) मत जाओ।
३. साधू (तुम) जाओ=नि० रू० नि० ⇒ ३ क. साधू (तुम) मत जाओ।
४. राम (तुम) जाओ=नि० रू० नि०→४ क. राम (तुम) मत जाओ।

निवेदन परक अभिव्यक्तियों में क्रिया की मूल धातु के साथ 'इए' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है—

तुम मत जाइए।
तुम मत खाइए। आदि।

४.०.२.२. [—तात्कालिक] आदेश

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में क्रिया की मूल धातु के साथ—'ना' प्रत्यय का योग किया जाता है। उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. (ख) लड़के (तुम) मत जाना।
२. (ख) लड़की (तुम) मत जाना।
३. (ख) साधू (तुम) मत जाना।
४. (ख) राम (तुम) मत जाना। आदि।

इस प्रकार की निवेदनपरक अभिव्यक्तियों में '—इएगा' प्रत्यय लगाया जाता है—

तुम मेरे घर मत आइएगा। आदि।

४.०.३. आप युक्त वाक्य

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों के वर्गीकरण का सूत्र निम्नांकित होगा :

'आप [+तात्कालिक] आदेश।'

तुम के समान आपका प्रयोग एकवचन और बहुवचन में संभव है।

४.०.३.१. +[तात्कालिक] आदेश—एकवचन

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में मुख्यतः—'इए' प्रत्यय का मूल धातु क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है। पर इस भेद में '—एं','—ओ' प्रत्यय का भी प्रयोग संभव है। उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. पिताजी, आप मत जाइए।
२. ? पिताजी, आप मत जाएं।
३. आप मत जाओ, पिताजी। (बलात्मक)

४.०.३.२. [+तात्कालिक] आदेश—बहुवचन

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में मुख्यतः—'एं' प्रत्यय का मूल धातु क्रिया से साथ प्रयोग किया जाता है। इसके स्थान पर यदा-कदा '—इए' और '—ओ' का प्रयोग भी संभव है। उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. ? आप सब मत जाएं तो अच्छा। [—निषेध] अभिव्यक्ति संदिग्ध नहीं होती।
२. आप सब मत जाइए।
३. आप सब मत जाओ।

४.०.३.३. [—तात्कालिक] आदेश—एकवचन और बहुवचन

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में मुख्यतः मूल धातु क्रिया में—'इएगा' प्रत्यय जोड़ा जाता है। परन्तु '—ना' प्रत्यय के प्रयोग को भी निषेधित नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ—

१. आप वहां मत जाइएगा।
२. आप वहां मत जाना।
३. आप सब वहां मत जाइएगा।
४. आप सब वहां मत जाना।

दे, पी, ले, आदि कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनका 'तू [+तात्कालिक]' भेद में मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी रूपों में प्रयोग करने पर इनके मूल रूप में परिवर्तन करना अपेक्षित होता है।

उक्त सभी प्रकार की आदेशवाचक अभिव्यक्तियों को एक सूत्र द्वारा परिभाषित करना चाहें तो वह सूत्र निम्नांकित होगा—

तू/तुम/आप [±तात्कालिक आदेश।]

४.०.४. 'मत' का वाक्य में स्थान

अब तक 'मत' युक्त अभिव्यक्तियों के जितने भी उदाहरण उद्धृत किए गए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि अन्य क्रियाविशेषणों के समान 'मत' का सामान्य प्रयोग '—क्रिया' है। यदि निषेधादेश [+बल] हो तो 'मत' के अभिव्यक्ति में प्रयोग के स्थान में व्यतिक्रम संभव है। इस प्रकार की [+बल] निषेधादेश अभिव्यक्तियों में मत का प्रयोग 'क्रिया—' होता है। कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. घबराओ मत।
२. डरो मत, मैं हूं कृत वर्मा (भा० ३२)
३. ना, ना, छूना मत। (ना० १६५)
४. बोलो मत। (ना० १८८)
५. मुझको चिढ़ाओ मत। (क० २१)

'—क्रिया' रूप में प्रयोग के कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. इन वजहों पर मत जाइए।
२. ऐसा मत कहो। (भा० १०३)
३. कीचड़ की चापलूसी मत करो। (अ$_2$ १२१)
४. जनाने वेटिंग रूम में जाने की मत कहिएगा। (अ$_2$ १२१)

५. शोर मत मचाओ। (अ$_2$ १३०)

४.१. 'मत' और क्रिया भेद

संरचना आदि के आधार पर क्रिया के अनेक भेद माने गए हैं। क्रिया के उन सभी प्रकारों के संदर्भ में भी 'मत' का प्रयोग विवेच्य है।

४.१.१. मूल धातु रूप

क्रिया के 'मूल धातु' रूप तथा 'आदेशवाचक' रूपों का तो पीछे संकेत किया गया है। कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. तू मत चल।
२. तू मत पढ़।
३. ना, ना, छूना मत। (ना० १६५)
४. निगौड़ी बहुत बढ़-बढ़ के मत बोल। (ना० २३१)
५. बीच में मत बोल। (अ$_2$ १५५)

४.१.२. आदेशवाचक रूप

१. भगवान के लिए मुझे जलील मत कीजिए।
२. ये झूठा रोब मत झाड़ो, इस वक्त समझें। (ना० १७६)

४.१.२. यौगिक क्रिया

यौगिक क्रिया अनेक प्रकार की होती हैं। रचना के स्तर पर यौगिक क्रिया एकाधिक इकाई से युक्त होती है।

द्विधातुक क्रिया

हिंदी में 'ला' एकमात्र द्विधातुक क्रिया है (तिवारी; १६७६, २१०)। इसके 'मूल धातुक' व 'आदेशवाचक रूपों' की 'मत' युक्त अभिव्यक्तियों के उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. तू खाना मत ला।
२. तुम (सब) खाना मत लाओ।
३. आप (सब) खाना मत लाओ/लाइए। आदि।

नामिक क्रिया

नामिक क्रिया क्रियेतर शब्द और क्रिया का वह अनुक्रम है, जिसमें क्रियेतर शब्द अपनी स्वतन्त्र सत्ता छोड़कर क्रिया का अंग बन जाता है, तथा दोनों मिलकर एकलभाव क्रिया का बोध कराते हैं। प्रथम घटक के आधार पर यह तीन प्रकार की हो सकती हैं—

१. संज्ञानिर्मित,

२. विशेषणनिर्मित और

३. अव्यय निर्मित। (तिवारी, १९७९, २११)

तीनों प्रकार की नामिक क्रियाओं से युक्त 'अभिव्यक्तियों के उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. अभी से बस मत करो। (अव्यय निर्मित)
२. उसे नष्ट मत करो। (विशेषण निर्मित)
३. ग्रहण के समय घर से बाहर मत निकलो। (अ० १३)
४. तुम फिकर मत करो बिन्नो। (ना० २२४)
५. बकवास बाजी मत छांटों। (बैंक ३०) (संज्ञा निर्मित)
६. बात मत करो। (क० १२)
७. शोर मत मचाओ। (अ₂ १३०)
८. संशय मत करें।'(भा० २४)

अनुकरणात्मक क्रिया

अनुकरणात्मक क्रिया के मूल धातु रूप तथा आदेशात्मक रूप दोनों के ही साथ 'मत' का प्रयोग सम्भव है। 'मत' का यह प्रयोग यदा-कदा अटपटा लगता है और अभिव्यक्ति को संदिग्ध बना देता है—

१. अभी से मत भड़-भड़ कर। (मूल धातु रूप)
२. अभी से मत भड़भड़ाओ। (आदेशात्मक रूप)
३. बर्तन धोकर मत चमचमाओ।

४.१.३. संयुक्त क्रिया

मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया मिलकर संयुक्त क्रियाओं की रचना होती है। संयुक्त क्रिया में रंजक क्रिया मुख्य क्रिया पर अपना रंग चढ़ा देती है। रंजक क्रियाओं का सामान्यतः निषेधवाचक वाक्यों में प्रयोग नहीं होता, पर कुछ रंजक क्रियाओं का निषेधवाचक वाक्यों में प्रयोग संभव है। कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. काम मत करते चलना।
२. तुम उसे मार मत डालना।
३. वहां मत जाया करो।
४. शेर के डर से तुम कांप मत उठना।

४.१.४. वृत्तिक क्रिया

वृत्तिक क्रिया उसे कहते हैं जिससे वक्ता के दृष्टिकोण का पता चलता है। हिन्दी में 'चाहिए, चुकना, पड़ना, पाना, सकना तथा होना' वृत्तिक क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग करने पर इनके आदेशात्मक रूप नहीं बनते। (तिवारी १९७९; २३८) आदेशात्मक रूप न बन पाने के कारण इनका 'मत' के साथ प्रयोग होने का सवाल ही नहीं उठता।

४.१.५. अकर्मक और सकर्मक क्रिया

कर्मकता के आधार पर क्रियाओं के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं—

१. अकर्मक।
२. सकर्मक।

सकर्मक क्रियाओं का अपेक्षित कर्मों की संख्या के आधार पर पुनः वर्गीकरण सम्भव है—

१. एककर्मक और
२. द्विकर्मक।

अब क्रमशः इनके साथ 'मत' के प्रयोग के उदाहरण दिए जा रहे हैं—

अकर्मक क्रिया

१. उल्टे मत चलो।
२. घबराओ मत।

एककर्मक क्रिया

१. मेरी मां को मत सताइएगा। (ना० १७६)
२. मुझसे ले लो सत्य मत डरो। (भा० २६)

द्विकर्मक क्रिया

१. गाली मत देना। (क० ४५)
२. दोष किसी को मत दो अंधा था मैं···। (भा० २३)

४.२. हिंदी वाच्य और 'मत'

'मत' का प्रयोग कर्तृ वाच्य में ही संभव है। अकर्तृवाच्य में 'नहीं' का प्रयोग किया जाता है। कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. राम, तुम मत हंसो।
२. राम, तुम मत पढ़ो।
३. राम, तुम मोहन को पत्र मत लिखो।

४.३. वाक्य प्रकार एवं 'मत'

वाक्य के प्रकारों के संदर्भ में भी 'मत' के प्रयोग पर विचार करना आवश्यक है। साधारणतः वाक्य तीन प्रकार के माने जाते हैं (इस विषय में विवाद है कि तीन प्रकार के माने जाएं अथवा दो प्रकार के)।

१. साधारण, २. मिश्र और ३. संयुक्त वाक्य।

साधारण वाक्य

शोध-प्रबंध के पूर्व विवेचन में उद्धृत वाक्यों में से अधिकांश वाक्य साधारण वाक्य ही हैं। साधारण वाक्यों में 'मत' का सामान्य प्रयोग' —क्रिया' है।

मिश्र वाक्य

मिश्र वाक्य के दोनों घटकों प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य में 'मत' का प्रयोग समव है। उदाहरणार्थ—

प्रधान उपवाक्य में

१. आप मुझसे मत कहो कि मैं आपकी सेवा करू।
२. गाली मत देना, नहीं तो देख लूंगा। (क० ४५)

आश्रित उप वाक्य में

१. उनसे कह दिया कि बस कल से कॉलिज मत आना। (रा० ३६०)
२. उन्होंने आश्वासन दिया कि बस रुपये की चिंता मत करो। (रा० ३२५)

संयुक्त वाक्य

संयुक्त वाक्य के किसी भी कारक में 'मत' का प्रयोग संभव है। यह उल्लेखनीय है कि 'मत' का क्षेत्र उस उपवाक्य तक ही सीमित रहता है जिसका वह अंग होता है।

४.४ प्रेरणार्थक रचनाएं एवं 'मत'

'मत' का प्रयोग प्रेरणार्थक निषेधवाचक अभिव्यक्तियों में भी संभव है। इस प्रकार की अभिव्यक्तियां प्राप्त करने के लिए साधारण अभिव्यक्ति पर तीन रूपांतरण नियम लागू करने पड़ते हैं। ये तीन रूपांतरण नियम हैं—

१. प्रेरणार्थक रूपांतरण नियम— [१. प्रेत्यक्ष प्रेरणार्थक रूपांतरण नियम / २. परोक्ष प्रेरणार्थक रूपांतरण नियम]
(प्रे० रू० नि०)
२. आ० रू० नि०
३. नि० रू० नि०

इन तीनों रूपांतरण नियमों का क्रम भी इसी रूप में होना चाहिए। इस संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नांकित सूत्र के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है—

साधारण अभिव्यक्ति=प्रे०रू०नि०⇒प्रेरणार्थक अभिव्यक्ति=आ० रू० नि० ⇒प्रेरणार्थकादेश अभिव्यक्ति=नि० रू० नि०⇒प्रेरणार्थकादेश युक्त निषेधात्मक अभिव्यक्ति।

प्रेरणार्थक रचनाएं दो प्रकार की होती हैं। उक्त प्रक्रिया के माध्यम से दोनों प्रकार की रचनाओं का निर्माण संभव है।

प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक

बच्चा चलता है।=प्र० प्रे० रू० नि०⇒मां बच्चे को चलाती है।=आ० रू० नि०⇒ मां बच्चे को चलाओ '=नि० रू० नि०⇒(मां) बच्चे को मत चलाओ।

परोक्ष प्रेरणार्थक

बच्चा चलता है।=प० प्रे० रू० नि०⇒मां बच्चे को नौकर से चलवाती है। =आ०रू० नि०⇒मां (तुम)(आप) नौकर से बच्चे को चलवाओ।=नि०रू० नि०⇒

१. मां (आप) (तुम) नौकर से बच्चे को मत चलवाओ। अथवा नौकर से बच्चे को मत चलवाओ। अथवा

प्रेरणार्थक वाक्यों की निषेधवाचकता के संबंध में उल्लेखनीय है कि इसका संबंध प्रेरक कर्ता से होता है। (शर्मा, सारी १९७४; ८७)

४.५ सामान्य कथन

निषेध के इस भेद के अंतर्गत 'न' और 'नहीं' युक्त आदेशवाचक वाक्य तो आएंगे ही इनके अलावा अनेक निषेधवाचक रूपिमों का इस रूप में प्रयोग संभव है। ये रूपिम निम्नांकित हैं—

१. इन्कार,	२. नकारना/नकार देना,
३. निषिद्ध,	४. निषेधित,
५. मना, और	६. मनाही आदि।

इन सभी रूपिमों को इस भेद के अंतर्गत समाहित करने का कारण यह है कि ये भी प्रत्यक्षतः क्रिया का निषेध नहीं करते वरन् 'मत' के समान प्रकारांतर से क्रिया के अभावादि को सूचित करते हैं। इनसे युक्त अभिव्यक्तियों का भी आसानी से मनायुक्त रूपांतरण किया जा सकता है। कुछ उदाहरण एवं उनकी मनायुक्त व्याख्या निम्नांकित हैं—

१. इस तथ्य को आसानी से नकारा जा सकता है।⇒
किसी ने मना किया है (यह तथ्य स्वीकार किया जा सकता है)।
२. उसने वहां जाने से इन्कार कर दिया।⇒
३. उसने मना किया है (वह वहां जाएगा)।
४. धूम्रपान निषिद्ध है।⇒
किसी ने मना किया है (यहाँ धूम्रपान करो)।

निषेधवाचक अवयव युक्त निषेध

५.०. नि० अ० युक्त वाक्य वाक्यों के दो प्रारंभिक भेदों का निरूपण (२.२.२.) मे किया गया है। अब उसके पहले भेद बद्ध निषेधात्मक रूपिम युक्त निषेध पर विचार किया जा रहा है।

५.१. बद्ध रूपिम युक्त निषेधात्मक वाक्य

व्यक्त निषेध के इस भेद पर इस कृति में निषेध के स्वरूप निरूपण में विचार किया गया है। इस प्रकार के निषेध से युक्त भाषिक अभिव्यक्तियों के कम-से-कम एक अवयव में निषेधात्मक बद्ध रूपिम का प्रयोग रहता है। यह बद्ध रूपिम 'उपसर्ग' अथवा 'प्रत्यय' हो सकता है। निषेधात्मक के इस रूप को भिन्न विद्वानों ने भिन्न नामों से अभिहित किया है। कुछ के नामों का उल्लेख किया जा रहा है—

१. स्पेशल नेग (जेस्पर्सन १९११; ४३८)
२. मोर्फेमिक नेगेशन (सिंह, इंदर १९७१; ३८-३९)
३. लेक्सिकल मार्कर युक्त (सिंह, यू० एन० १९७७; २९५)
४. बाउंड मार्कर युक्त (रैना, एस. एन. १९७६; २८)
५. आबद्धरूप (महाराणा, दुर्योधन, १९७६; ५४)
६. मोर्फोलोजिकल कंस्ट्रक्शन्स (एंस्थेलिगम एस० १९७९; ५९)
७. शब्दस्तरीय निषेधबोधकता (तिवारी, भोलानाथ १९७९; २६१)

हिन्दी में निषेधावाचक बद्ध रूपिम के रूप में कुछ उपसर्गों एवं अंग्रेजी के पर्याय 'लेस' (रहित) के पर्यायों का प्रत्ययवत् प्रयोग होता है। इसका निषेध के सभी छह अर्थों में प्रयोग मिलता है।

निषेधवाचक बद्ध रूपिम से युक्त पदों के विषय में यह तथ्य विवादास्पद है कि इनका स्रोत निषेधात्मक वाक्य माना जाये अथवा इन्हें मूल पद माना जाए। हिन्दी में निषेधकी अभिव्यक्ति करने वाले उपसर्ग निम्नांकित हैं—

१. अ,—२. अन्—३. अप,—४. अव,—५. कु,—६. दु,—७. दुर,—दुष्, ८. ना,—९. नि,—१०. निर, निष्--; नि—, निश्—, निस—, ११. पर,—१२. प्रति,—१३. बद्ध,—१४. बिना,—१५. बिला---, १६. बे—, १७. ला—, १८. वि—। (तिवारी १९७९; १३७-१३९)

५. १. ०. अ—उपसर्ग का विस्तृत विवेचन

विवेचन सुविधा हेतु 'अ—' उपसर्ग के ही छह अर्थों से युक्त पदों के अलग-अलग उदाहरण दिए जा रहे हैं। शेष सभी को अर्थाधार पर छह वर्ग बनाकर लिया जाएगा।

सादृश्य—अब्राह्मण (ब्राह्मण के लिए ही अथवा, जातीय अर्थ में प्रयुक्त), अयोगी (योगी के लिए अथवा, जो योग न करे उस मानव के लिए प्रयुक्त) आदि।

अभाव—अवांछित (न० ३,५), असफलता (चा० १८०), अभावात्मक (मु० १००), असहनीय (मा० १०७), अपरोक्षतः (प्र० ३), अनिश्चित (प्र० २७), असंतुलन (अ, १०), अपदस्थ (अ०, २३), अभिज्ञ (गु० ३), अनिर्दिष्ट (शु० ३), अविच्छिन्न (मु० १०) आदि।

अन्यता—अमर्त्यलोक (मुं० २१८). अभूतपूर्व (रा० २४९), अस्वाभाविक (रा० ३२३), अद्वितीय (अ१ ३४), अमूल्य (गु० ८) आदि।

अल्पता—अपूर्ण (मा० ३१), अपर्याप्त (शि० ८) आदि।

निंदा—अकर्म (मुं० २०८), अमानुषिक (भा० १०७, १२७, १७७), अशिक्षित (रा० २१७), असुंदर (गु०११), अश्लील शि० २५), अविवेकपूर्ण (दै०हिं०१,५) असम्मानजनक (ना० १८२), अश्रद्धा (शु० १३) आदि।

विरोध...अस्थायी (दै० हिं० ३, २), अशांत(ना० १७४), अभेद्य(ना०१७४) आदि। अ—का अधिकांशतः बद्धरूपिम के रूप में विरोध, अभाव तथा निन्दा प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है। शेष तीनों प्रकारों के उदाहरण सामग्री संकलन में अत्यधिक कम मिले हैं।

५. २. अन्य उपसर्ग

हिन्दी के अ इतर सभी निषेधात्मक उपसर्गों को निषेध के छह अर्थों के आधार पर क्रमशः विवेचित किया जा रहा है।

सादृश्य

'न—' और 'ना—' उपसर्गों का ही सादृश्याधारित निषेध अर्थ में प्रयोग दृष्टिगत हुआ है। उदाहरण निम्नांकित हैं—

नास्तिक (भा० ११३), नपुंसक (रा०१३४), नाबालिग (रा० २१८) और नामर्दी (रा० ६९)।

अल्पता एवं अन्यता

इन अर्थों में बद्ध निषेधात्मक रूपिम का [प्रयोग अत्यधिक कम होता है। 'अल्पता' के तो 'अ' के उदाहरण ही मिले जिनका संकेत पहले कर दिया गया है। 'अन्यता' के अन्य उदाहरण निम्नांकित हैं—

नगण्यता (मुं० २०१, शि० ११, अ' २२), नौ सीखिया (रा० २६४) आदि।

निंदा

निंदा के अर्थ में बद्ध निषेध रूपिमों का प्रयोग उक्त तीनों से अधिक दृष्टिगत होता है। कुछ उपसर्गों तथा कु, दु, दुरु, दुष्, बद् आदि तो पूर्णतः निंदावाचक ही हैं। कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

अनुचित (ना० १८१, मा०६३, रा० १६३, ३३२, ३३५), अनर्थ (क० २७,) कुकर्म (मुं० २०८), कुरूप (रा० १००), कुलच्छनी (रा० १०६), दुकाल (ति० १३६), दुर्व्यवहार (क० ७), दुराचारी (रा० १६८), निकम्मी (भा० ६१, ७६), निकम्मा (रा०१६१), बदनाम (क० ७), बदचलन (रा० ४०), बदबूदार (रा०'२२७), बेतरतीब (रा० ३२५), बेहया (रा० ५७) आदि।

विरोध

निषेध के मुख्य दो अर्थों में से एक विरोधसूचित करता है। कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

अनधिकृत (न० ३, ५), अनुचित (ना० १८१), अनपेक्षित (क० २१), नालायकी (ना० २२६, रा १७), निडर (क० १०), पराजय, प्रतिकूल (रा० २६०), बेमौका (ना० १६१), बेअसर (क० ७), लापरवाह (ति० १३६), विकृत (भा० १२), आदि।

अभाव

'अभाव' का निषेध का मुख्य अर्थ है, अतः इस अर्थ में निषेध का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इस अर्थ के कतिपत उदाहरण निम्नांकित हैं—

अनासक्त (भा० १२), अनायास (मु० १३), अनन्त (ना० १७४), नाकामयाब (रा० २३६), नापसन्दगी (रा० २७७), निशुल्क (न० २,२,), निस्तब्ध (मा० १०६), नीरोग (रा० १८१), नीरस (रा० ३४४) बेहाय (ना० १६०), बेहोश (ना० १००), बेतार (गु० ५), बेतकुल्लफी (क० १३), लापरवाही (न० ३, ४), लाइलाज (नि० १३६), विधवा (भा० १४), वियोग (नि० १३६) आदि।

उल्लेखनीय तथ्य है कि संदर्भ के कारण इनमें से कोई भी पद एकाधिक अर्थ भी व्यक्त कर सकता है।

५. ३. ६. अभावसूचक प्रत्ययवत् प्रयुक्त रूपिम

इनसे निषेधात्मक समास का निर्माण किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये प्रायः अभाव ही सूचित करते हैं—

१. मुक्त

२. रहित/शून्य/हीन (विहीन)।

कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

दृष्टिहीन (न०, ४, ५), मेधा शून्य (नि० २६३), सिर विहीन, ऋण मुक्त, क्रिया-हीन,/विहीन/शून्य/रहित, गुण-हीन/विहीन/शून्य/रहित, गंध-हीन/विहीन रहित/शून्य, आदि।

निषेध के छह अर्थों के संदर्भ में निषेधात्मक अवयव का विवेचन बद्ध रूपिम के संदर्भ में ही किया गया है।

६. ०. मुक्त रूपिम युक्त निषेध

नि० अ० युक्त निषेध के दो मूल भेद किए गए हैं जिनमें पहले का तो विवेचन कर दिया गया है। दूसरा भेद है, 'मुक्त रूपिम युक्त निषेध।' इसके पुनः दो भेद किए जा सकते हैं—१. 'नहीं' युक्त और २. 'न' युक्त वाक्य।

इसके पहले भेद 'नहीं' युक्त वाक्यों का अब विवेचन किया जा रहा है।

६. १. 'नहीं' युक्त निषेधात्मक वाक्य

'नहीं' का हिन्दी की निषेधात्मक अभिव्यक्तियों में सर्वाधिक प्रयोग होता है। साहित्य में ही नहीं, वरन् दैनिक वार्तालाप में भी परिणाम की दृष्टि से 'नहीं' युक्त अभिव्यक्तियां सर्वाधिक होती हैं। 'मत' का प्रयोग तो मात्र 'आदेशवाचक अभिव्यक्तियों' तक ही सीमित है, 'न' युक्त अभिव्यक्तियों का भी हिन्दी में प्रयोग अत्यधिक सीमित है। 'न' के विषय में उल्लेखनीय है कि हिन्दी में इसका प्रयोग [—निषेध] अवयव के रूप में अधिक होता है। कुछ हिन्दी वैयाकरणों ने 'नहीं' का आदेशात्मक वाक्यों में प्रयोग निषिद्ध किया है, (गुरु १६२१, १६७८, ३६६, सहाय १६६४, १६७३, ६६ दीमशित्स १६६८; २१५) पर इसका आदेशवाचक वाक्यों में प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध नहीं किया जा सकता।

६. १. १. वाक्यों में शब्द क्रम की दृष्टि से 'नहीं' का स्थान

वाक्यों में शब्द क्रम की दृष्टि से सहाय (१६६८, १६७३, ६६) ने 'नहीं' का प्रयोग चार स्थलों पर स्वीकार किया है—

१. —क्रिया २. मुख्यक्रिया—सहायक क्रिया
३. क्रिया— ४. —पूरक कर्म।

'नहीं' का ही नहीं अपितु सभी क्रियाविशेषणों का हिन्दी में सामान्य प्रयोग '—क्रिया' है। 'भाषिक व्यवस्था' के धरातल पर तो यह कथन उचित ठहरता है पर जब 'भाषिक अभिव्यक्ति व्यवस्था' के धरातल पर नहीं के 'भाषिक अभिव्यक्ति' में स्थान को देखते हैं यह इस नियम से स्खलन भी दृष्टिगत होता है। 'भाषिक अभिव्यक्ति-व्यवस्था' के स्तर पर 'भाषिक व्यवस्था' के ये सामान्य नियम कुछ उदार हो जाते हैं। नियमों की इस उदारता के फलस्वरूप ही 'भाषिक अभिव्यक्ति-व्यवस्था' में अनेक व्यतिरेक आ जाते हैं। इन व्यतिरेकों के मूल में अनेक कारण अंतर्निहित होते हैं, 'बला-

घात' उन कारणों में से एक है। हिन्दी की भाषिक अभिव्यक्तियों में क्रिया विशेषण के स्थान के परिवर्तन का मुख्य कारण 'बलाघात' ही है। यदि हिन्दी की किसी भी निषेधात्मक अभिव्यक्ति की क्रिया [+बलाघात] हो तो अभिव्यक्ति के अन्य अवयवों के अन्वय में अन्तर आ जाता है। निषेधात्मक अवयव 'नहीं' के सामान्य प्रयोग के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

—क्रिया

१. अनुभावात्मक रूपों का चित्रण हमें नहीं दिखाई देता था। (मु० ३०)
२. अवगत होने की आवश्यकता नहीं है। (मु० र० १०)
३. तिवारी अब हमारे बीच रहीं रहे। (दे० हिं० ६, ५)
४. पर मैं जरा भी जोर नहीं देता। (अ २९)
५. सामान्य मान-मूल्य सर्वस्वीकृत नहीं हो पाये हैं। (शि०स० ४)

मुख्य क्रिया —सहायक क्रिया

'नहीं' का हिन्दी की निषेधात्मक अभिव्यक्तियों में दूसरी प्रकार का प्रयोग 'मुख्य क्रिया—स० क्रिया' है। नहीं का इस रूप में प्रयोग किये जाने पर 'नहीं' का सम्बन्ध मुख्य क्रिया से होता है। दो सहायक क्रिया के मध्य 'नहीं' का प्रयोग अव्याकरणिक होता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. ट्रक दस टन से अधिक माल उठा नहीं सकता। (न० ४, ५)
२- लम्बी अवधि तक इकट्ठी होकर नहीं रह सकेंगी। (दै० हिं० १, ८,)
३. वह अपने आपको समझ नहीं पा रहा था। (ना० २२७)
४. वह कुछ कह नहीं सकता था। (बैंक ६३)
५. सारी रात सो नहीं सका। (क० ८)

क्रिया—

वाक्य में स्थान की दृष्टि से यह 'नहीं' का तीसरे प्रकार का प्रयोग है। 'नहीं' का इस रूप में प्रयोग बलाघात का परिणाम है। यदि क्रिया का बलात्मक निषेध सूचित करना हो तो भाषिक अभिव्यक्ति में 'नहीं' का इस रूप में प्रयोग होता है—

१. इस जलूस को पुलिस ने रोका नहीं। (दै० हिं० २, ७)
२. किसी से कहना नहीं। (रा० ६६)
३. बाह्यतः मूल्य प्रदान करते हुए भी अपनाता नहीं। (मु० १३)
४. दूसरा पहलू मैं आपसे छिपाऊं नहीं। ($अ_2$ १०७)
५. वह विषय बड़ा नीरस है और कहीं पहुंचाता नहीं। ($अ_2$ १०२)

कर्म-पूरक

'नहीं' का चौथे प्रकार का प्रयोग है—कर्म/पूरक। इस प्रकार का प्रयोग वार्तालाप में ही

दृष्टिगत होता है। इस प्रकार के प्रयोग के उदाहरण सामग्री संकलन में अनुपलब्ध ही रहे हैं। कुछ उदाहरण (सहाय, १९७३; ७०) निम्नांकित हैं—

१. आम नहीं अच्छा था। २. राम नहीं सहमत था।
३. उसने नहीं गाली दी। ४. उसने नहीं छड़ी तोड़ी।

अन्य कारकों में

इसके अतिरिक्त अन्य कारकों में आने वाले शब्दों के पूर्व भी 'नहीं' का प्रयोग किया जा सकता। उदाहरण (सहाय, १९७३; ७०)—

५. उसने नहीं डंडा मारा (कारणकारक)
६. वह नहीं छत से गिरा। (अपादान कारक)

६. १. २. वाक्य सीमा पर 'नहीं' प्रयोग

'नहीं' का प्रयोग वाक्य सीमा (##) पर भी सम्भव है। 'नहीं' के इस रूप में प्रयोग के मूल में दो कारण अन्तर्निहित हैं—

१. क्रिया का 'नहीं' से पहले प्रयोग और
२. क्रिया का लोप।

क्रिया-लोप के कारण

क्रिया के 'नहीं' से पहले प्रयोग (क्रिया—) पर तो ऊपर प्रकाश डाला गया है। दूसरे प्रकार के प्रयोग के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. उनके विचारों में भाग्यवाद अवश्य है किन्तु कर्मवाद नहीं। (गु०६)
२. उसका अंत नहीं। (ना० १७५)
३. किसी किस्म की कोई समस्या तो नहीं। (बैंक २८)
४. दायें-बायें की तमीज नहीं। (रा० ४६)
५. समाचार का पुनर्गठन नहीं। (दै० हिं० १, ७)
६. संस्कृत हिन्दी परिवार की विशेषता है, यूरोपीय भाषाओं की नहीं। (रा० भा० ९४)

उक्त उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि वाक्य सीमा पर 'नहीं' युक्त अभिव्यक्तियों में या तो 'है' का बोध कर दिया जाता है अथवा संपूर्ण क्रिया का। क्रिया लोप की सामान्य प्रक्रिया पर विचार करें तो इसके दो प्रकार सम्मुख आते हैं—

१. प्रथम वाक्य की क्रिया का लोप द्वितीय वाक्य की क्रिया से समरूपता के आधार पर और
२. द्वितीय वाक्य की क्रिया का लोप प्रथम वाक्य की क्रिया से समरूपता के आधार पर।

इस 'क्रिया लोपन-प्रक्रिया' को गैपिंग' कहा जाता है। पहले भेद के उदाहरणों का यहाँ विवेचन किया जा रहा है—

१. राम ने रोटी नहीं, चावल खाये।

२. राजेश घर नहीं, स्कूल गया।

उक्त दोनों उदाहरणों के प्रथम वाक्यों की क्रिया का लोप द्वितीय वाक्य की क्रिया से समरूपता के कारण हो गया है। रू० प्र० व्याकरण के आधार पर विचार करें तो ये दोनों उदाहरण निम्नांकित दो-दो वाक्यों से मिलकर बने हैं—

१. राम ने रोटी नहीं खायी   २. राम ने चावल खाये।

१. राजेश घर नहीं गया   २. राजेश स्कूल गया।

उक्त दोनों उदाहरणों में से प्रथम वाक्य की क्रिया तथा द्वितीय वाक्यों का कर्ता संज्ञा पदबन्ध एक दूसरे की क्रिया एवं संज्ञापदबन्ध के समरूप होने के कारण लुप्त हो गए हैं।

६. १. ३. 'नहीं' युक्त वाक्यों में 'है' की स्थिति

'काल और विधेय' विषय पर विचार करते हुए श्रीवास्तव (१९७३; २०३-२०४) ने निश्चित प्रकार के चार 'क्रिया-पक्षों' का संकेत किया है—

१. स्थित्यात्मक (सामान्य) विधेय

२. आवृत्तिमूलक विधेय

३. सातत्यपरक विधेय

४. पूर्णकालिक विधेय।

यहां यह संकेत करना तो अनावश्यक है कि 'है' का प्रयोग वर्तमान काल में ही होता है। 'स्थित्यात्मक (सामान्य) विधेय' की निषेधात्मक अभिव्यक्तियों में 'नहीं' के पश्चात् 'है' का लोप नहीं होता। उदाहरणार्थ—

१. राम घर में न है। =नि० रू० नि० ⇒ राम घर में नहीं है।
*राम घर में नहीं।

२. राम ईश्वर न है। =नि० रू० नि० ⇒ राम ईश्वर नहीं है।
*राम ईश्वर नहीं।

इस प्रकार की विधेय से युक्त अभिव्यक्तियों का यदि मिश्र वाक्यों के मुख्य उप-वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह 'है' अनावश्यक (रिडन्डेंट) हो जाता है तथा इसका प्रयोग 'वैकल्पिक' (ऑप्शनल) हो जाता है। उदाहरणार्थ—

१. राम घर में नहीं (है) बाहर है।

२. राम ईश्वर नहीं (है) मानव है। आदि।

शेष तीनों प्रकार के विधेयों की 'नहीं' युक्त निषेधात्मक अभिव्यक्तियों में 'है' का प्रयोग अनावश्यक ही होता है। उदाहरणार्थ—

१ (क) सोहन किताबें लिखता है। (श्री० २०३) =नि० रू० नि० ⇒
(ख) सोहन किताबें नहीं लिखता।

२. (क) सोहन किताबें लिख रहा है। (श्री० २०४) =नि० रू० नि० ⇒
(ख) सोहन किताबें नहीं लिखता।

३. (क) सोहन ने किताबें लिखी है। (श्री० २०४) =नि० रू० नि० ⇒
(ख) सोहन ने किताबें नहीं लिखीं।

'है' लोप के संदर्भ में उल्लेखनीय तथ्य है कि इन तीनों विधेयों का मिश्र वाक्य के प्रधान उपवाक्य के रूप में प्रयोग होने पर संयोजक पूर्व 'है' का प्रयोग वैकल्पिक हो जाता है। उदाहरणार्थ—

१. सोहन किताबें नहीं लिखता (है) अपितु पढ़ता है।

२. मुझे पता नहीं (है) वह लड़की है अथवा लड़का। आदि।

इसी प्रकार अब एक तथ्य का निषेध करके दूसरे का निरूपण किया जाता है तो 'है' का प्रयोग वैकल्पिक हो जाता है—

१. वह लड़का नहीं (है) लड़की है।

२. यह पुस्तक नहीं (है) पुस्तिका है।

६.१.४ क्रिया प्रकार एवं 'नहीं'

संरचना आदि के आधार पर क्रिया के अनेक प्रकार माने गए हैं। उन सभी क्रिया रूपों के साथ में 'नहीं' प्रयोग की स्थिति पर अब विचार किया जा रहा है।

मूल धातु क्रिया

'मत' के संदर्भ में किए गए विवेचन में तू, [+तात्कालिक] आदेश में मूल धातु क्रिया का 'मत' के साथ प्रयोग स्वीकार किया गया है। 'नहीं' के साथ मूल धातु क्रिया का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। भाषिक अभिव्यक्ति में यदि संयुक्त, यौगिक आदि क्रिया रूपों का प्रयोग किया जाए तो 'नहीं' के साथ मुख्य क्रिया के रूप में क्रिया के मूल धातु रूप का प्रयोग संभव है। इन दोनों ही क्रिया रूपों पर आगे विवेचन में अलग से विचार किया जा रहा है। 'नहीं' के साथ यदि मुख्य क्रिया के रूप में धातु क्रिया का प्रयोग कर दिया जाए तो अव्याकारणिक अभिव्यक्तियां प्राप्त होती हैं—

१. *तू बीच में नहीं बोल।

२. *तू नहीं चल।

३. *तू नहीं पढ़।

यौगिक क्रिया—इसके अनेक भेद होते हैं। उन पर क्रमशः विचार किया जा रहा है—

(क) द्विधातुक क्रिया

हिन्दी की एकमात्र द्विधातुक क्रिया 'ला' के 'मूलधातुक रूप' तथा 'प्रत्यय युक्त रूप' दोनों ही के साथ 'नहीं' का प्रयोग संभव है। उदाहरण—

१. तू खाना नहीं ला सकता।

२. तुम खाना नहीं ला पाओगे।

३. वह खाना नहीं लाता। आदि

नामिक क्रिया

'मत' युक्त वाक्यों के विवेचन में नामिक क्रिया के भेदों का विवेचन एवं परिभाषा दी गई है। नामिक क्रिया युक्त कुछ निषेधात्मक वाक्यों के उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. उच्चाधिकारियों के अलावा और किसी को मालूम नहीं था। (दैं०हिं० ३,३)
२. उसमें उत्पन्न नहीं हो पाती। (मु ११)
३. उसमें प्रतिभा संपन्न भक्त का पता नहीं चल सका। (बैंक १२)
४. पहलवान ने उधर ध्यान नहीं दिया। (रा० ९८)
५. ये अनुवाद भाषा का सहज रूप प्रकट नहीं करते। (रा०भा०४२)

अनुकरणात्मक क्रिया

कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. तुम्हें ज्यादा तू-तड़ाक नहीं करनी चाहिए।
२. रानी के बर्तन नहीं चमचमाते।

संयुक्त क्रिया

'नहीं' युक्त वाक्यों में संयुक्त क्रिया पर चतुर्भुज सहाय (१९६९; ७०-७३) और हुक (१९७३; ९७) ने विस्तार से विचार किया है। 'सहायक क्रिया' के लोप होने की चर्चा तो अनेक विद्वानों ने की है। चतुर्भुज सहाय ने संयुक्त क्रिया को आजकल प्रचलित अर्थ से भिन्न अर्थ में ग्रहण किया है। उनके द्वारा किए गए विवेचन में अनेक वृत्तिक क्रियाओं को सहायक क्रिया के रूप में स्थान दिया गया है। इनके अनुसार 'नहीं' के साथ केवल आठ सहायक क्रियाओं का प्रयोग संभव है। सहाय द्वारा उल्लिखित आठ सहायक क्रियाओं में से चार वृत्तिक क्रियाएं हैं। शेष चार सहायक (अब रंजक) क्रियाएं—जाना, देना, बनना और रहना ही 'नहीं' के साथ प्रयुक्त होती हैं। सहाय ने वृत्तिक क्रियाओं को लिया है अतः 'वृत्तिक क्रियाओं' के संदर्भ में नहीं की स्थिति विचारणीय है।

वृत्तिक क्रिया

हिन्दी की वृत्तिक क्रियाएं निम्नांकित हैं--

१. चाहिए	२. चुकना	३. पड़ना
४. पाना	५. सकना	६. होना।

उदाहरणों की सहायता से यह आसानी से स्पष्ट हो जाएगा कि किन वृत्तिक क्रियाओं का 'नहीं' के साथ अभिव्यक्ति में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग संभव है।

चाहिए

१. भारतीय पुलिस के साथ किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। (दैं०हिं० ३,६)
२. मैं और कुछ भी नहीं देखना चाहता। (प्र० ९)

३. मैं उनमें तरतमता नहीं लगाना चाहता। प्र० आ० १८)
४. सत्ता की शिला से टक्कर नहीं लेना चाहती। (शि० १०२)
५. वह असज्जनता नहीं प्रकट करना चाहते थे। (प्रे० २४)

उदाहरणों से स्पष्ट है कि संयुक्त क्रिया के अंग के रूप में 'चाहिए' वृत्तिक क्रिया के साथ 'नहीं' का प्रयोग संभव है।

चुकना

'चुकना' का 'नहीं' युक्त निषेधवाचक वाक्यों में प्रयोग संभव नहीं है। उदाहरणों की सहायता से स्पष्टीकरण संभव है—

१. (क) वह घर जा चुका है। =नि० रू० नि०⇒
१. (ख) वह घर नहीं गया।
१. (ग) *वह घर नहीं जा चुका।
२. (क) वह खाना खा चुका है। =नि० रू० नि०⇒
२. (ख) उसने खाना नहीं खाया।
२. (ग) *वह खाना नहीं खा चुका।
३. (क) वह राम को पत्र लिख चुका है। =नि० रू० नि० ⇒
३. (ख) उसने राम को पत्र नहीं लिखा
३. (ग) *वह राम को पत्र नहीं लिख चुका।

उक्त तीनों अभिव्यक्तियों के 'चुका' युक्त निषेधात्मक वाक्य अव्याकरणिक हैं, इससे स्पष्ट होता है कि 'नहीं' युक्त अभिव्यक्तियों में 'चुकना' वृत्तिक क्रिया का प्रयोग संभव नहीं है। 'चुका' युक्त अभिव्यक्तियों पर नि० रू० नि० लागू करने पर 'चुका' का लोप हो जाता है और '—आ' प्रत्यय मुख्य क्रिया में जोड़ दिया जाता है। यदि क्रिया सकर्मक हो तो कर्ता संज्ञा आवश्यक रूप से 'ने' परसर्ग वाली होती है। यह उल्लेखनीय है कि 'चुकना' का मुख्य क्रिया के रूप में 'नहीं' के साथ प्रयोग संभव है—

१. (क) उसका धन चुक गया =नि० रू० नि०⇒
१. (ख) उसका धन नहीं चुका।

पड़ना

'पड़ना' वृत्तिक क्रिया का 'नहीं' के साथ कुछ सीमित स्थितियों में प्रयोग संभव है। पड़ना क्रिया का 'नहीं' युक्त अभिव्यक्तियों में प्रयोग तभी संभव है जब कर्ता में 'को' परसर्ग लगा हो तथा 'पड़ना' अनिवार्यता बोधक और वाच्य परिवर्तन में सहायक हो। कुछ उदाहरण (सहाय १९७३; ७२) निम्नांकित हैं—

१. (क) कार्टून को देखते ही वह हंस पड़ा। =नि० रू० नि०⇒
१. (ख) कार्टून को देखते ही वह नहीं हंस पड़ा।
२. (क) मुझको कल घर जाना पड़ेगा। =नि० रू० नि०⇒
२. (ख) मुझको कल घर नहीं जाना पड़ेगा।

३. (क) मुझको फूल लाल दिखाई पड़ता है। =नि० रू० नि०⇒
३. (ख) मुझको फूल लाल नहीं दिखाई पड़ता।
४. (क) मुझको वह बीमार जान पड़ता है। =नि० रू०नि०⇒
४. (ख) मुझको वह बीमार नहीं जान पड़ता।
५. (क) वह मां को देखकर रो पड़ा। =नि० रू० नि०⇒
५. (ख) वह मां को देखकर नहीं रोया।
५. (ग) वह मां को देखकर नहीं रो पड़ा।

कतिपय अन्य उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. अभीष्ट नहीं जान पड़ता। (मुं० २०५)
२. उसे कोई रास्ता नहीं दीख पड़ता था। (रा० २०३)
३. उसे ठीक नहीं जान पड़ता था। (रा० २४५)
४. खुद भी इससे कम हानि नहीं उठानी पड़ी थी (बैंक २३)

पाना, सकना और होना

उल्लिखित तीनों वृत्तिक क्रियाओं का संयुक्त क्रिया के अंग के रूप में 'नहीं' के साथ प्रयोग संभव है। उदाहरणार्थ—

१. (क) वह अंधेरे में पुस्तक पढ़ पाता है। =नि० रू० नि०⇒
१. (ख) वह अंधेरे में पुस्तक नहीं पढ़ पाता।
२. (क) वह घर जा सकता है। =नि० रू० नि०⇒
२. (ख) वह घर नहीं जा सकता।
३. (क) उसने खाना खा लिया होगा। =नि० रू० नि०⇒
३. (ख) उसने खाना नहीं खाया होगा।

उक्त तीनों वृत्तिक क्रियाओं से युक्त वाक्यों के उदाहरण निम्नांकित हैं—

पाना

१. उस ढांचे का मूल रूप नहीं बदल पाये। (रा० भा० ११६)
२. लोक भी नहीं बन पाता (मुं० २०७)
३. वास्तव में पता ही नहीं चल पाया। (रा० २३७)
४. विधवा विवाह दिखाने का साहस लेखक नहीं कर पाता। (प्र०आ०७)

सकना

१. उसे कोई दोषी नहीं ठहरा सकता था। (बैंक ९४)
२. कहीं से नहीं निकल सकते। (अ$_1$ २०)
ठिकाने का पता नहीं चल सका। (घ० २८)
ेग कोई भी उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं कर सके। (रा० भा० २३३)
ता को समझा नहीं जा सकता। (जै० २२९)

होना

१. कभी-कभी एकाग्रता संभव नहीं हो सकती (घ० २२)
२. खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहता (रा० ७४)
३. जातीय भाषा का प्रसार नहीं होना। (रा० भा० ३२)
४. नया कुछ नहीं होता। (अ' शब्द ९)
५. शब्दों पर ही ध्यान देना काफी नहीं होता। (रा०भा० १०)

वृत्तिक सहायक क्रियेतर सहायक क्रियाएं

हिन्दी की वृत्तिक सहायक क्रियाओं से इतर अन्य सहायक क्रियाएं (तिवारी, १९७९; २१४) निम्नांकित हैं—

१. आना	२. उठना	३. करना	४. खाना
५, चलना	६. चाहना	७. जाना	८. टपकना
९. डालना	१०. देना	११. धमकना	१२. निकलना
१३. बनता	१४. बैठना	१५. पड़ना	१६. मरना
१७. मारना	१८. रखना	१९. रहना	२०. लगना और
२१. लेना।			

सहाय (१९७३; ७१-७३) के अनुसार उक्त सभी क्रियाओं में से मात्र—'जाना', 'देना', 'बनना' का ही प्रयोग 'नहीं' के साथ किया जा सकता है।

मनोरमा मिश्र (१९७९; १९४) के अनुसार "नकारात्मक वाक्यों में रंजक क्रियाओं का प्रयोग प्रायः बहुत कम होता है। अधिकांशतः रंजक क्रियाओं को लेकर नकारात्मक वाक्यों की रचना हिन्दी में नहीं होती। +++ हिन्दी में 'बनना', 'मिलना' दो ही रंजक क्रियाएं स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती हैं।" सहाय ने आगे विवेचन करते हुए दो वर्ग बनाए हैं जिनके आधार पर बनना का प्रयोग तो सभी स्थितियों में संभव है। शेष तीनों का प्रयोग सीमित स्थितियों में किया जाता है।

बनना

बनना रंजक क्रिया से युक्त कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. (क) मुझसे पत्र लिखते नहीं बनता।
२. (क) राम वहां से चलता बना। =नि० रू० नि०⇒
२. (ख) राम वहां से चलता नहीं बना।
६. (क) वह अपने पिता को सामने देखकर बनने लगा। =नि०रू०नि०⇒
(ख) वह अपने पिता को सामने देखकर बनने नहीं लगा।

चतुर्भुज सहाय द्वारा उल्लिखित अन्य सहायक क्रियाओं (रंजक क्रियाओं) की स्थिति निम्नांकित हैं—

जाना

'नहीं' युक्त अभिव्यक्तियों में 'जाना' का प्रयोग तभी संभव है जब यह वाच्य-परिवर्तन में सहायक होता है। उदाहरणार्थ—

१ क. उसको पुस्तकें दे दी जायेंगी। =नि०रू०नि०⇒
ख. उसको पुस्तकें नहीं दी जायेंगी।
२ क. दो पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। =नि०रू०नि०⇒
ख. दो पुस्तकें नहीं लिखी गयीं।
३ क. लकड़ी को तोड़ डाला गया। =नि०रू० नि०⇒
ख. लकड़ी को नहीं तोड़ा गया।
४ क. वहां गाना गाया जाता था। =नि०रू०नि०⇒
ख. वहां गाना नहीं गाया जाता था।
५ क. बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। =नि०रू० नि०⇒
ख. बीमारी नहीं बढ़ रही थी।
६ क. वह मेरी बात पर हंसता जाता है। =नि०रू०नि०⇒
ख. वह मेरी बात पर नहीं हंसता।

उदाहरण (५) और (६) में नहीं के साथ 'जाना' का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि वह 'वाच्य परिवर्तन' में सहायक नहीं है। कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. कानून मुझसे पूछकर तो बनाया नहीं गया था। (रा० ५०)
२. डिग्री को मात्र फीडर सर्विस नहीं समझना चाहिए। (न० १, २)
३. बिड़ला और डालमिया से बड़ा नहीं कहा जा सकता। (न० १२५)
४. मूल स्थापना में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। (रा०भा०२१)
५. लाश बरामद नहीं हो जाती। (घ० २२)

देना

'वाच्य-परिवर्तन' में सहायक होने अथवा 'अनुमतिबोधक' के रूप में प्रयुक्त होने पर ही 'देना' का नहीं के साथ प्रयोग संभव है अन्यथा नहीं। उदाहरणार्थ :—

१ क. आसमान में तारे दिखायी देते हैं। =नि०रू०नि०⇒
ख. आसमान में तारे नहीं दिखायी देते।
२ क. वह मुझको ठहर जाने देता है। =नि० रू० नि⇒
ख. वह मुझको नहीं ठहरने देता।
३ क. वहां से मधुर गीत सुनाई देता था। =नि० रू० नि०⇒
ख. वहां से मधुर गीत नहीं सुनाई देता।
४ क. उसने गाना सुना दिया। =नि० रू० नि०⇒
ख. उसने गाना नहीं सुनाया।
५ क. मोहन ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया है। =नि० रू० नि०⇒
ख. मोहन ने मुझे अच्छी तरह नहीं समझाया।

अन्तिम दो उदाहरणों अर्थात् (४) और (५) में 'देना' क्रिया न तो वाच्य-परिवर्तन में सहायक है और नहीं अनुमति बोधक; अतः उसका 'नहीं' के साथ प्रयोग नहीं हुआ है।

रहना

'रहना' क्रिया का हिन्दी में तीन रूपों में प्रयोग होता है—

१. मुख्य क्रिया के रूप में २. सहायक क्रिया के रूप में और
३. पक्षद्योतक क्रिया के रूप में।

मुख्य क्रिया के रूप में 'नहीं' युक्त अभिव्यतिक्यों में रहना का प्रयोग सम्भव है।

उदा०—

१. उसके लिए सह्य नहीं रहा। (बैंक २५)
२. तिवारी अब हमारे बीच नहीं रहे। (दै० हिं० ६, ५)
३. समुदाय विकास की विभिन्न अवस्थाओं में एक रूप नहीं रहता। (रा० भा० ३१)

सातत्य बोधक पक्षद्योतक सहायता क्रिया के रूप में भी रहना का प्रयोग 'नहीं' के साथ सम्भव है। कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. इसका राज अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। (घ० २०)
२. चिताए उससे सहन नहीं हो पा रही थीं। (सा० हिं० १८)
३. मैं आपको देर तो नहीं कर दे रही हूं। (अ० १००७)
४. यहीं भेद समझ नहीं पा रही हूं। (अ० १५५)
५. वह अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। (ना०२२७)

'रहना' का तीसरे रूप अर्थात् 'रंजक क्रिया' के रूप में 'नहीं' युक्त वाक्यों में प्रयोग सम्भव नहीं है। [—निषेध] अभिव्यक्ति में 'रहना' का 'रंजक क्रिया' के रूप में प्रयोग सम्भव है पर [—निषेध] अभिव्यक्ति में नहीं। उदाहरणार्थ—

१ (क.) मुझे जाड़े में शीत सहते रहना पड़ता है। =नि० रू० नि०⇒
(ख.) मुझे जाड़े में शीत नहीं सहना पड़ता।

अन्य रंजक क्रियाएं

अन्य रंजक क्रियाओं का सामान्यतः 'नहीं' युक्त अभिव्यक्तियों में प्रयोग नहीं होता। उदाहरणार्थ—

डालना

१. (क.) राम ने शेर को मार डाला। =नि० रू० नि०⇒
(ख.) राम ने शेर को नहीं मारा।

टपकना

२. (क.) वह कल मेरे घर आ टपका। =नि० रू० नि०⇒
(ख.) वह कल मेरे घर नहीं आया।

लेना

३ (क.) उसने अपना काम कर लिया। =नि० रू० नि०⇒
(ख.) उसने अपना काम नहीं किया।

जिन 'रंजक क्रियाओं' का 'नहीं' युक्त अभिव्यक्तियों में प्रयोग नहीं होता उनमें से अधिकांश 'रंजक कियाएँ' मुख्य क्रिया की पूर्णता की सूचना को और भी अधिक समर्थित करती हैं। इसी कारण से अभिव्यक्ति में 'नहीं' का प्रयोग करने पर (जो कि अपूर्णता सूचक है) 'रंजक क्रियाएँ' अनावश्यक (रिडन्डेंट) हो जाती हैं और उनका लोप हो जाता है।

यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि साधारण वाक्यों में जिन 'रंजक क्रियाओं' का प्रयोग नहीं होता उनका 'मिश्रित वाक्यों' में 'नहीं' के साथ प्रयोग सम्भव है।

१. जब तक तुम विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक विश्राम न करो।
२. वह हंस नहीं पड़ता तो बच्चा रोने लगता।

६. १. ५. 'नहीं' और संयुक्त वाक्य

'नहीं' की सहायता से दो उपवाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार की वाक्य-संयुक्तिकरण प्रक्रिया में द्वितीय अथवा प्रथम वाक्य के समान घटकों का लोप सम्भव है, प्रथम उपवाक्य की कर्ता संज्ञा का लोप नहीं किया जा सकता—

१ (क.) मोहन रोटी नहीं खाता। ⇒ मोहन रोटी नहीं आम खाता। अथवा
(ख.) मोहन आम खाता है। मोहन आम खाता है रोटी नहीं।

२ (क.) मोहन आम नहीं खाता। ⇒ मोहन नहीं, राम आम खाता है। अथवा
(ख.) राम आम खाता है। राम आम खाता है मोहन नहीं।

६. १. ६. 'नहीं' और हिन्दी वाच्य

'नहीं' का प्रयोग हिन्दी के दोनों वाच्यों—१. कर्तृवाच्य और २. अकर्तृवाच्य में सम्भव है। अकर्तृ वाच्य के पुन: दो भेद होते हैं—
१. कर्मवाच्य एवं २. भाववाच्य। 'नहीं' का वाच्य के इन तीनों ही भेदों में प्रयोग सम्भव है। कर्मकता के आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं—१. अकर्मक और २. और सकर्मक। सकर्मक क्रिया पुन: दो प्रकार की होती है :—एक कर्मक और द्विकर्मक। 'नहीं' के साथ वाक्य और क्रिया के तीनों भेदों पर क्रमश: विचार किया जा रहा है—

कर्तृवाच्य

(क.) अकर्मक क्रिया

राम हंसता है। =नि० रू० नि०⇒ राम नहीं हंसता।

(ख.) एककर्मक क्रिया

राम पढ़ता है। =नि० रू० नि०⇒ राम नहीं पढ़ता।

(ग.) द्विकर्मक क्रिया

राम मोहन को पत्र लिखता है। =नि० रू० नि०⇒ राम मोहन को पत्र नहीं लिखता।

अकर्तृवाच्य

'नहीं' का प्रयोग अकर्तृवाच्य (कर्मवाच्य एवं भाववाच्य) में भी सम्भव है। भाववाच्य की अभिव्यक्तियां 'नहीं' युक्त होने पर अधिक सुन्दर एवं सुरुचिपूर्ण लगती हैं।

(घ.) कर्मवाच्य

१. पतंग नहीं उड़ रही।
२. लकड़ी नहीं काटी गई।
३. लकड़ी नहीं काटी जाती।

(ङ.) भाववाच्य

१. मुझसे सोया नहीं जाता। (ति० २२६)
६. यहां सोया नहीं जाता। (, ,)
३ वहां नहीं जाया जाता। (, ,)
४. सीता से चला नहीं जाता। (, ,)

६. १. ७. 'नहीं' एवं प्रेरणार्थक रचनाएं

'मत' के समान नहीं का प्रयोग प्रेरणार्थक रचनाओं में सम्भव है। 'नहीं' युक्त प्रेरणार्थक अभिव्यक्तियां, सामान्य अभिव्यक्ति पर दो रूपांतरण नियम लागू करने पर प्राप्त होती हैं। ये दो रूपांतरण नियम हैं—

१. प्रें० रू० नि० तथा
२. नि० रू० नि०

(क.) प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक वाक्य

बच्चा चलता है। =प्र० प्रे० रू० नि० ⇒ मां बच्चे को चलाती है। =नि० रू० नि० ⇒ मां बच्चे को नहीं चलाती।

(ख) परोक्ष प्रेरणार्थक वाक्य

बच्चा चलता है। =प०प्रे०रू०नि० ⇒मां नौकर से बच्चे को चलवाती है। =नि०रू० नि० ⇒मां नौकर से बच्चे को नहीं चलवाती।

इन वाक्यों की निषेधात्मकता भी 'प्रेरक कर्त्ता' से संबद्ध होती है।

६.२.०. 'न' युक्त निषेधात्मक वाक्य

मुक्त रूपिम युक्त वाक्यों के दो भेद माने गए हैं। दूसरा भेद 'न' युक्त वाक्य हैं। अब 'न' युक्त वाक्यों का विवेचन किया जा रहा है।

६.२.१. हिन्दी में 'न' के प्रकार

हिन्दी में 'न' दो प्रकार का है—१. [—निषेध] और २. [+निषेध]। [—निषेध] 'न' का विवेचन व्याकरणों में [+निषेध] 'न' का साथ किया जाता रहा है। इस [—निषेध] 'न' का [+निषेध] 'न' से रूपसाम्य मात्र है। इस [—निषेध] 'न' को शोध-निबंध में नहीं लिया जा रहा। [—निषेध] 'न' का भाषिक अभिव्यक्ति में सामान्य प्रयोग— है। यह 'न' सामान्य भाषिक अभिव्यक्ति को आग्रहात्मक प्रश्न में बदल देता है। इस 'न' का एक प्रकार का प्रयोग 'अनिश्चयवाचक सर्वनाम द्विरुक्ति' अथवा 'संख्यावाचक विशेषण' एक की द्विरुक्ति के मध्य भी दृष्टिगत होता है। [+निषेध] 'न' का हिन्दी के निषेधवाचक अवयवों में प्रयोग एवं परिमाण (अभिव्यक्ति संख्या) दोनों ही दृष्टियों से स्थान मध्यवर्ती है। निषेधादेश से 'न' का 'मत' के स्थान पर प्रयोग संभव है (न~मत)। अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों में यह 'नहीं' का स्थान भी ले सकता है (प्रायः साधारण वाक्यों में नहीं)। इसके अलावा 'न' का अपना स्वतंत्र प्रयोग भी है।

६.२.२. 'न' और निषेधादेश

ऊपर संकेत किया गया है कि निषेधादेश में 'न~मत' पर प्रयुक्त होता है। निषेधादेश के दस भेद माने गए हैं। सूत्र रूप में दसों प्रकारों को '(तू)/(तुम)/(आप) [+तात्कालिक] आदेश' के रूप में गुंफित किया जा सकता है।

सामान्य वाक्य को 'न' युक्त निषेधादेश वाक्य में रूपान्तरित करने की सभी प्रक्रियाएं 'मत' युक्त वाक्यों के संदर्भ में विवेचित प्रक्रियाओं के समान हैं। अंतर है तो मात्र इतना कि 'मत' के स्थान पर 'न' को रख दिया जाता है। अतः रूपान्तरण आदि की प्रक्रिया पर अलग से विचार नहीं किया जा रहा है। मात्र 'न' युक्त अभिव्यक्तियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं—

१. लड़के (तू) न जा।	[+तात्कालिक] आदेश
२. लड़के (तू) न जाना।	[—तात्कालिक] आदेश
३. लड़को (तुम) न जाना।	[—तात्कालिक] आदेश बहुवचन
४. पिताजी (आप) न जाओ।	[+तात्कालिक] आदेश एकवचन
५. पिताजी (आप) न जाइएगा।	[—तात्कालिक] आदेश

उक्त सभी उदाहरणों से यह तथ्य और भी पुष्ट हो जाता है कि निषेधादेश अभिव्यक्तियों में 'न~मत' प्रयुक्त होता है। अब कहा जा सकता है कि 'मत' युक्त अभिव्यक्तियों में 'मत' के स्थान पर 'न' का प्रयोग करके अनेक प्रकार के उदाहरणों की रचना की जा सकती है। विस्तार से बचने के लिए 'न' के साथ संरचना के आधार पर किए गए क्रिया-भेदों के प्रयोग पर विचार नहीं किया जा रहा है।

६.२.३. 'न' और साधारण वाक्य

'न' का अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों में 'नहीं' के स्थान पर प्रयोग संभव है। पर उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 'न' का यह प्रयोग प्रायः साधारण वाक्यों में 'नहीं' के स्थान पर संभव तो है पर अधिकांशतः रुचिकर नहीं लगता। सामान्यतः मिश्रित वाक्यों में 'नहीं' के स्थान पर 'न' का प्रयोग किया जा सकता है। 'नहीं' युक्त वाक्यों के विवेचन में विधेय के चार भेदों की ओर संकेत किया गया है। यदि इन विधेयों को काल से जोड़ दिया जाए तो बारह भेद सामने आएंगे। विधेय के इन बारह रूपों में से मात्र पाँच के साथ ही 'नहीं' के स्थान पर साधारण वाक्यों में 'न' का प्रयोग ग्राह्य लगता है, पर उस प्रकार निर्मित वाक्यों की ग्राह्यता संदिग्ध होती है। विधेय के ये पाँच रूप निम्नांकित हैं :

(क) स्थित्यात्मक (सामान्य) विधेय—(१) भूत एवं (२) भविष्य काल
(ख) आवृत्तिमूलक विधेय —(३) भूत एवं (४) भविष्य काल और
(ग) सातत्यबोधक विधेय —(५) भविष्यकाल।

उक्त पाँचों विधेयों की 'न' युक्त अभिव्यक्तियों के उदाहरण निम्नांकित हैं :—

१. ? राम घर में न था।
२. ? राम घर में न होगा।
३. ? सोहन किताबें न लिखता था।
४. ? सोहन कल किताबें न लिखता होगा।
५. ? सोहन किताबें न लिख रहा होगा।

उक्त सभी उदाहरणों को देखकर सुनकर ऐसा लगता है कि इनका प्रयोक्ता कुछ और भी कहना चाहता है अर्थात इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ प्रायः अपूर्ण होती हैं। शेष विधेयों में से कुछ की 'न' युक्त अभिव्यक्तियों के उदाहरण निम्नांकित हैं :—

१. *राम घर में न है। (स्थित्यात्मक वर्तमानकालिक विधेय)
२. *सोहन किताबें न लिख रहा है। (सातत्यबोधक वर्तमानकालिक विधेय)
३. *सोहन किताबें न लिख रहा था। (सातत्यबोधक भूतकालिक विधेय) आदि।

६.२.४. 'न' का वितरण

सहाय (१९७३; ७७) ने निम्नलिखित चार प्रकार के क्रिया-रूपों के साथ 'न' का प्रयोग स्वीकार किया है :—

१. —'ते हुए' से बनी कृदंतीय रचनाओं में
२. —'ये हुए' से बनी कृदंतीय रचनाओं में

३. —कर से बनी पूर्व कालिक क्रिया के साथ
४. —ना से बनी क्रियार्थक संज्ञाओं के साथ

अब इन चारों प्रकार की क्रियाओं के संदर्भ में 'न' के प्रयोग पर क्रमश: विचार किया जा रहा है।

'—ते हुए' से बनी कृदंतीय रचनाओं में

'न' के इस रूप में प्रयोग के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं :—

१. जिसमें दर्शक इच्छा न रखते हुए भी, फिसलने का आनंद प्राप्त करते थे। (बैंक ४७)
२. धीरे-धीरे न चाहते हुए भी +++ (रा० २०५)
३. न चाहते हुए भी उसने सारा मामला+++(बैंक ३०)

उक्त उदाहरणों में यदि 'न' के स्थान पर 'नहीं का प्रयोग किया जाए तो ये अव्याकरणिक अथवा कम-से-कम संदिग्ध अवश्य हो जाएंगे :—

१. ? जिसमें दर्शक इच्छा नहीं रखते हुए भी।
२. ? धीरे-धीरे नहीं चाहते हुए भी।
३. ? फलतः नहीं चाहते हुए भी।

'—ये हुए' से बनी कृदंतीय रचनाओं में।

सामग्री संकलन में 'न' के इस प्रकार के प्रयोगों के उदाहरण नहीं मिले। इस संबंध में तेज के० भाटिया (१९७३; ४)की टिप्पणी गलत नहीं लगती। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में 'न' के स्थान पर 'बिना' का प्रयोग अधिक ग्राह्य होता है। उदाहरणार्थ—

१. (क) ? वह खाना न खाये हुए आया था।
(ख) वह खाना बिना खाये हुए आया था, आदि।

'—कर' से बनी पूर्व कालिक रचनाओं में

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों के कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं :—

१. अधिकांश भाग उर्दू न होकर हिंदी हो रहा है। (१७८)
२. अब बाहर का पानी भीतर न जाकर बाहर आने लगा। (रा० २३)
३. जो जमात में न रहकर अकेले ही चले। (सा० हिं० २४)
४. प्रेम शरीरों के बीच न होकर आत्माओं के बीच होने लगता है। (प्र० आ० १०६)
५. शराब न खरीदकर लड़के के लिए मिठाई खरीद लाता। (गु० १७८)

'—कर' से बनी पूर्वकालिक क्रियाओं से युक्त रचनाओं में जब 'न' के स्थान पर 'नहीं' का प्रयोग किया जाता है तो उनकी ग्राह्यता संदिग्ध हो जाती है —

१ (क) ? अधिकांश भाग उर्दू नहीं होकर हिंदी ही रहा है।
२ (क) ? जो जमात में नहीं रहकर अकेले ही चले।

'—कर' से बनी पूर्वकालिक क्रियाओं के साथ-साथ यहाँ वे अभिव्यक्तियाँ भी उल्लेखनीय हैं जिनमें 'करना' क्रिया के मूल धातु रूप 'कर' का नामिक क्रिया के अंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में भी 'न' का प्रयोग संभव है। उदाहरणार्थ —

१. किसी अर्थ का संप्रेषण न कर सके। (अ$_1$ १३२)
२. मैं खुद यकीन न कर पाता कि मैं काले कपड़े पहन कर आया था। (बैंक १७)

इस प्रकार की अभिव्यक्ति को 'नहीं' युक्त अभिव्यक्तियों में रूपांतरित करना संभव होता है। '—कर' से पूर्वकालिक क्रिया का मिश्र वाक्य के आधारभूत वाक्य में प्रयोग किया जाता है। नामिक क्रिया के अंग के रूप में 'कर' का प्रयोग आश्रित उपवाक्य में भी किया जा सकता है।

उदाहरणार्थ :—

१. इन लोगों को यतीम मानकर मनमाना न कर बैठना। (रा० ४२)

'—ना' से बनी क्रियार्थक संज्ञाओं के साथ

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. अच्छी खुराक न मिलने से बिगड़ी हुई है। (रा० ३६)
२. ब्रह्मचर्य को न मानने वाला बदचलन होता है। (रा० ३६)
३. मुख न दिखलाने का हठ भरा। (ना० १८६)
४. श्रेष्ठ साहित्य न कहने की धृष्टता कौन करेगा। (शि० ७२)

इस प्रकार की रचनाओं को 'नहीं' युक्त रचनाओं में रूपांतरित करने से वे संदिग्ध हो जाती हैं—

१ (क) ? अच्छी खुराक नहीं मिलने से बिगड़ी हुई है।
२ (क) ? ब्रह्मचर्य को नहीं मानने वाला बदचलन होता है।
३ (क) ? मुख नहीं दिखलाने का हठ भरा।

'न' और 'जानना' से बनी संज्ञार्थक क्रिया

'जानना' क्रिया का संज्ञार्थक क्रिया रूप इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जब प्रयोक्ता द्वारा भाषिक अभिव्यक्ति में 'न आने' का प्रयोग किया जाता है तो यह वाक्य का कार्य करता है। प्रयोक्ता एकवचन में हो तो :—

'मैं नहीं जानता हूँ। ⊳'न जाने···।' के रूप में रूपांतरण होता है जबकि बहुवचन होने पर—

'हम नहीं जानते। ⊳'न जाने...।' के रूप में रूपांतर होता है। यह पद समुच्चय भाषा की आन्तरिक संरचना में वाक्य का कार्य करता है। इसका भाषिक अभिव्यक्ति में स्वतंत्र प्रयोग असंभव ही है। 'न जाने' का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। यदा-कदा वाक्य के मध्य में भी इसका प्रयोग दृष्टिगत होता है।

'न जाने'

'न जाने' के कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं :—

१. न जाने आप ओर क्या-क्या न कह उठेंगे। (क० २२)
२. न जाने कब घर लौटेंगे। (क० ७)
३. न जाने क्यों भुवन के मन में विचार उठा...। ($अ_1$ १०६)
४. न जाने कहां के बे फिक्र मित्र हैं इनके। (गु० २१०)
५. न जाने वह काना इस कुतिया को कहाँ से घसीट लाया है। (रा० ८६)

'न जाने' वाक्य के मध्य में

१. अभी तो न जाने कितनी बार ऐसे प्रसंग आएंगे। (बैंक ३०)
२. उनके अनुरूप न जाने कितने व्यापक और गहरे सामाजिक संपर्क हो गए थे।
३. एक मरोड़ा न जाने कितनी गुदगुदी पैदा करता है। (क० १३)
४. कहावत है—ऊंट न जाने किस करवट बैठे। (प्र० $आ_2$ ११)

'न केवल'

हिन्दी में 'न' का एक अन्य विशेष प्रकार का प्रयोग 'केवल' के साथ 'न केवल' पद समुच्चय के रूप में होता है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की अभिव्यक्तियों का 'नहीं' युक्त रूप या तो संदिग्ध होता है या अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इस रूप में 'न' के प्रयोग के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं :—

१. कला न केवल आत्मपरक प्रयास है वरन् उसकी +++। (मु० १६)
२. कवि शब्दों का न केवल भरपूर सार्थक प्रयोग करता है बल्कि +++। ($अ_1$ ११)
३. मराठी में न केवल सात बड़े उपन्यास लिखे गये, बल्कि उनमें से चार जब्त भी हो गए। (प्र० $आ_2$ १८)
४. यह विचार 'न केवल' अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय +++।

हिंदी में 'न केवल' का सामान्यत: 'अपितु', 'बल्कि' आदि के साथ प्रयोग किया जाता है। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि यह एक योजक का कार्य करता है। हिंदी में जब 'न केवल' का प्रयोग किया जाता है तो प्रयोक्ता की अभिमंशा यह होती है कि वह संबंधित विषय के विषय में कुछ और भी कहना चाहता है। ऊपर संकेत किया गया है कि इस प्रकार की अभिव्यक्तियों का 'नहीं' युक्त रूपांतरण संदिग्ध होता है अथवा उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ :—

१ (क) ? कला नहीं केवल आत्मपरक प्रयास है।
२ (क) ? कवि शब्दों का नहीं केवल भरपूर सार्थक प्रयोग करता है+++।
३ (क) ? यह विचार नहीं केवल अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय+++।

६.२.५. 'न' और निषेधात्मक संभावना

भाषिक अभिव्यक्ति द्वारा जब निषेधात्मकता का निश्चय संकेतित करने के स्थान पर संभावना संकेतित करनी हो तो 'न' का प्रयोग अधिक ग्राह्य होता है। उदाहरणार्थ—

१. उसने खाना न खाया होगा। (ब० स० ७७)
२. यदि वह न आया तो मैं चला आऊंगा। (ब० स० ७७)
३. वह दुखी न रहे। (ब० स० ७७)
४. शायद मैं घर न जाऊं। (ब० स० ७७)

उक्त सभी उदाहरणों में 'न' के प्रयोग से निषेध की संभावना व्यक्त की गई है। इन उदाहरणों में 'न' के स्थान पर 'नहीं' का प्रयोग करने पर बलात्मक (निश्चयात्मक) निषेध अभिव्यक्त होगा। यथा:—

१ क. उसने खाना नहीं खाया होगा।
२ क. यदि वह नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा। आदि।

६.२.६. 'न' और अनिश्चयवाचक सर्वनाम

'नहीं' और 'मत' के समान 'न' का भी अनिश्चयवाचक सर्वनामों के साथ प्रयोग संभव है। कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

कहीं

१. कहीं मुकदमे में न फंस जायें। (रा० १७६)
२. कहीं यह न समझ बैठें कि खन्ना उन्हें मार रहा है। (रा० १७६)

किसी

१. किसी को सीधे रिश्वत न लेनी पड़े। (रा० ६०)
२. पर उसने किसी के भी नमस्कार का जवाब देना गवारा न किया। (बैंक, ६५)

कुछ

१. कांग्रेस अर्से के बारे में कुछ न कहना ही अच्छा। (न० १, १)
२. मेरी प्रार्थना है कि तब तक आप कुछ न कहिएगा। (रा० १७६)
३. राजस्थान का रेगिस्तान उसका कुछ न बिगाड़ सका। (न० ४, ५)

कोई

१. अब कोई बात वसन ना चाहता हो। (रा० ३६७)
२. उसे लेने के लिए कोई बड़ी ताकत न चाहिए। (रा० ४२)
३. पर रास्ते में उसे देखकर आवाजें कसने वाला काहें न मिले। (बैंक १६)

उक्त उदाहरणों में से दो का कुछ अधिक विवेचन किया जा रहा है—

१. किसी को सीधे रिश्वत न लेनी पड़े।

२. उसे लेने के लिए कोई बड़ी ताकत न चाहिए।

उक्त दोनों उदाहरणों में से पहले उदाहरण में रिश्वत लेने का निषेध नहीं किया गया है अपितु रिश्वत लेने के तरीके (सीधे रिश्वत लेने) के सीधेपन का निषेध किया गया है। दूसरे उदाहरण में ताकत का निषेध नहीं उसके बड़े होने का निषेध किया गया है।

६.२.७. 'न' और समानाधिकरण वाक्य

साधारण वाक्य में नहीं के स्थान पर 'न' के प्रयोग पर विचार करते हुए विधेय के बारह प्रकार माने गए हैं। इन सभी प्रकार के विधेयों का समानाधिकरण वाक्यों में प्रयोग संभव है। कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. वह न खा रहा था, न सो रहा था।
२. वह न घर जायेगा, न बाजार।
३. वह न पढ़ रहा है, न खेल रहा है।
४. वह न हंसता है, न रोता है।

समानाधिकरण वाक्यों के प्रथम वाक्यांश को छोड़कर सभी में 'न' का प्रयोग होता है, जबकि प्रथम वाक्यांश में न का स्थान परिवर्तनीय है और उसके स्थान पर ऐच्छिक रूप से 'न तो' का प्रयोग संभव है। उदाहरणार्थ —

१. (क)वह न तो खा रहा था, न सो रहा था।
२. (क)वह न तो घर जाएगा, न बाजार।

समानाधिकरण वाक्यों में समरूप संज्ञाओं तथा समरूप क्रियाओं का लोप भी संभव होता है।

६.२.८. वाक्य में 'न' का स्थान

जिन क्रिया रूपों के साथ 'न' का सामान्य रूप से प्रयोग होता है वहां उसका स्थान अन्य क्रिया विशेषणों के समान '—क्रिया' होता है। 'न' युक्त वाक्यों के अब तक दिए गए उदाहरणों से यह तथ्य पर्याप्त स्पष्ट है। यदि इन क्रिया रूपों के साथ 'न' का प्रयोग करते हुए 'न' का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो वाक्य-रचना पर प्रभाव पड़ता है। पूर्ण वाक्य प्रायः अपूर्ण सा प्रतीत होने लगता है और वाक्य संदिग्ध हो जाते हैं। उदाहरणार्थ—

१. (क)तुम घर न जाओ।
१. (ख)? न तुम घर जाओ।
१. (ग)?तुम न घर जाओ।

६.२.९. 'न' और वृत्तिक क्रिया 'चाहिए' और 'सकना'

'न, के इस रूप में प्रयोग का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 'न' का इन दोनों वृत्तिक क्रियाओं के साथ बहुत अधिक प्रयोग होता है और इस प्रकार की रचनाओं का 'नहीं' युक्त रचनाओं में रूपांतरण भी संभव है।

चाहिए

१. इसका अभिप्राय यह न समझ लेना चाहिए। (गु० ६)
२: इस बारे में किसी को संदेह न होना चाहिए। (रा० मा० २)
३. कोई बाधा न होनी चाहिए। (क० १५६)
४. हमें अंग्रेजों से घृणा न करनी चाहिए। (रा० २५३)

सकना

५. राजस्थान का रेगिस्तान उसका कुछ न बिगाड़ सकना। (न० ४,५)
६. वह घर न जा सका।
७. वह खाना न खा सका। आदि

उक्त उदाहरणों में से कुछ 'का नहीं' युक्त रूपांतरण निम्नांकित होगा—

१ क. इसका अभिप्राय यह नहीं समझ लेना चाहिए।
२ क. इस बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।
६ क. वह घर नहीं जा सका।
७ क. वह खाना नहीं खा सका। आदि

घ. निषेधात्मक वाक्यों के कुछ अन्य पक्ष

निषेधात्मक वाक्यों से संबंधित तीन और शीर्षकों पर विचार किया जा रहा है; ये शीर्षक हैं 'निषेधात्मकता एवं विकल्पात्मकता' 'नहीं=वाक्य' और 'निषेधद्वय'।

७. १. निषेधात्मकता एवं विकल्पात्मकता

किसी भाषा में क्रिया के आधार पर विकल्पात्मकता के दो प्रकार निश्चित होते हैं—

(+समान क्रिया) में विकल्प अर्थात्—

१. भिन्न क्रियाओं में विकल्प। और

२. समान क्रिया में विकल्प।

निषेधवाचक अवयवों का सामान्यतः दूसरे भेद में ही प्रयोग होता है। पर इसके प्रयोग को प्रथम प्रकार के विकल्पात्मक वाक्यों में भी निषिद्ध नहीं किया जा सकता। हिन्दी की विकल्पात्मक अभिव्यक्तियों में तीन रूपिमों 'अथवा / कि / या' का प्रयोग किया जाता है। तीनों रूपिमों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग संभव है। निषेधात्मक अवयवों में से 'न' और 'नहीं' का ही विकल्पात्मक अभिव्यक्तियों में बहुधा प्रयोग किया जाता है। 'मत' का प्रयोग तो प्रायः ही विकल्पात्मकता की स्थिति में किया जाता है। आदेशवाचक वाक्यों में वैसे भी क्रिया में विकल्पात्मकता की स्थिति अत्यधिक कम होती है। कर्ता एवं कर्म की विकल्पात्मकता को शोध-निबंध में नहीं लिया जा रहा। विकल्पात्मक क्रिया से युक्त वाक्यों में काल का बंधन नहीं होता। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में जिज्ञासा का भाव होने के कारण प्रश्नात्मकता रहती है। वक्ता / प्रयोक्ता अपनी जिज्ञासा का शमन न करके उसे श्रोता के समक्ष रख देता है। विकल्पात्मक क्रिया युक्त वाक्यों के (+ निषेध) अथवा (-निषेध) दोनों ही रूप ग्राह्य होते हैं जिन्हें यथा-प्रसंग ग्रहण किया जाता है।

रू० प्र० व्याकरण और निषेधवाचक वाक्यों में विकल्पात्मकता

विकल्पात्मक क्रिया युक्त अभिव्यक्तियों के विषय में उल्लेखनीय है कि इनमें अधिकांशतः 'या' को ही विकल्पात्मकताबोधक अवयव के रूप में ग्रहण किया जाता है। जबकि इसके स्थान पर अन्य दोनों का प्रयोग भी संभव है। विकल्पात्मक क्रिया युक्त अभिव्यक्तियों में 'न' का प्रयोग भी 'नहीं' की अपेक्षा कम होता है। इस विषय पर उदाहरण देकर विचार

करने से पूर्व रू० प्र० व्याकरण के आधार पर विचार कर लेना आवश्यक है। एक उदाहरण की सहायता से इस रूपांतरण-प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है—

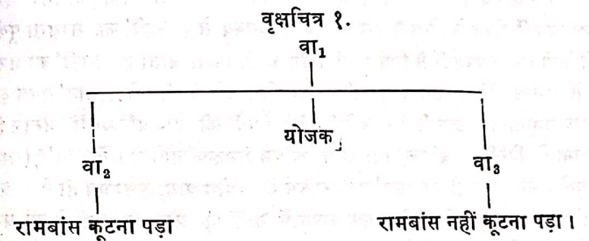
राम बांस कूटना पड़ा कि नहीं।

उक्त अभिव्यक्ति में 'कि' का विकल्पात्मकताबोधक के रूप में प्रयोग हुआ है। यह उदाहरण आंतरिक संरचना के स्तर पर दो वाक्यों से मिलकर बना है—

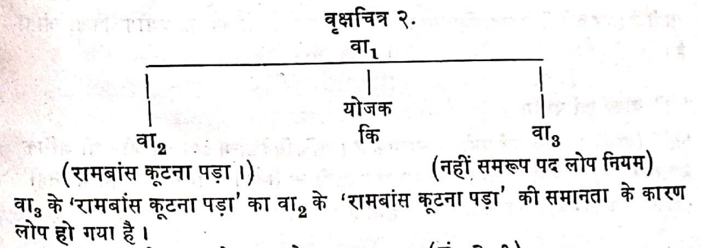
'राम बांस कूटना पड़ा' कि 'राम बांस नहीं कूटना पड़ा।'

बाह्य संरचना के स्तर पर आने में इसमें समरूप पदों संज्ञा पदबंध एवं क्रिया पदबंध आदि का लोप हो गया है। यदि सामान्य वृक्ष-चित्रों द्वारा इस प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करना चाहें तो वह निम्नांकित होगा :—

वृक्षचित्र १.



वृक्षचित्र २.



वा$_3$ के 'रामबांस कूटना पड़ा' का वा$_2$ के 'रामबांस कूटना पड़ा' की समानता के कारण लोप हो गया है।

१. कार्य सफल हो या न हो। (मुं० २०६)

२. नैतिक होने या न होने +++ (शि० ६)

३. पानी मिले या न मिले। (बैंक ३७)

४. यह सब जानते हो कि नहीं। (प्रे० १८)

५. वह वैसा है या नहीं। (मु० र० २३)

६. हिन्दी लिपि का व्यवहार करते थे या नहीं। (रा० मा० ३८)

उक्त सभी उदाहरणों का (अथवा/कि/या) युक्त रूपान्तरण करना सम्भव है। कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. कार्य सफल हो कि/अथवा/या न हो।

२. पानी मिले कि/अथवा/ या नहीं।

३. यह सब जानते हो अथवा/कि/या न हो।

७. २. नहीं=वाक्य

भाषिक अभिव्यक्ति में पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती वाक्य से सम्बन्धित होने पर 'नहीं' वाक्य का कार्य करता है यदि 'नहीं' पूर्ववर्ती वाक्य से सम्बन्धित होता है तो 'नहीं' (वा०) के स्पष्टीकरण के लिए पूर्ववर्ती वाक्य का आश्रय लेना पड़ता है। और यदि परवर्ती वाक्य से सम्बन्धित होता है तो 'नहीं' (वा०) के अर्थ ग्रहण के लिए परवर्ती वाक्य का आश्रय लेना पड़ता है। यदि किसी पूर्व कथन का बलात्मक निषेध करना हो तो 'नहीं' का वाक्य के पूर्व स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। इसे सूत्र के रूप में व्यक्त करना चाहें तो—

'नि० अ० ## वा०।'

नि० अ के० बाद आने वाला वाक्य निषेधात्मक हो तो 'नहीं' का नि० अ० का सम्बन्ध परवर्ती वाक्य से होता है अन्यथा पूर्ववर्ती वाक्य से। 'नहीं' का सम्बन्ध पूर्ववर्ती वाक्यों से हो अथवा परवर्ती से निषेध पूर्व कथन का ही किया जाता है। 'नहीं' का परवर्ती वाक्य से सम्बन्ध होने पर इस प्रकार की अभिव्यक्ति अंग्रेजी की 'नो...नाट' युक्त अभिव्यक्ति के समानान्तर ठहरती है। अंग्रेजी और हिन्दी की इस प्रक्रिया में अन्तर है तो मात्र इतना कि हिन्दी में अधिकांशतः दोनों रूपिम समरूप होते हैं। वैसे 'न' (वाक्य) रूप में प्रयोग भी सम्भव है पर 'मत' का इस रूप में प्रयोग प्रायः असम्भव ही है। 'नहीं' और 'न' (वाक्य) के बाद के निषेधात्मक वाक्य में 'नहीं','न' ओर 'मत' तीनों का प्रयोग सम्भव है। अत: विषय रूप निषेधवाचक अवयव युक्त रचनाएं भी हिन्दी में देखने में आती हैं। पर अंग्रेजी में सदा विषयरूप निषेधवाचक अवयवों का ही प्रयोग किया जाता है।

'नहीं' वाक्य पूर्व प्रयोग

'नहीं' (वा०) का वा० पूर्व प्रयोग बलात्मक है। यदि निषेधात्मकता का और भी अधिक बलात्मक प्रयोग करना हो तो इसकी संख्या बढ़ा दी जाती है। सामग्री संकलन में 'नहीं' (वाक्य) का चार बार एक प्रयोग प्राप्त हुआ है।

'नहीं' (वा०) पूर्ववर्ती वाक्य से सम्बन्धित, कुछ उदाहरण

१. प्रथम वैज्ञानिक : क्या तुम अब ग्रहण देखना बन्द कर दोगे यदि मैं १००० रुपये दूं?
दूसरा वैज्ञानिक : नहीं।
प्र० वै० : यदि दस हजार रुपये दूं तो?
दू० वै० : नहीं।
प्र० वै० : यदि एक लाख रुपये दूं तो?
दू० वै० : नहीं।
२. नहीं, तुमने शेर कहा है। (रा० ३२)
३. नहीं, तुम मेरी प्यारी बनोगी। (क० २४)

४. मैं वहीदा रहमान जैसी? नहीं। (रा० १८८)
५. सबूत की ओर से गवाही थी?
नहीं।
छुन्नू के मुकदमें से गवाही दी थी?
'नहीं।'
...
'नहीं -'
...
'नहीं।'
...
'नहीं।' (रा० ५३)
आदि।

'न' (वा०) पूर्ववर्ती वाक्य से सम्बन्धित, कुछ उदाहरण

१. न। गिनने से कम हो जाते हैं। (अ$_2$ ११७)
२. न। तुम्हारी बारी है गाने की। (अ$_2$ १२७)
३. न। जादुई ताल यह है। (अ$_2$ १३३)

'नहीं' (वा०) परवर्ती वाक्य से सम्बन्धित, कुछ उदाहरण

१. अरे, नहीं, इस समय नहीं जाना है घर पर। (सा० हिं० १८)
२. नहीं सर, आई जी नहीं भेजा जा सकता। (हरि २२०)
३. नहीं, उस प्रतिद्वंद्विता में भारत ऊपर नहीं आ सकता। (मैं २४३)
४. नहीं, शराब इन्होंने कभी नहीं पी।
५. नही, हमने कोई वादा नहीं किया था।
६. नही, यह बात नहीं। (मु० ११)

'नहीं' (वा०) का सम्बन्ध परवर्ती वाक्य से होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि परवर्ती वाक्य में भी 'नि० अ० का प्रयोग आवश्यक रूप से होना चाहिए।

रू० प्र० व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो 'नहीं' (वा०) पूर्ववर्ती वाक्य से सम्बन्धित होने पर नहीं से इतर के अवयवों का पूर्ववर्ती वाक्य से समरूपता आदि के आधार पर लोप हो जाता है जबकि 'नहीं' (वा०) परवर्ती वाक्य से सम्बन्धित होने की दशा में वक्ता/ प्रयोक्ता समूचे निषेधात्मक वाक्य का दो बार प्रयोग करने के स्थान पर एक बार उसके नि० अ० का प्रयोग करके दूसरी बार पूरे वाक्य का प्रयोग कर देता है। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में परवर्ती वाक्य से समरूपता के कारण पूर्ववर्ती वाक्य के 'नि० अ०' को छोड़कर सभी अवयवों का लोप हो जाता है। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में परवर्ती वाक्यों के अंग के रूप में किसी भी 'नि० अ०' का प्रयोग संभव होता है।

नहीं (वा०) का एकाधिक बार प्रयोग, कुछ उदाहरण

दो बार

१. नहीं-नहीं ।
२. नही-नहीं कुछ नहीं । (अ$_2$ १४७)
३. नहीं-नहीं, ठीक है । (अ$_2$ १११)
४. नहीं-नहीं, बैठो पहलवान । (सा० हि० १८)
(रा० १९९)

तीन बार

१. नहीं-नहीं-नहीं-, मेरे निर्दोष पति पर इल्जाम मत लगाइए ।
२. नहीं-नहीं-नहीं, रेखा ने दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किए ।
३. नहीं-नहीं-नहीं, वह मेरी शादी के वक्त मौजूद नहीं था ।

चार बार

नहीं, (उन्होंने गम्भीरता से सिर हिलाकर कहा) नहीं ! नहीं ! नहीं ! आप अपनी बात अनेक बार कह चुके हैं । (रा० ३७६)

नहीं + अन्य अवयव = वाक्य

'नहीं' युक्त वाक्य एकाधिक अवयव के भी हो सकते हैं ।

नही + एक अवयव

१. नहीं तो । (क० २७), प्रश्नोत्तर में बलात्मक निषेध ।
२. कभी नहीं । (क० २६)
३. अजी नहीं । (क० १३), आदरार्थ प्रयोग ।
४. अरे नहीं । (सा० दि० १८)
५. नहीं रेखा जी । (अ$_2$ ११२), आदरार्थ प्रयोग ।
५. नहीं जी । (ना० १८५) आदरार्थ प्रयोग ।
७. नहीं मालूम - (रा० २४९)
८. तब नहीं । (अ$_2$ ११६)

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में 'नहीं' का दो प्रकार से प्रयोग सम्भव है :—

१. अन्य अवयवों से पहले, और २. अन्य अवयवों के बाद में । संरचना के धरातल पर अन्य अवयव संज्ञा, सर्वनाम, क्रियाविशेषण, क्रिया बलात्मक अवयव आदि कुछ भी हो सकता है ।

७. ३. निषेधद्वय (डबल नेगेटिव)

भाषा का ही नहीं अपितु तर्कशास्त्र, गणित और विज्ञान आदि का सामान्य नियम है कि दो परस्पर विरोधी मतवाद, संख्याएं, पदार्थ, आदि एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन

करते हैं । जेस्पर्सन (१९११ ; ४९) ने भाषिक अभिव्यक्ति के 'निषेधद्वय' को आधार बनाकर इस सार्वभौमिक तथ्य का प्रतिपादन किया है—

"सभी भाषाओं में दो निषेधवाचक अवयव मिलकर साकारान्तमक-निषेध हो जाते हैं । शर्त यह है कि दोनों निषेधवाचक अवयवों का सम्बन्ध एक ही विचार अथवा शब्द से होना चाहिए ।" उन्होंने इस उदासीनीकरण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला है । भाषिक अभिव्यक्ति में निषेधद्वय के अर्थ के स्तर पर उदासीनीकरण की इस प्रक्रिया को अनेक भाषाविदों ने स्वीकार किया है । (इंदरसिंह, १९७१; ३९-४१, क्वाई गार्डेन १९७२; ३२, हैरिस १९७३; २११, कालरा १९७३; ३६२-३६३, हार्न १९७८; १९८ आदि ।)

क्वाई गार्डेन (१९७२; ३२) ने 'निषेध बहुता' (मल्टीपिल नेगेशन) पर विचार करते हुए इससे सम्बन्धित दो बंधनों (कांन्स्ट्रेंट्स) की चर्चा की है—

१. एन० डी० एन० (नो डबल नेगेशन कान्स्ट्रेंट) और
२. ई० एक्स० पी० एल० (एक्सप्लिटनेस कांस्ट्रेंट) ।

उनके द्वारा की गई पहले बंधन की व्याख्या निम्नांकित है—

'किसी भी साधारण वाक्य में अधिक से अधिक एक निषेधवाचक अवयव हो सकता है ।' जबकि दूसरे बंधन की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि 'यदि वाक्य में एकाधिक निषेधवाचक अवयव हों तो वे सभी स्पष्ट रूप से उसमें रहने चाहिए ।'

निषेधद्वय के निम्नांकित चार भेद किए जा सकते हैं—

१. तार्किक निषेधद्वय (लौजिकल डबल नेगेशन)
२. पुनर्बलित निषेधद्वय (रीइनफ़ोर्सिंग डबल नेगेशन)
३. नि० अ० युक्त अभिप्रेत निषेधात्मक निषेधद्वय
४. नि० अ० रहित अभिप्रेत निषेधद्वय ।

तार्किक, निषेधद्वय

तार्किक निषेधद्वय उन भाषिक अभिव्यक्तियों में होता है जिनमें दो नि०अ० एक दूसरे के प्रभाव को लगभग समाप्त करके [—निषेध] अर्थ अभिव्यक्ति करते हैं (कार्डेन १९७२, ३३) । लगभग का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि कभी-कभी निषेधद्वय युक्त और [—निषेध] अभिव्यक्ति में अर्थ के धरातल पर अन्तर होता है ।

हिन्दी में निषेधद्वय का प्रयोग करने पर अधिकांशत: निषेध के बद्ध रूपिम का पहले प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार के प्रयोग में यदा-कदा बलाघात आदि के परिणामस्वरूप व्यतिरेक आना संभव है । इसके कतिपय उदाहरण दिए जा रहे हैं—

१. अस्तित्व में अविश्वास किया नहीं जा सकता । (दै० हिन्दी ४, ३) =(अस्तित्व में विश्वास किया जा सकता है) ।
२. अश्लील भी नहीं है । (मुं २१)=(श्लील है) ।
३. बच्चे से विमुख न हो पाया । (ना० १७५) =(बच्चे के सम्मुख हो गया) ।

४. मुसलमान भी अपरिचित न होगा। (का० १७६) = (मुसलमान भी परिचित होगा)।

५. यह कहना असंगत न होगा। (रा० मा० ४८) = (यह कहना संगत होगा)।

पुनर्बलित निषेधद्वय

निषेधद्वय के इस भेद के उदाहरण सामग्री संकलन में अप्राप्त रहे हैं।

नि० अ० युक्त अभिप्रेत निषेधात्मक निषेधद्वय

शोध-निबन्ध में मत, मना, इन्कार आदि को अभिप्रेत निषेधवाचक रूपिम माना गया है। यदि उक्त में से कोई भी रूपिम निषेधद्वय के एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह इस भेद का उदाहरण होता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. इन दोनों तथ्यों को असम्बद्ध मत बताओ। = (इन दोनों तथ्यों को सम्बद्ध बताओ)
२. मैं मना नहीं कर रहा हूं। (बैंक ७२) = (मैं स्वीकार कर रहा हूं)
३. यह इन्कार नहीं है। (अ₂ १३६) = (यह स्वीकृति है)
४. यहां सिगरेट पीना मना नहीं है। = (यहां सिगरेट पी जा सकती है)

नि० अ० रहित अभिप्रेत निषेधात्मक निषेधद्वय

शोध-निबन्ध के पूर्व विवेचन में अभिप्रेत निषेध के अनेक भेद-प्रभेद स्वीकार किए गये हैं। यदि अभिप्रेत निषेध के इन भेद-प्रभेदों में से किसी में भी निषेधात्मक अवयव का प्रयोग कर दिया जाए तो निषेधद्वय के सामान्य अर्थ के समान उसका अर्थ भी [—निषेध] हो जाएगा। अभिप्रेत निषेध के उन सभी भेदों के संदर्भ में निषेधद्वय पर इस शोध-निबन्ध में विचार नहीं किया जा रहा। प्रश्नवाचक अवयव युक्त अभिप्रेत निषेधद्वय के अनेकों उदाहरण सामग्री संकलन में मिले हैं। अतः इसे विस्तार से विवेचित किया जा रहा है।

प्रश्नवाचक अवयव युक्त अभिप्रेत निषेध युक्त निषेधद्वय

इसके दो भेद हो सकते हैं—

१. [—निषेध] अर्थ
२. [+निषेध] अर्थ

भाषिक अभिव्यक्ति में जब निषेधवाचक और प्रश्नवाचक अवयव किसी अन्य एक ही अवयव से संबंधित होते हैं तो अर्थ के धरातल पर भाषिक अभिव्यक्ति प्रायः [—निषेध] हो जाती है। अथवा कहा जा सकता है कि निषेधद्वय के समान कार्य करती (मोरावासिक १९७१; १५५, होर्न १९७८; १७१) इस प्रक्रिया का और अधिक स्पष्टीकरण इस तरह से किया जा सकता है कि भाषिक अभिव्यक्ति संरचना के धरातल पर तो निषेधात्मक ही रहती है परन्तु आर्थी धरातल पर उसमें जिज्ञासा का भाव जुड़ जाने से

वक्ता का अभिप्रेत अर्थ निषेधात्मक न रहकर उसकी इस इच्छा की अभिव्यक्ति करता हैं कि श्रोता / श्रोताओं को निश्चित रूप से वह क्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों को जब [—निषेध] अभिव्यक्तियों में रूपांतरित किया जाता है तो इनमें प्रायः आवश्यक रूप 'चाहिए' का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ—

'तुम लोगों ने अभी तक मेरी बात सुनी क्यों नहीं।'

संरचना के धरातल पर तो यह निषेधात्मक प्रश्न है क्योंकि इसमें नि० अ० एवं प्र० अ० का प्रयोग हुआ है। परन्तु आर्थी धरातल पर यह [—निषेध] अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसका अर्थ—'तुम लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए थी' है; जो निषेधात्मक नहीं है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि इस प्रकार की अभिव्यक्तियां आर्थी धरातल पर कुछ अधिक कहने की क्षमता रखती हैं। (होर्न १९७५; १७१) उक्त उदाहरण में भी दो अर्थों का संकेत मिलता है—

१. वक्ता की बात अभी तक सुनी नहीं गई है और वक्ता यह जानना चाहता है कि उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई।

२. वक्ता यह चाहता है कि श्रोताओं को उसकी बात सुननी चाहिए थी। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में प्र० अ० और नि० अ० सामान्य क्रम 'क शब्द'…'नि० अ०' होता है।

'क शब्दों' का हिंदी में स्थान परिवर्तनीय है परन्तु नि० अ० का स्थान प्रायः निश्चित ही है कि यह क्रिया-संग्लन होता है।

क. [—निषेध अर्थ]

(—निषेध) अर्थ युक्त अभिव्यक्तियाँ अत्यधिक कम होती हैं। कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं—

१. क्या भूख नहीं। (प्रे० १६)
२. क्या साग अच्छा नहीं। (प्रे० १६)
३. नये लोगों ने उनसे मान्यता क्यों चाही। (मो० ७६)
४. मैं समझ गया आप की पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है।
५. राम तुम घर जाओ ! बाजार क्यों नहीं। आदि

ख [+निषेध] अर्थ

क्या युक्त—

१. असफलता क्या अधिक महत्वपूर्ण नहीं। (मो० ७८)
२. उसका सामना क्या लेखक को अपने से ही नहीं करना चाहिए था।

क्यों युक्त—

१. इनके साथ भांवर क्यों नहीं डाल ली जाती। (क० ४)
२. इकाले का प्रबंध क्यों नहीं करते ? (प्रे० २३)

३. वेबाक होकर जांचता क्यों नहीं। (रा० भा० १६)
४. मोटी सी बात हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ? (रा० भा० २७)

अन्य

१. गुण्डा कौन नहीं है, रंगनाथ बाबू। (रा० १८४)
२. धामौनी चलकर देखूंगा कैसे दो दिन भूख नहीं लगती। (क० ४) आदि।

निषेधात्मक वाक्यों के उक्त तीनों पक्षों से संबंधित अभिव्यक्तियों पर भी अनेक दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। विस्तार भय से इन तीनों पक्षों की ओर संकेत मात्र ही किया गया है।

निषेध से संबंधित कतिपय अन्य पक्षों पर भी शोध-निबंध की लघु सीमा के कारण विचार नहीं किया गया है। ये पक्ष हैं—'निषेधात्मक वाक्यों मे अनेकार्थकता एवं उसके कारण', 'निषेधात्मक वाक्यों में अनुतान', 'विपरीतार्थकता एवं निषेधात्मकता', 'प्रोक्ति में निषेधात्मक वाक्य की स्थिति' और 'निषेधात्मक वाक्यों में पूर्व संकलपना की स्थिति' आदि।

उपसंहार

'पृष्ठभूमि' के आधार पर निष्कर्ष रूप से कहना चाहें तो कहा जा सकता है कि 'हिन्दी के निषेधवाचक वाक्यों' से संबंधित सामग्री मात्रा की दृष्टि से पर्याप्त होते हुए भी उचित रूप से वर्गीकृत नहीं है और व्यवस्था के अभाव में विशृंखलित है।

निषेध के छह अर्थ— (१) सादृश्य, (२) अभाव/हीनता, (३) अन्यता, (४) अल्पता, (५) निंदा और (६) विरोध होते हैं।

भाषिक व्यवस्था के धरातल पर निषेध पर विचार करें तो भाषिक अभिव्यक्ति हेतु इकाई चयन करने में भी निषेध की व्यापक प्रक्रिया दृष्टिगत होती है जिसे 'अव्यक्त निषेध' कहा जा सकता है। यह दो प्रकार का हो सकता है— (१) समस्थानिक इकाइयों में से एक के प्रयोग के कारण, तथा (२) विशेषीकृत इकाई के प्रयोग के कारण। भाषिक इकाई का विशेषीकरण तीन प्रकार से संभव है—(१) लिंग द्वारा, (२) विशेषण द्वारा, और (३) वचन द्वारा। भाषिक व्यवस्था के भाषिक अभिव्यक्ति रूप में प्रकटीकरण की प्रक्रिया में व्याप्त यह अव्यक्त निषेध मूल विषय 'व्यक्त निषेध' से अधिक संबद्ध नहीं है अतः इसका संकेत मात्र करके व्यक्त निषेध का विवेचन किया गया है।

भाषिक अभिव्यक्तियों का सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में वर्गीकरण करना अनुचित है। अतः निषेधात्मकता के आधार पर भाषिक अभिव्यक्तियों का [±निषेध] के रूप में वर्गीकरण किया गया है। सकारात्मक अभिव्यक्तियां (—निषेध) अभिव्यक्तियों का एक भेद होती हैं जिनमें सकारात्मकता वाचक अवयव 'हां', 'हांजी' आदि का प्रयोग किया जाता है।

जिन भाषिक अभिव्यक्तियों की आर्थी व्याख्या 'मना युक्त' होती है वे मनाही का उदाहरण होती हैं। रू० प्र० व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो सामान्य अभिव्यक्ति पर नि० रू० नि० लागू करने पर तीन परिवर्तन आते हैं।

'अभिप्रेत निषेध' के दो उपभेद—(१) 'नि० अ० रहित' और (२) 'नि० अ० युक्त' अभिप्रेत निषेध' होते है। 'नि० अ० रहित अभिप्रेत निषेध' का अनुतान के आधार पर पुनः [+अनुतान] युक्त अभिप्रेत निषेध' के रूप में वर्गीकरण संभव है। [—अनुतान] अभिप्रेत निषेध पांच प्रकार की अभिव्यक्तियों में दृष्टिगत होता है—१. व्यंग्यात्मक

अभिव्यक्तियों में, २. पूर्व संदर्भ के कारण वार्तालाप में, ३. विपरीतार्थक युग्म (संज्ञा,
क्रिया, विशेषण, परसर्ग आदि) में से एक के प्रयोग के कारण, ४. अभाव सूचक पदों के
अभिव्यक्ति में स्वतंत्र रूप से प्रयोग वाली अभिव्यक्तियों में तथा ५. वर्जित अभिव्यक्तियों
में। [+अनुतान] अभिप्रेत निषेध अनुतान के विशिष्ट प्रयोग पर आधारित होता है।
यह भी पांच प्रकार का होता है—१. मात्र अनुतान परिवर्तन से, २. 'क' शब्दों के अनु-
तानिक प्रयोग से, ३. कतिपय विशेष विशेषणों के आनुतानिक प्रयोग से, ४. 'तो…चुका
लो' के आनुतानिक प्रयोग से तथा ५. 'तो…क्रिया (मूल धातु रूप) + ने, से, रहा' के
आनुनिक प्रयोग से।

नि० अ० युक्त अभिप्रेत निषेध के अंतर्गत 'मत' युक्त वाक्यों का विवेचन किया
गया है। 'मत' युक्त वाक्यों को अभिप्रेत निषेध के अंतर्गत स्वीकार करने का कारण
इससे युक्त अभिव्यक्तियों में क्रिया का सीधे निषेध न होकर वक्ता की क्रिया न करने
(देने) की अभिमंशा होना है। 'मत' का प्रयोग आदेशवाचक वाक्यों में ही होता है। आदेश-
पूर्ति की तात्कालिकता के आधार पर आदेश के दो भेदों [± तात्कालिक] आदेश का
निरूपण किया गया है। तू/तुम/आप के अथवा इनके स्थान पर प्रयुक्त किसी व्यक्तिवाचक
संज्ञा के आधार पर आदेशात्मक वाक्यों के दस भेद निश्चित होते हैं। इन भेदों का सूत्र
रूप आगे दिया जा रहा है—

तू तुम आप [± तात्कालिक] आदेश

तू के साथ [+तात्कालिक] आदेश में क्रिया के मूल धातु रूप का प्रयोग किया
जाता है। शेष सभी रूपों के साथ उसके विभिन्न आदेशवाचक रूपों का प्रयोग किया
जाता है। सामान्य अभिव्यक्ति को निषेधात्मक अभिव्यक्ति ने रूपांतरित करने के लिए
आ० रू० नि० और नि०रू०नि० नियम लागू करने पड़ते हैं। 'मत' का हिन्दी में तीन
प्रकार से प्रयोग संभव है--(१)--क्रिया, (२) क्रिया—तथा (३) मुख्य क्रिया—सहा-
यक क्रिया। 'वृत्तिक क्रिया' का 'मत' युक्त अभिव्यक्तियों में प्रयोग संभव नहीं है। अकर्तृ-
वाच्य के वाक्य भी 'मत' युक्त नहीं होते। प्रेरणार्थक वाक्य आदि 'मत' युक्त हों तो वे
सामान्य वाक्य पर तीन रूपांतरण नियम (१) प्रे०रू० नियम, (२) आ०रू० नि०, और
(३) नि० रू० नि० लागू करने पर प्राप्त होंगे।

निषेधवाचक अवयव युक्त वाक्य नि० अ० की बद्धता के आधार पर दो प्रकार के
होते हैं—(१) बद्ध रूपिम युक्त निषेधात्मक वाक्य, तथा (२) मुक्त रूपिम युक्त निषेधा-
त्मक वाक्य। हिन्दी में बद्ध रूपिम के रूप में कुछ उपसर्ग तथा कुछ अभाव सूचक प्रत्ययवत्
प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग होता है। बद्ध रूपिम युक्त निषेध का प्रायः सभी छह अर्थों में
प्रयोग संभव है। हिन्दी में मुक्त निषेध वाचक रूपिम 'नहीं' और 'न' हैं। 'नहीं' का वाक्य
में शब्द क्रम की दृष्टि से चार प्रकार से प्रयोग संभव है। ये चार प्रकार हैं —(१)—क्रिया,
(२) मुख्य क्रिया—सहायक क्रिया, (३) क्रिया—और (४) —कर्म / पूरक। चौथे प्रकार
के प्रयोग के उदाहरण सामग्री संकलन में प्राप्त नहीं हुए। शेष तीनों में से पहला (--क्रिया)
प्रयोग हिन्दी में सामान्य है तीसरा (क्रिया—) [+बलाघात] है तो दूसरा (मुख्य
क्रिया—सहायक क्रिया) कम बल का परिचायक है।

'नहीं' का वाक्य सीमा (—#) पर प्रयोग दो कारणों से होता है। पहला
कारण क्रिया के पश्चात् प्रयोग है तो दूसरा कारण क्रिया का लोप है। क्रिया के लोप का
कारण पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती वाक्य से उसकी समरूपता है। स्थित्यात्मक (सामान्य)
विधेय में ही 'नहीं' के साथ 'है' का प्रयोग किया जाता है शेष तीनों प्रकार के विधेयों में
'है' का लोप हो जाता है। इन विधेयों में 'है' के लोप का कारण उसका अनावश्यक
(रिडन्डेंट) हो जाना है। यह उल्लेखनीय है कि इन चारों विधेयों का मिश्र वाक्य में प्रयोग
करने पर प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त 'है' वैकल्पिक हो जाता है।

'मत' के असमान 'नहीं' के साथ मूल धातु क्रिया का प्रयोग संभव नहीं है। 'नहीं'
के साथ मूल धातु क्रिया, नामिक क्रिया अथवा संयुक्त क्रिया के अंग; मुख्य क्रिया के रूप
में प्रयुक्त होती हैं।

वृत्तिक क्रियाओं में से नहीं के साथ 'चुकना' का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता।
'पड़ना' का कुछ सीमित स्थितियों में तथा 'चाहिए', 'पाना', 'सकना' और होना का सभी
स्थितियों में प्रयोग संभव है। 'रंजक क्रियाओं' का प्रायः निषेधात्मक अभिव्यक्तियों में
प्रयोग नहीं होता परन्तु 'बनना' रंजक क्रिया का सभी स्थितियों में तथा 'जाना' का वाच्य
परिवर्तन में सहायक के रूप में, 'देना' का वाच्य परिवर्तन में सहायक तथा अनुगति बोधक
के रूप में प्रयोग संभव है। 'रहना' क्रिया का हिन्दी में तीन प्रकार से प्रयोग किया जाता
है। 'नहीं' के साथ उसका रंजक क्रिया के रूप में प्रयोग संभव नहीं है। रंजक क्रियाओं
का 'नहीं' युक्त अभिव्यक्तियों में प्रयोग न होने का कारण उनका अनावश्यक हो जाना
ही है। रंजक क्रियाएं प्रायः क्रिया की पूर्णता को निश्चित करती हैं। अतः निषेधात्मक
वाक्यों में वे अनावश्यक हो जाती है। अकर्तृ वाच्य के दूसरे भेद भाववाच्य के वाक्य तो
'नहीं' युक्त होने पर अधिक सुंदर एवं सुरुचिपूर्ण हो जाते हैं। 'मत' युक्त अभिव्यक्तियों
के असमान 'नहीं' युक्त अभिव्यक्तियों के प्रेरणार्थक रूप प्राप्त करने के लिए दो रूपांतरण
नियम लागू करने पड़ते हैं। आ० रू० नि० की 'नहीं' युक्त अभिव्यक्ति प्राप्ति के लिए
आवश्यकता नहीं पड़ती।

'न' का आदेशवाक्क वाक्यों में 'मत' के स्थान पर प्रयोग संभव है अर्थात् 'न ~
मत'। 'मत' युक्त अभिव्यक्तियों के समान ही 'न' युक्त आदेशवाचक अभिव्यक्तियों में
रूपांतरण नियम लागू होते हैं तथा इसके भी दस भेद होते हैं। साधारण वाक्य में यदि 'न'
का प्रयोग किया जाय तो या तो (पाँच विधेयों में) संदिग्ध अभिव्यक्तियाँ प्रकट होती हैं
अथवा अव्याकरणिक (शेष सात विधेयों में)।

मिश्र और संयुक्त वाक्यों में 'न' प्रायः 'नहीं' के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता
है। 'न' का सामान्यतः तीन प्रकार की अभिव्यक्तियों में स्वतंत्र प्रयोग दृष्टिगत होता है—

१. -ते हुए से बनी कृदंतीय रचनाओं में
२. -का से बनी पूर्वकालिक क्रिया के साथ और
३. -ना से बनी संज्ञार्थक क्रिया के साथ।

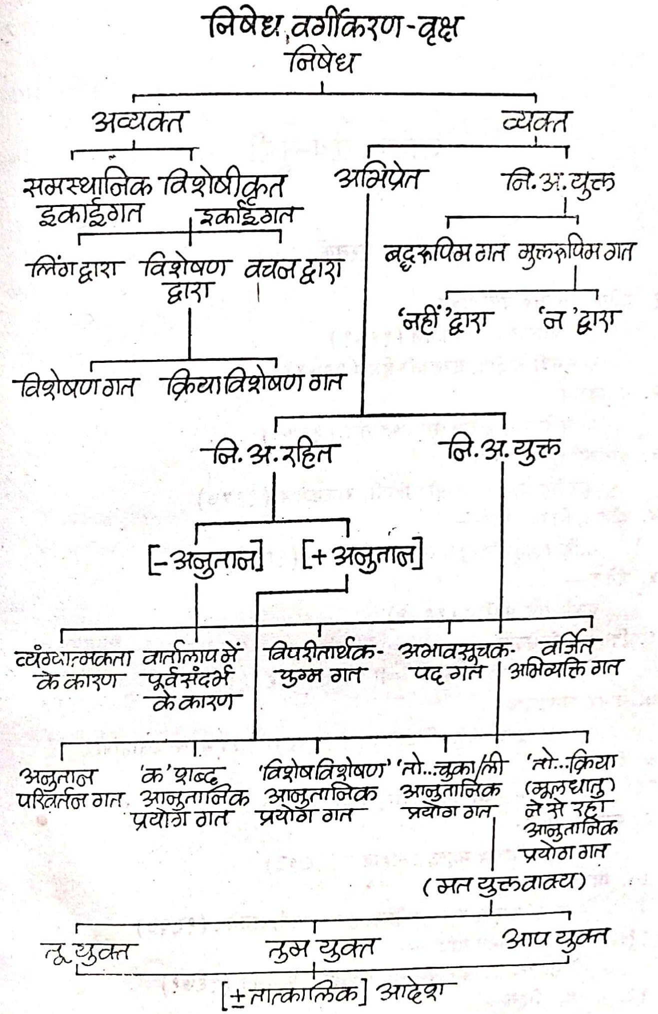
'न केवल' भी 'न' का एक विशिष्ट प्रयोग है। इस रूप में 'नहीं' और 'मत' का प्रयोग
संभव नहीं है। इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ प्राप्त होती हैं। समानाधिकरण वाक्य के

प्रथम निषेधात्मक घटक के रूप में अधिकांशतः 'न' का ही प्रयोग किया जाता है।

समान क्रिया में विकल्पात्मकता होने पर अभिव्यक्ति में आवश्यक रूप से निषेधात्मक अवयव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में अधिकांशतः 'नहीं' का प्रयोग किया जाता है पर 'मत' और 'न' का प्रयोग निषिद्ध नहीं किया जा सकता। विकल्पात्मकता के अवयवों में से हिन्दी में 'या' का प्रयोग सर्वाधिक होता है। रू० प्र० व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ दो वाक्यों से बनी होती है जिनमें से एक [+निषेध] होता है और दूसरा उसका [—निषेध] रूप। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में अनेक अवयवों का दूसरे वाक्य से समानता के कारण लोप हो जाता है।

निषेधवाचक अवयवों में से अधिकांशतः 'नहीं' और कभी-कभी 'न' का प्रयोग पूर्ण वाक्य के रूप में किया जाता है। निषेधवाचक अवयव का इस प्रकार का प्रयोग पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती वाक्य से उसका संबंध होने के कारण होता है। 'नहीं' का इस प्रकार का प्रयोग बलात्मक होता है। रू० प्र० व्याकरण इसका अभिप्राय यह होता है कि वक्ता ने निषेधात्मक वाक्य का एकाधिक बार प्रयोग किया। सामग्री संकलन में इस रूप में 'नहीं' का चार बार तक प्रयोग मिला। 'मत' का इस प्रकार प्रयोग संभव नहीं है।

शोध-निबंध में निषेधद्वय के चार प्रकार का निरूपण किया गया है—(१) तार्किक-निषेधद्वय, (२) पुनर्वलित निषेधद्वय, (३) अभिप्रेत निषेधवाचक रूपिम युक्त निषेधद्वय और (४) अभिप्रेत निषेध युक्त निषेधद्वय। पुनर्वलित निषेधद्वय के उदाहरण सामग्री संकलन में दृष्टिगत नही हुए। निषेधद्वय अधिकांशतः [—निषेध] अर्थ अभिव्यक्त करता है। इसका पहला अवयव अधिकांशतः बद्ध रूपिम होता है। निषेध के वर्गीकरण का वृक्ष अग्रिम पृष्ठ पर है :—



आधार ग्रंथ-सूची

पुस्तकें

१. अज्ञेय, स० ही० वात्स्यायन—

    १—आलवाल, राजकमल (१९७१)

    २—नदी के द्वीप, सरस्वती प्रेस (१९७१)

२. गुलाबराय—

    काव्य के रूप, आत्माराम एण्ड संस (१९५८)

३. चाटुर्ज्या, सुनीतिकुमार—

    भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी, राजकमल (१९५७)

४. चौहान, शिवदानसिंह—

    साहित्य अनुशीलन, आत्माराम एण्ड संस (१९५५)

५. जैनेन्द्र—

    वृत्तविहार, पूर्वोदय (१९७१)

६. तिवारी, भोलानाथ—

    हिन्दी भाषा की संरचना' वाणी प्रकाशन (१९७९)

७. नागर, अमृतलाल—

    बूंद और समुद्र, विद्यार्थी संस्करण (१९६९)किताब महल, इलाहाबाद

८. प्रेमचंद—

    प्रेमाश्रम, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद(१९६२)

९. भारती, धर्मवीर—

    अंधायुग, किताब महल, इलाहाबाद (१९७२)

1०. माचवे, प्रभाकर—

    भारत और एशिया का साहित्य, कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर (१९६७)

११. मुक्तिबोध, गजानन माधव—

    नये साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, राधाकृष्ण प्रकाशन (१९७१)

१2. राकेश, मोहन—

    बकलमखुद राजपाल एण्ड सन्ज(१९७४)

१३. यादव, राजेन्द्र—

    प्रेमचंद की विरासत (और अन्य निबन्ध), अक्षर प्रकाशन (१९७८)

१४. वर्मा वृंदावनलाल—

    कचनार, मयूर प्रकाशन, झांसी (१९५१)

१५. शर्मा, मुंशीराम—

    वैदिक संस्कृति और सभ्यता, ग्रंथम, रामबाग, कानपुर (१९६८)

१६. शर्मा, रामविलास—

    भाषा और समाज, राजकमल प्रकाशन (१९७७)

१७. शुक्ल, रामचन्द्र—

    हिन्दी साहित्य का इतिहास, ना० प्र० स० काशी (सं० २००६)

१८. शुक्ल, श्री लाल—

    रागदरबारी, राजकमल (१९७८)

१९. सुरेशकांत—

    'ब' से बैंक, पराग प्रकाशन (१९८०)

पत्र-पत्रिकाएं

पत्र—

१. दैनिक हिंदुस्तान, दिल्ली—६ अप्रैल, १९८०

२. नवभारत टाइम्स, दिल्ली—३० मार्च, १९८०

पत्रिकाएं—

१. धर्मयुग, बम्बई—६-१२ अप्रैल, १९८०

२. भाषा (हिंदी भाषाविज्ञान विशेषांक)—'काल और पक्ष' :रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली, मार्च, १९७३

३. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिल्ली—१३-१९अप्रैल, १९८०

सहायक ग्रन्थ-सूची

कोश—हिन्दी:

१. नालंदा शबूद सागर—संपादक : नवल श्री, न्यू इम्पीरियल बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली (सं० २००७)
२. प्रामाणिक हिन्दी कोश—वर्मा, रामचंद (सं० २००८)
३. वृहत् अंग्रेजी हिन्दी कोश=बाहरी, हरदेव, ज्ञान मंडल, वाराणसी (१९६९) (भाग—१)
४. वृहत् हिन्दी कोश —संपादक : कालिकाप्रसाद सिंह, ज्ञानमंडल, वाराणसी (सं०-२०२०)
५. हिन्दी शब्द-सागर—संपादक : श्यामसुंदर दास, ना० प्र० स०। (भाग—५)

कोश—अंग्रेजी

1. Encyclopedia of Philosophy (Vol. 5th) Editor-Paul Edwards, Macmillan Company and Free Press (1969)
2. The Oxford Dictionory (Vol. 7th), Oxford (1969).
3: The Random House Dictionary of the English Language. Editor--Jess Stein, Lawrence Urdang, Random House New York (1967).
4. Studies in the Semantic Structure of Hindi, Bahl, Kalicharan, Motilal Banarasi Das, (1974).

पुस्तकें

1. Bahl, Kalicharan, A Reference Grammar of Hindi, University of Chikago, (1967).
2. Balchandran, Lakshmi Bai, A Case Grammar of Hindi, C: H. I. Agra (1973).

3. Bhattacharya, J. B., Negation, Indian Studies Present & Past, Calcutta, (1965)
4. Chomsky, Noam, Aspects of the theory of Syntax M. I. T. Press, 1965 (1973).
5. Cullar, Jonothan, Saussure (Fontana Modern Masters) Fontana Colins. (1976).
6. Davison, Alice, Negative Scope and Rules of Conversation. (Froms Syntax and Semantics Vol 9th. Pragmatics), Acadamic Press, (1978).
7. Gruber, J. S., Lexical Structures in Syntax and Semantics, North Holland Ling. Series, North Holland Publishing Co., (1976).
8: Guy Carden, Multiple Dialects in Multiple Negation (From Papers from the eighth Regional meeting Chikago Ling. Society). Ed. Paul M. Perentew etc.(1972).
9. Horn, L. R., Some aspects of Negation, (From : Universals of Human Languages, Vol. 4, Syntax, Ed. J. H. Greenberg), Stanford University Press, (1978).
10. Hook, P.E., The Compound verbs in Hindi, 1973, The Michigan Series in South and South East Asian Languages and Ling. No. 1, (1974).
11. Inder Singh, Some aspects of Hindi Negation, (From : Papers and talks, Ed. H. S. Bilagiri), Central Institute of Indian Languages, Manas Gangotri, Mysore, (1971).
12. Jespersen, Otto, A modern English Grammar (Pt. V. Vol. IV.) George Allen & Unwin Ltd., London, 1911 (1965).
13. Kachru, Jamuna, An Introduction to Hindi Syntax, University of Illinois, Urbana, (1966).
14. Kellog, S.H., A grammar of Hindi Language, Oriental Books Reprint Corporation, 1875, (1938)
15. Klima, E. S., Negation in English (From : The Structure of the Language, Readings in the Philosophy of Language) Prentice Hall-Inc. Engle Wood, Cliffs New Jersy. (1964).

16. Lehrer, A., Semantic Fields and Lexical Structures, North Holland Series, North Holland Publishing Company, (1974).
17. Lyons, John., 1. Introduction to Theoractical Linguistics, Cambridge University Press, (1969).
2. Semantics Vol. I and II, Cambridge University Press, (1977).
18. Plots, John T., A Grammar of Hindustani or Urdu Language Munshiram Manohar Lal, (1967).
19. Searale, T. R. (From : Syntax and Semantics Vol. 3, Speech Acts, Ed. Peter Cole and J. F. Morgan, Acadamic Press (1975).
20. Sharma, Aryandra., A Basic Grammar of Modern Hindi, C.H.D. Ministry of Education and Social welfare, Govt. of India, (1972).
21. Subbarao, K.V., Noun Phrase Complementation in Hindi, Ph.D. Dissertation, University of Illinois, (1974).
22. Verma, M. K., The Structure of Noun Phrase in English, and. Hindi Language, Motilal Banarasi Das, (1971)

लेख—

1. Bhatia, T. K., On the scope of Negation in Hindi, (From : Studies in the Linguistics Sciences Vol. 3, No. 2, Fall 1973, (Papers on South Asian Linguistics) Deptt. of Linguistics University of Illinoi, Urbana, (1973).
2. Harris, Helga., A Note on Double Negation and Models Mainverb (From : Working Papers on Language Universals) (April, 1973).
3. Moravcsick, E. A., Working Papers on Language Universal No. 7 (Dec. 1971).
4. Pandey, Rajeshwari Pandhari, On tne Semantics of Hindi Urdu 'Chalna' Indian Linguistics, Deccon College Pune (1975).
5. Raina, S. N., Negation in Kashmiri (From : Language Forum Ed. U. S. Bahri) New Delhi.

(Oct.-Dec. 1975 and Jan.-Match1 976).
6. S. Agesthialingom., Negatives in old Tamil (From : Indian Linguistics, Vol. 40, No. 2) Deccon College Pune, (June 1979):
7. Singh, U. N., Negation in Bengali and the order of the Constituents. Indian Lingvistics. Vol. 37 and 38, Sept. to Dec. 1976. Issued at Deccon College Pune, (March 1977).

हिन्दी पुस्तकें

१. कालरा, सुधा (श्रीमती)—
हिंदी वाक्य विन्यास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद (१९७१)
२. गुरु, कामताप्रसाद—
हिंदी व्याकरण, ना० प्र० स० सं० १९७८ विक्रमी (सं० २०३५ वि०)
३. तिवारी, उदयनारायण—
हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, भारती भण्डार, प्रयाग (सं० २०१८)
४. तिवारी, भोलानाथ—
हिंदी भाषा की संरचना, वाणी प्रकाशन, दिल्ली (१९७९)
५. दीमशित्स, जे० एम०—
हिंदी व्याकरण की रूपरेखा, राजकमल (१९६८)
६. बाहरी, हरदेव—
व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद (१९७२)
७. मिश्र, मनोरमा—
हिन्दी की रंजक क्रियाओं की आर्थी संरचना, हिंदी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, एम० फिल० हेतु प्रस्तुत शोध-निबंध (१९७९)
८. राजगोपालन, न० वी०—
हिंदी भाषा का वैज्ञानिक व्याकरण, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा (१९७३)
९. वर्मा, धीरेन्द्र—
हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदुस्तान एकेडेमी प्रेस, प्रयाग (१९६२)
१०. वाजपेयी, किशोरीदास—
१—हिंदी व्याकरण, मीनाक्षी प्रकाशन (१९७७)
२—हिंदी शब्दानुशासन, ना० प्र० स०, काशी (सं० २०२३ विक्रमी)
११. शर्मा, शशि—
हिंदी क्रियाओं की प्रेरणार्थक संरचना, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय एम० फिल्० हेतु प्रस्तुत शोध-निबंध (१९७९)

१२. श्रीवास्तव, मिश्र एवं तिवारी—
१—व्यावहारिक हिंदी, वाणी प्रकाशन (१९८०)
२.—हिंदी भाषा संरचना एवं प्रयोग, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, (१९८०)
१३. सहाय, चतुर्भुज—
हिंदी के अव्यय वाक्यांश, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा (१९७०)

पत्रिकाएं—
१. चतुर्वेदी, बी० एम०—
संस्कृत भाषा में नञ् प्रयोग,
'भाषा', केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, (मार्च १९६८)।
२. महाराणा, दुर्योधन—
ओड़िया में नकरात्मकता,
'गवेषणा' न० २८ केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा (जुलाई १९७६)
३. श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ—
काल और पक्ष,
'भाषा' (हिंदी भाषाविज्ञान अंक), केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार (मार्च १९७३)

□□

